July 2022

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

# Baba's Monthly
# CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

*Election of President*
*and Vice President*

*Cloud bursts and floods.*

*Antarctic Bill by India*

*Vikrant*
*Indigenous Aircraft Carrier*

*GST - 5 years on*

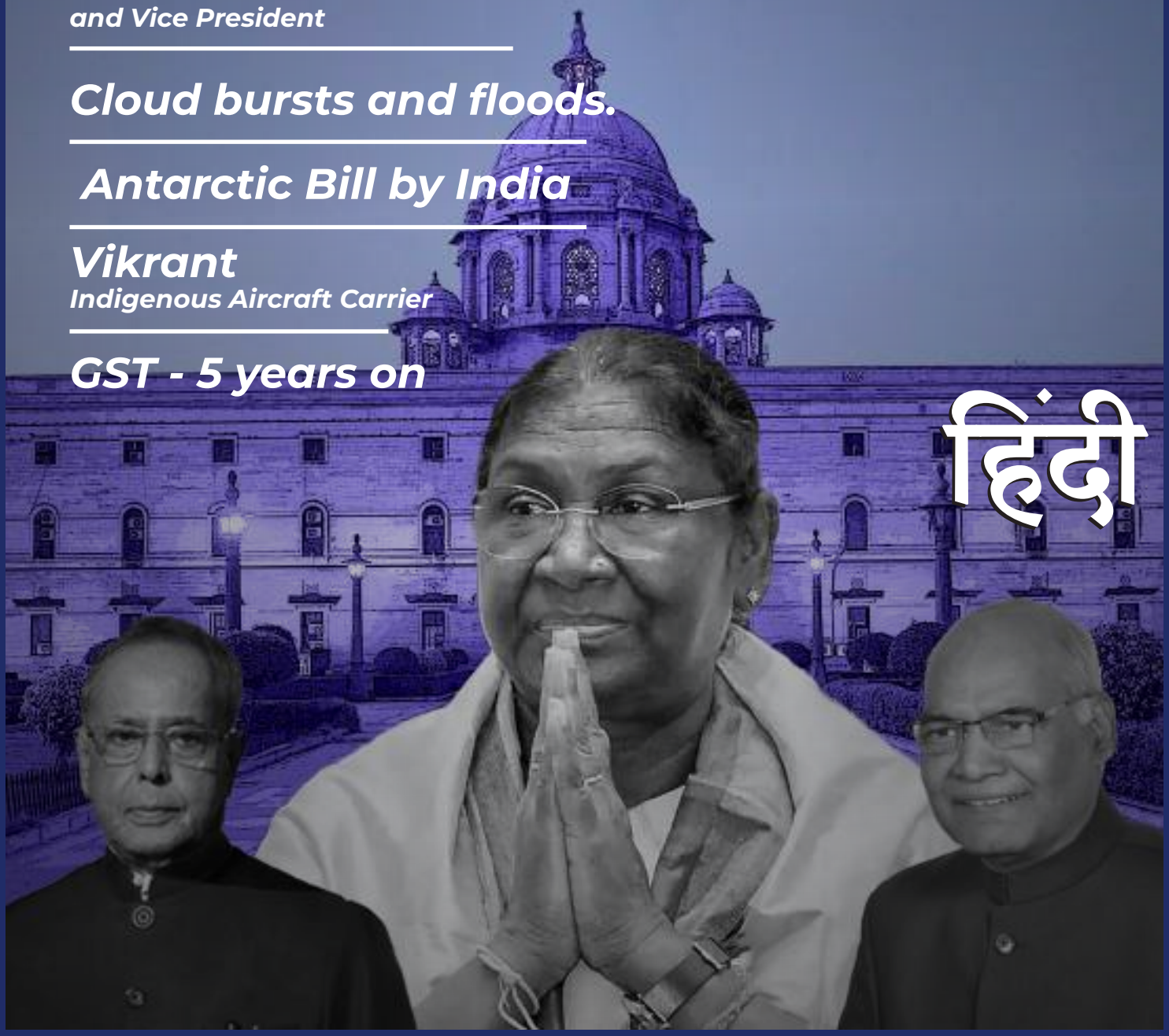

हिंदी

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

Most Trusted

# Integrated Learning Program (ILP) - 2023

Biggest Self Study Programe for UPSC Aspirants

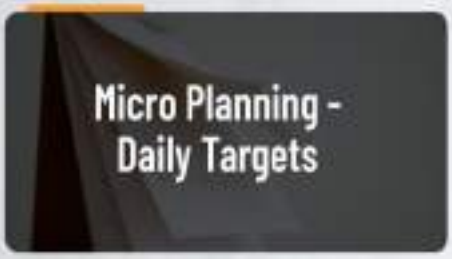

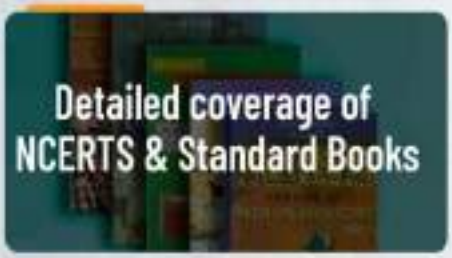

Batch 3

REGISTER NOW

Available in English
& हिन्दी

Dedicated App for
the 1st Time!

## PRELIMS

### राज्यव्यवस्था और शासन

- **बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह** (MAMSG)
- **न्यायाधीशों की नियुक्ति**
- **आईटी अधिनियम**, 2000 **की धारा** 69ए
- **पीएम केयर्स फंड** (PMCARES Fund)
- **आंचलिक परिषद (**Zonal Council)
- **अनुच्छेद** 72
- **उपराष्ट्रपति का चुनाव**
- **मसौदा चिकित्सा उपकरण विधेयक**
- **नागरिकता (**Citizenship)
- **गर्भपात पर कानून (**Law on abortion)
- **उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु (**Retirement age of Judges of Higher Judiciary)
- **सांसदों के निलंबन**

### अर्थव्यवस्था

- **कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) अनुपात**
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (**Foreign Portfolio Investors)
- **रुपये की गिरावट और विदेशी मुद्रा प्रवाह को रोकने के लिए आरबीआई ने मानदंडों में ढील दी**
- **बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल**
- **यील्ड इनवर्जन, सॉफ्ट-लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर (**Yield inversion, soft-landing and reverse currency wars)
- **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (**CBDC)
- **भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज** (IIBE)

### अंतरराष्ट्रीय संबंध

- **लंकांग-मेकांग सहयोग (**Lancang-Mekong Cooperation)
- **भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी**
- I2U2

### इतिहास, कला और संस्कृति

- **सन्नति (**Sannati)
- **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की** 2003 **कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति**

### भूगोल

- **डेरेचो** (Derecho)
- **बादल फटना (**Cloudbursts)
- **पार्सल आईलैंड्स (**Paracel Islands)

### पर्यावरण

- **ESZ मामला: गाडगिल की WGEEP रिपोर्ट फिर से सुर्खियों में**
- **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA)**
- **बन्नी घास के मैदान (Banni grasslands)**
- **जंगली प्रजातियों का सतत् उपयोग: आईपीबीईएस रिपोर्ट**
- **वन (संरक्षण) नियम, 2022**
- **भारत ने 5 नई रामसर साइटों को नामित किया**

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- ओबीसी का उप-वर्गीकरण (Sub-categorisation of OBCs)
- मिशन वात्सल्य योजना (Mission Vatsalya Scheme)
- ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (Global Gender Gap Index)
- अल्पसंख्यक स्थिति (Minority status)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- इसरो का 'POEM' प्लेटफॉर्म
- डार्क मैटर (Dark Matter)
- HPV वैक्सीन (HPV vaccine)
- फाइबराइजेशन (Fiberisation)
- एन-ट्रीट तकनीक (N-Treat technology)
- स्वदेशी विमान वाहक (IAC) विक्रांत

विविध

- अल्लूरी सीताराम राजू
- भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र
- डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022
- मिलियुसा की नई प्रजाति - मिलियुसा अगस्त्यमला (New species of Miliusa – Miliusa Agasthyamala)
- खेल संहिता (Sports Code)

राजव्यवस्था और शासन

- हिरासत में होने वाली मौतें (Custodial Deaths)
- असहयोगी संघवाद (Uncooperative Federalism)
- ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR)
- ऑनलाइन सेंसरशिप (Online Censorship)
- DISCOMs की स्थिति (State of DISCOMs)
- राज्यसभा का चुनाव और वोटों की गणना (Rajya Sabha polls and Vote Count)
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency)
- मध्यस्थता विधेयक, 2021 (Mediation Bill, 2021)
- जमानत कानून (The Bail Law)
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019
- नगर निगम का वित्तीय स्तर
- अनुच्छेद 142 - पूर्ण न्याय (Article 142 - Complete justice)
- विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा (PwD)
- फेक न्यूज (Fake News)
- भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022
- राज्यसभा की भूमिका

- गिरफ्तारी और जमानत आदेश पर दिशा निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने PMLA को बरकरार रखा
- वन अधिकार अधिनियम, 2006
- भारत के वित्तीय संघवाद की खराब स्थिति

अर्थव्यवस्था

- GST के पांच साल (GST- Five years on)
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB)
- रुपये का अवमूल्यन
- कृषि ऋण माफी (Farm loan waiver)
- मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता (समझौता)

अंतरराष्ट्रीय संबंध

- तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर सहमति जताई
- वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए भागीदारी (PGII)
- कराकल्पकस्तान (Karakalpakstan)
- भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

इतिहास, कला और संस्कृति

- विनायक दामोदर सावरकर
- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
- चंद्रशेखर आजाद
- शहीद उधम सिंह

भूगोल

- नॉर्ड स्ट्रीम 1
- धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) तकनीक

पर्यावरण

- पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र
- समय की मांग: अक्षय क्रांति
- वन परिदृश्य बहाली

सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

- हेट स्पीच (Hate Speech)
- लैंगिक समानता (Gender Equality)
- श्रीलंका की जैविक खेती आपदा
- भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम पर दिशानिर्देश और भ्रामक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन, 2022

सुरक्षा संबंधित मुद्दे

- पेगासस लड़ाई में निगरानी सुधार के लिए लड़ना
- क्रिप्टो-जैकिंग

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण
- स्पेस एसेट्स सस्टेनेबिलिटी

प्रैक्टिस QUESTIONS:

उत्तर कुंजी

## PRELIMS

### राज्यव्यवस्था और शासन

| | |
|---|---|
| **बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (MAMSG)** | **संदर्भ:** बहु-एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह (MAMSG) की पहली बैठक।<br>• एमएएमएसजी को तटीय और अपतटीय सुरक्षा सहित समुद्री सुरक्षा के सभी पहलुओं के समन्वय को सुनिश्चित करने के साथ-साथ वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में संस्थागत, नीति, तकनीकी और परिचालन अंतराल को भरने के लिए एक स्थायी और प्रभावी तंत्र प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।<br>• यह मुख्य रूप से, समूह तत्काल और समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता वाली समुद्री आकस्मिकताओं को भी संबोधित करेगा।<br>• **अध्यक्षता:** भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC) वाइस एडमिरल अशोक कुमार (सेवानिवृत्त)।<br>**मुख्य चर्चा:**<br>• समुद्री सीमाओं की घेराबंदी नहीं की जा सकती।<br>• भारत एक प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण एक बड़ा फायदा था, जबकि मुख्य सिद्धांत यह था कि देश की कमजोरियां संपत्ति के सीधे आनुपातिक थीं।<br>• जितना अधिक भारत विकसित होगा, उतनी ही अधिक संपत्तियां सृजित होंगी, जितना अधिक व्यापार और वाणिज्य बढ़ेगा, समुद्री क्षेत्र में खतरा और भेद्यता उतनी ही अधिक होगी।<br>• हमारे समुद्री संसाधनों के दोहन के लिए आर्थिक हित और तटीय बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण हैं।<br>• कमियों की पहचान करने के लिए समुद्री सुरक्षा पर मौजूदा आदेशों और नीतियों का मानचित्रण, समुद्री आकस्मिकताओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा, बंदरगाहों और तटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, एक राष्ट्रीय समुद्री डेटाबेस का निर्माण, तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता निर्माण और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।<br>**भारत:**<br>• मात्रा के हिसाब से भारतीय व्यापार का 95% समुद्र के द्वारा होता है और 12 प्रमुख और 200 से अधिक गैर-प्रमुख बंदरगाहों के माध्यम से होता है।<br>• 90% से अधिक हाइड्रोकार्बन आवश्यकताओं को समुद्री आयात और अपतटीय उत्पादन के माध्यम से पूरा किया जाता है।<br>• तीन लाख से अधिक मछली पकड़ने वाले जहाजों के साथ, समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र भी मछली पकड़ने वाले समुदाय की अर्थव्यवस्था और आजीविका में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। |
| **न्यायाधीशों की नियुक्ति** | **चर्चा में क्यों:** भारत के मुख्य न्यायाधीश ने फिर से कहा कि पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों की कमी के कारण लंबित मामलों की समस्या "तीव्र" होती जा रही है।<br>**भारत में लंबित मामले:**<br>• इसके कारणों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जनसंख्या, अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता आदि शामिल हैं।<br>• बढ़ते कार्यभार के अनुरूप अधोसंरचना और पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों के अभाव में समस्या विकराल होती जा रही है। |

| | |
|---|---|
| | • इस प्रकार भारत में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बदलने और अपग्रेड करने के साथ-साथ न्यायिक रिक्तियों को भरने और मजबूती बढ़ाने की आवश्यकता है।<br>**एचसी न्यायाधीशों की नियुक्ति:**<br>• **संविधान का अनुच्छेद 217:** इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।<br>• मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।<br>• **परामर्श प्रक्रिया:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।<br>• हालाँकि इसके लिये प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है।<br>• उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस आधार पर की जाती है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य से न होकर किसी अन्य राज्य से होगा। |
| **आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए** | **संदर्भ:** ट्विटर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट की गई कुछ सामग्री को हटाने का आदेश देने वाली सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की।<br>• अधिकारियों द्वारा बिजली के बेहिसाब उपयोग का आरोप लगाते हुए, सोशल मीडिया कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 (ए) के तहत जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश सामग्री-अवरोधक आदेशों के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख किया।<br>• आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को लिखा था कि वह 4 जुलाई तक अपने आदेशों का पालन करे या मध्यस्थ नियमों के तहत अपनी सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा खो दे।<br>**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**<br>• कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।<br>• इसमें सभी 'मध्यस्थ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।<br>**आईटी अधिनियम की धारा 69:**<br>• यह केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिये" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।<br>**जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है वे हैं:**<br>• भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हित में। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।<br>• सार्वजनिक व्यवस्था, या इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को उकसाने से रोकने और किसी भी अपराध की जांच के लिए।<br>**इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया:**<br>• धारा 69A समान कारणों और आधारों के लिये (जैसा कि ऊपर बताया गया है) केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी या मध्यस्थों से किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, पारेषित, प्राप्त या भंडारित की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिये कहने में सक्षम बनाती है।<br>• पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए ऐसा अनुरोध लिखित में दिए गए कारणों पर आधारित होना चाहिए।<br>**आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार मध्यस्थों:** |

| | |
|---|---|
| | • 'मध्यस्थों' शब्द में सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस तथा साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा तथा वेब होस्टिंग के प्रदाता भी शामिल हैं।<br>• इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो किसी अन्य की ओर से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को "प्राप्त, भंडारित या प्रसारित करता है"। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं।<br>**कानून के तहत मध्यस्थों के दायित्व:**<br>• मध्यस्थों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित तरीके और प्रारूप में निर्दिष्ट जानकारी को संरक्षित और बनाए रखना आवश्यक है।<br>• इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने के अलावा तीन साल तक की जेल हो सकती है।<br>• जब निगरानी के लिए निर्देश दिया जाता है, तो मध्यस्थ और कंप्यूटर संसाधन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को शामिल संसाधन तक पहुंच प्रदान करने या सुरक्षित करने के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।<br>• ऐसी सहायता न देने पर जुर्माने के अलावा सात साल तक की जेल हो सकती है।<br>• सरकार के लिखित अनुरोध पर जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर जुर्माने के अलावा सात साल तक की जेल भी हो सकती है।<br>**मध्यस्थों का दायित्व:**<br>• आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 यह स्पष्ट करती है कि "मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या संचार लिंक को उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा"।<br>• तीसरे पक्ष की जानकारी का अर्थ किसी नेटवर्क सेवा प्रदाता द्वारा मध्यस्थ के रूप में अपनी क्षमता से निपटाई जाने वाली किसी भी जानकारी से है।<br>• यह इंटरनेट और डेटा सेवा प्रदाताओं जैसे मध्यस्थों और उन वेबसाइटों की मेजबानी करने वालों को सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है जो उपयोगकर्ता पोस्ट या उत्पन्न कर सकते हैं।<br>• धारा 79 ने "नोटिस और टेक डाउन" प्रावधान की अवधारणा को भी पेश किया।<br>• यह प्रावधान करता है कि मध्यस्थ अपनी प्रतिरक्षा खो देगा यदि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने पर या यह अधिसूचित होने पर कि उसके द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में रहने वाली या उससे जुड़ी किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है और यह विफल रहता है उस सामग्री तक पहुंच को शीघ्रता से हटाएं या अक्षम करें। |
| **पीएम केयर्स फंड (PMCARES Fund)** | **चर्चा में क्यों:** दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आयकर विभाग को आयकर अधिनियम के तहत छूट के लिए आवेदन करते समय पीएम केयर्स फंड द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।<br>• सवाल यह है कि क्या पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, वर्तमान में अदालत की एक खंडपीठ के समक्ष लंबित है।<br>**पृष्ठभूमि**<br>• आवेदक के आरटीआई आवेदन को अधिकारियों ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि पीएम केयर्स फंड आरटीआई अधिनियम के तहत कवर नहीं है।<br>• इसने आई-टी विभाग को पीएम केयर्स फंड द्वारा छूट आवेदन में जमा किए गए दस्तावेजों की प्रतियों और अनुमोदन प्रदान करने वाली फाइल नोटिंग की प्रतियों का खुलासा करने का निर्देश दिया।<br>• I-T विभाग ने तर्क दिया कि CIC IT अधिनियम की धारा 138(1)(b) में निहित वैधानिक बार पर विचार करने में विफल रहा है, जो अधिकारियों को यह बुद्धि प्रदान करता है कि क्या किसी निर्धारिती से संबंधित जानकारी |

| | |
|---|---|
| | सार्वजनिक हित में प्रकट की जानी चाहिए या नहीं।<br>• I-T विभाग यह भी कहा है, कि यह एक और बार है, जिसमें उनका निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।<br>• जहां कहीं कोई क़ानून इस तरह के प्रतिबंध का प्रावधान करता है, न्यायालयों ने लगातार यह माना है कि जो मुद्दा क़ानून में निर्दिष्ट प्राधिकरण के अनन्य डोमेन में है, इसलिए एक ही मुद्दा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा एक अन्य कानून के तहत जांच के लिए खुला नहीं हो सकता है, जो यहां आरटीआई अधिनियम 2005है।<br>**प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति में राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)**<br>• मार्च 2020 में स्थापित, एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत।<br>• पीएम केयर्स फंड का ट्रस्ट डीड पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत है।<br>• प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी होते हैं।<br>• न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।<br>**वित्त पोषण:**<br>• फंड में पूरी तरह से व्यक्तियों/संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।<br>**छूट:**<br>• पीएम केयर्स फंड में दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत 100% छूट के लिए योग्य होगा।<br>• पीएम केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय के रूप में गिना जाएगा।<br>• एफसीआरए के तहत पीएम केयर्स फंड को भी छूट मिली है और विदेशी चंदा लेने के लिए अलग से खाता खोला गया है। |
| **आंचलिक परिषद (Zonal Council)** | **चर्चा में क्यों :** उत्तरी क्षेत्रीय परिषद हाल ही में आयोजित की गई थी।<br>• तीन राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों ने जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नदी जल बंटवारे, महिलाओं की सुरक्षा, फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना, साइबर सुरक्षा और ग्रामीण बैंकिंग को मजबूत करने के मुद्दों पर चर्चा की।<br>**क्षेत्रीय परिषद:**<br>• क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय हैं।<br>• वे संसद के एक अधिनियम - राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित किए गए हैं।<br>• इस अधिनियम ने देश को पांच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में विभाजित किया और प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।<br>• उपर्युक्त क्षेत्रीय परिषदों के अलावा, संसद के एक अलग अधिनियम, 1971 के उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर-पूर्वी परिषद बनाई गई थी।<br>• इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं।<br>• **कार्य:** ये सलाहकार निकाय हैं जो केंद्र और राज्यों के सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर-राज्यीय परिवहन या राज्यों के पुनर्गठन से जुड़े मामलों के बीच आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में सामान्य हित के किसी भी मामले के संबंध में सिफारिशें करते हैं।<br>**संगठनात्मक संरचना:** |

| | |
|---|---|
| | • **अध्यक्ष:** केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं।<br>• **उपाध्यक्ष:** प्रत्येक जोन में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री क्रम से उस जोन के लिए जोनल काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं।<br>• **सदस्य:** प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री और क्षेत्र में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों के दो सदस्य शामिल होते है।<br>• **सलाहकार:** नीति आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदों के लिए नामित एक व्यक्ति, मुख्य सचिव और जोन में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त। |
| **अनुच्छेद 72** | **चर्चा में क्यों:** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र संविधान के अनुच्छेद **72** के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने और अपीलकर्ता (अबू सलेम) को रिहा करने के लिए बाध्य था।<br>**पृष्ठभूमि:**<br>• तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पुर्तगाल की एक अदालत को एक 'गंभीर संप्रभु आश्वासन' दिया था कि अबू सलेम को न तो मौत की सजा और न ही 25 साल से अधिक जेल की सजा दी जाएगी।<br>• इस मामले ने सर्वोच्च न्यायालय में "अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव" के बारे में चिंता पैदा कर दी थी, अगर भारत को विदेशी शक्तियों और उनकी अदालतों से प्रत्यर्पण हासिल करने के लिए किए गए गंभीर वादों को वापस लेने के लिए सामना करना पड़ सकता है।<br>• हालांकि, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में एक हलफनामे में कहा था कि श्री आडवाणी का आश्वासन कोई गारंटीकृत नहीं है।<br><br>**अनुच्छेद 72**<br>**भारत में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति:**<br>• संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, राष्ट्रपति के पास सजा को माफ करने, राहत देने, राहत देने या छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होगी।<br>• हालांकि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह से बाध्य हैं, अनुच्छेद 74 (1) उन्हें इसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार देता है। यदि मंत्रिपरिषद किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है, तो राष्ट्रपति के पास उसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।<br>**राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करें जिन पर सभी मामलों में मुकदमा चलाया गया है और किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जहां:**<br>o केंद्रीय कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा या सजा;<br>o सजा या सजा कोर्ट मार्शल (सैन्य न्यायालय) द्वारा होती है; तथा<br>o सजा एक मौत की सजा है।<br>• राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है; यह एक कार्यकारी शक्ति है।<br>• लेकिन, राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हुए अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठते हैं।<br>• राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करने का उद्देश्य दुगना है:<br>(a) कानून के संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटियों को ठीक करने के लिए दरवाजा खुला रखना; और, (b) सजा से राहत देने के लिए, जिसे राष्ट्रपति अनुचित रूप से कठोर मानते हैं।<br>• अनुच्छेद 161 के तहत, भारत में राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं।<br>**राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्नलिखित शामिल हैं:** |

| | |
|---|---|
| | • **क्षमा:** यह सजा और दोषसिद्धि दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी वाक्यों, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है।<br>• **लघुकरण:** यह एक प्रकार की सजा को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है।<br>• **छूट:** इसका मतलब है कि सजा की अवधि को उसके चरित्र को बदले बिना कम करना।<br>• **विराम:** यह किसी विशेष तथ्य जैसे, किसी अपराधी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है।<br>• **प्रलिम्बन:** इसका तात्पर्य अस्थायी अवधि के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना है। इसका. उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समय देना है। |
| **उपराष्ट्रपति का चुनाव** | **चर्चा में क्यों :** सत्ता पक्ष और विपक्षी दल दोनों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का चयन कियाहै।<br>**उपराष्ट्रपति:**<br>• उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है।<br>• उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।<br>**निर्वाचकमंडल:**<br>• भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है।<br>• उनका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा।<br>**इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं:**<br>• केवल लोकसभा और राज्य सभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य।<br>**उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता**<br>• भारत का नागरिक होना चाहिये।<br>• 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिये।<br>• राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिये योग्य होना चाहिये।<br>• केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिये।<br>• उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव हेतु नामांकन के लिए, एक उम्मीदवार को संसद सदस्यों के कम से कम 20निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20निर्वाचकों द्वारा अनुमोदक के रूप में सब्सक्राइब किया जाना चाहिए।<br>**कार्यालय की शर्तें**<br>• भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है।<br>• उनका कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि का होता है।<br>• लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक, पद पर बने रह सकते हैं।<br>**रिक्तियाँ**<br>उपराष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से हो सकती है:<br>• जब उन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया हो।<br>• जब वे इस्तीफा दिए हो। |

| | |
|---|---|
| | • जब उन्हें संसद के प्रस्ताव द्वारा हटा दिया गया हो<br>• जब कार्यालय की सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई हो।<br>• जब उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया हो और पद धारण करने के लिए अयोग्य हो।<br>**शक्ति और कार्य**<br>• उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और उसकी शक्तियां और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही होते हैं।<br>• राष्ट्रपति के किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थता या किसी भी कारण से राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त होने की स्थिति में, वह अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यालय भारतीय राज्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए बनाया गया था; हालाँकि, यह अगले राष्ट्रपति के चुने जाने तक केवल 6 महीने के लिए है।<br>• उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते समय राज्य सभा की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए।<br>**उपराष्ट्रपति को पद से हाटने की प्रक्रिया**<br>• उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के मामले में औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है।<br>• उपराष्ट्रपति को उसके पद से केवल राज्यसभा में उठाए गए एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, जिसे प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है और लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति होती है।<br>• राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने से पहले 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। |
| **मसौदा चिकित्सा उपकरण विधेयक (Draft medical devices Bill)** | **चर्चा में क्यों :** हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित औषधि, चिकित्सा उपकरण और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2022 का मसौदा जारी किया।<br>• यह विधेयक मौजूदा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा अन्य कई नियमों को प्रतिस्थापित कर देगा।<br>• यह चिकित्सा उपकरणों के लिये एक अलग विनियमन बनाने पर केंद्रित है, जो नैदानिक परीक्षण या जाँच के दौरान आने वाली चोट और मृत्यु के लिये जुर्माने और कारावास का प्रावधान करता है और ई- फार्मेसियों के विनियमन का प्रयास करता है।<br>**विधेयक के प्रमुख प्रावधान**<br>**विनियमन:**<br>• यह ई-फार्मेसियों और चिकित्सा उपकरणों को विनियमन करने का प्रयास करता है और दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों दोनों के लिए नैदानिक परीक्षणों के दौरान चोट या मृत्यु के लिए मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहने पर कारावास सहित दंड का प्रावधान करता है।<br>**औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940:**<br>• पहली बार, नई दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के लिए नैदानिक परीक्षणों के संचालन के लिए नियमों को नई दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और प्रसाधन सामग्री विधेयक, 2022 के मसौदे के तहत लाया गया है।<br>**आयुष दवाएं (AYUSH drugs) :**<br>• पहली बार इस मसौदा विधेयक में आयुष दवाओं के लिए एक अलग अध्याय शामिल है, जो सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है।<br>• मौजूदा कानून केवल आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को नियंत्रित करता है।<br>**नई परिभाषाएँ (New definitions):**<br>• मसौदा बिल विभिन्न नई परिभाषाओं या प्रावधानों को पेश करता है जैसे जैव-समतुल्यता अध्ययन, जैव उपलब्धता |

| | |
|---|---|
| | अध्ययन, नैदानिक परीक्षण, नैदानिक जांच, नियंत्रण प्राधिकरण, चिकित्सा उपकरण, नई दवाएं, ओवर द काउंटर (ओटीसी) दवाएं, मिलावटी सौंदर्य प्रसाधन आदि शामिल हैं।<br>**औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) और चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड (MDTAB):**<br>● यह एक अलग औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) और चिकित्सा उपकरण तकनीकी सलाहकार बोर्ड (एमडीटीएबी) के गठन का प्रस्ताव करता है, जिसमें तकनीकी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए विभिन्न संघों के विशेषज्ञ शामिल हैं।<br>**केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण:**<br>● सार्वजनिक स्वास्थ्य या दवाओं की अत्यधिक शीघ्रता के हित में, केंद्र सरकार को देश में नई दवाओं या जांच नई दवाओं के निर्माण या आयात के लिए नैदानिक परीक्षण आयोजित करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के प्रावधान करने का अधिकार है।<br>**मुआवज़ा:**<br>● जहां नैदानिक परीक्षण के दौरान प्रतिभागी को ऐसी जांच में भाग लेने के कारण चोट या मृत्यु का सामना करना पड़ता है, ऐसे प्रतिभागियों को मुआवजा और चिकित्सा प्रबंधन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।<br>**ई-फार्मेसी:**<br>● ई-फार्मेसी संचालित करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है।<br>● कोई भी व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन मोड (ई-फार्मेसी) द्वारा किसी भी दवा को बेचने, या स्टॉक या दिखाने या बिक्री के लिए प्रस्ताव या वितरण नहीं करेगा, सिवाय इसके कि यह लाइसेंस या अनुमति के तहत जारी किया गया है।<br>**चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्र:**<br>● नियामकों और उद्योग के लिए चिकित्सा उपकरणों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरण परीक्षण केंद्रों को नामित करने या स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। |
| **नागरिकता (Citizenship)** | **चर्चा में क्यों :** वर्ष 2021 में, 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी।<br>● लोकसभा में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में 1.6 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया, जो पिछले पांच वर्षों में यह सबसे अधिक है।<br>● 78,000 से अधिक भारतीयों ने भारतीय नागरिकता त्याग कर अमेरिकी नागरिकता ग्रहण की, जो अन्य सभी देशों में सबसे अधिक है।<br>● भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। चीन में रहने वाले 362 भारतीयों ने भी चीनी नागरिकता प्राप्त की।<br>**नागरिकता**<br>● नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं और इसके प्रति निष्ठावान हैं। उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं।<br>**संवैधानिक प्रावधान**<br>● नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है और इस प्रकार यह संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है।<br>● संविधान 'नागरिक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन नागरिकता के हकदार व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 (अनुच्छेद 5 से 11) में दिया गया है। |

- संविधान के अन्य प्रावधानों के विपरीत, यह 26 जनवरी, 1950 को अस्तित्व में आया, इन अनुच्छेदों को 26 नवंबर, 1949 को ही लागू किया गया था, जब संविधान को अपनाया गया था।
- **अनुच्छेद 5:** यह संविधान के शरू होने पर नागरिकता प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 6:** इसमें कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान किया गया है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं।
- **अनुच्छेद 7:** यह पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 8:** भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 9:** इसमें यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह अब भारत का नागरिक नहीं होगा।
- **अनुच्छेद 10:** यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से किसी के तहत भारत का नागरिक है, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, ऐसा नागरिक बना रहेगा।
- **अनुच्छेद 11:** यह संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति एवं उससे संबंधित सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार देता है।

**नागरिकता अधिनियम और संशोधन:**

- नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान करता है।

**भारतीय नागरिकता का अधिग्रहण और निर्धारण**

- **भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैं:** जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण। यह प्रावधान नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत सूचीबद्ध हैं।

**भारत में नागरिकता छोड़ने के तरीके**

**इस अधिनियम के अनुसार, नागरिकता तीन तरीकों से रद्द की जा सकती है:**

**त्याग:** कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश का नागरिक है, जो एक घोषणा के माध्यम से निर्धारित तरीके से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है, तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है।

- जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है।
- हालाँकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है।

**समाप्ति:** एक भारतीय नागरिक की नागरिकता रद्द की जा सकती है यदि वह जानबूझ कर या स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता अपनाता है।

**अभाव:** कुछ मामलों में, भारत सरकार किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। हालाँकि, यह सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता है।

- अधिनियम में चार बार संशोधन किया गया है - 1986, 2003, 2005 और 2015 में।

**नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019**

- यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों, जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई हैं, के लिए भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करके नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया और दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।
- कानून इन मुस्लिम बहुल देशों के मुसलमानों को ऐसी पात्रता प्रदान नहीं करता है।
- यह छह समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले से छूट देता है।

**गर्भपात पर कानून (Law on abortion)**

**चर्चा में क्यों :** दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसकी याचिका को अस्वीकार करने के बाद एक **25** वर्षीय गर्भवती महिला ने गर्भपात की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।

- महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी रूल्स, 2003 के नियम 3बी को भी चुनौती दी है, जो केवल कुछ श्रेणियों की महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।
- इस मामले ने भारत में प्रजनन अधिकारों के ढांचे और महिला स्वायत्तता और एजेंसी को मान्यता देने के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं।

**गर्भपात पर भारत का कानून क्या है?**

- वर्ष 1971 में, गर्भपात तक पहुंच को "उदारीकृत" करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (एमटीपी एक्ट) पेश किया गया था।
- एमटीपी अधिनियम 2 चरणों में चिकित्सक द्वारा गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देता है।
- गर्भधारण से 12 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए, एक डॉक्टर की राय आवश्यक है।
- 12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के लिए दो डॉक्टरों की राय आवश्यक है।
- वर्ष 2021 में, संसद ने कानून में संशोधन किया और 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय के तहत समाप्ति की अनुमति दी। 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए संशोधित कानून में दो डॉक्टरों की राय की आवश्यकता होती है।
- दूसरी श्रेणी के लिए, नियमों में महिलाओं की सात श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है जो समाप्ति की मांग करने के लिए पात्र होंगी।

**एमटीपी अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों की धारा 3बी में लिखा है:**

"निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं को अधिनियम की उपधारा (2) की धारा 3 के खंड (b) के तहत 24 सप्ताह तक की अवधि के लिए गर्भावस्था की समाप्ति के लिए योग्य माना जाएगा। अर्थात्:

a. यौन उत्पीड़न या बलात्कार या कौटुंबिक व्यभिचार की शिकार;
b. नाबालिग;
c. विधवा और तलाक होने जैसी परिस्थितियों अर्थात् वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था
d. शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएँ (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रमुख विकलांगता)
e. मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएँ
f.भ्रूण में ऐसी कोई विकृति या बीमारी हो जिसके कारण उसकी जान को खतरा हो या फिर जन्म लेने के बाद उसमें ऐसी मानसिक या शारीरिक विकृति होने की आशंका हो जिससे वह गंभीर विकलांगता का शिकार हो सकता है; तथा
g. सरकार द्वारा घोषित मानवीय संकट ग्रस्त क्षेत्र या आपदा या आपात स्थिति में गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया गया है।

- जबकि कानून गर्भवती महिला की वैवाहिक स्थिति में उसके पति या पत्नी के साथ तलाक और विधवापन में बदलाव को मान्यता देता है, लेकिन यह अविवाहित महिलाओं की स्थिति को संबोधित नहीं करता है।
- यह कानून का वह अंतर है जिसमें उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता आता है।
- एमटीपी अधिनियम एक प्रदाता संरक्षण कानून है, जो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी (RMP) को आपराधिक

| | |
|---|---|
| | दायित्व से बचाने का प्रयास करता है, और इस तरह यह गर्भवती महिला की जरूरतों और प्रजनन स्वायत्तता को केंद्रित नहीं करता है।<br>• गर्भपात की सुविधा गर्भवती महिला की इच्छा पर नहीं है।<br>• यह उच्च विनियमित प्रक्रिया है जिसके तहत कानून गर्भवती महिला की निर्णय लेने की शक्ति को मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) को हस्तांतरित करता है और यह RMP के विवेक पर निर्भर है कि गर्भपात किया जाना चाहिये या नहीं।<br>अब समय आ गया है कि विधायिका वर्तमान कानून में इस खामी की पहचान करे और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए। |
| **उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु (Retirement age of Judges of Higher Judiciary)** | **चर्चा में क्यों :**केंद्रीय कानून और न्यायमंत्री ने संसद को कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहींहै।<br>• संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है।<br>• संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।<br>**इसे क्यों बढ़ाया जाना चाहिए?**<br>**लंबित मामले**<br>• 15 सितंबर, 2021 तक, भारत की सभी न्यायालयों में 4.5 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इनमें से 87.6% मामले अधीनस्थ न्यायालयों में और 12.3% उच्च न्यायालयों में लंबित थे।<br>• सुप्रीम कोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि उनके पास 70,362 मामले लंबित हैं।<br>**न्यायाधीश-आबादीअनुपात**<br>• भारत में न्यायाधीश-आबादी अनुपात 31दिसंबर 2021को 21.03के साथ सबसे कम है, जबकि वर्ष 2016में, यूके में प्रति मिलियन लोगों पर 51जज थे,यू.एस. में 107,ऑस्ट्रेलिया में 41 और कनाडा में 75जज थे।<br>**अन्यनियुक्तियां**<br>• इसके अलावा, विधान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 70 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष और 65 वर्ष तक सदस्य के रूप में मानव न्यायाधिकरणों के लिए प्रदान करते हैं। इन न्यायाधीशों को इतनी जल्दी सेवानिवृत्त होने का कोई कारण नहीं है।<br>**सिफारिश**<br>• वर्ष 1974 में, विधि आयोग की 58वीं रिपोर्ट ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु के बीच समानता लाने की सिफारिश की।<br>• वर्ष 2002 में, न्यायमूर्ति वेंकटचलैया रिपोर्ट - संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट ने भी सिफारिश की कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 65 और 68 तक बढ़ाई जानी चाहिए।<br>**अन्यदेश**<br>• अधिकांश पश्चिमी उदार लोकतंत्रों में न्यायाधीशों के लिए लगभग 70 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु सामान्य है। उनमें से कुछ तो जीवन भर के लिए कार्यकाल भी चुनते हैं<br>• संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में, और ऑस्ट्रिया एवं ग्रीस में संवैधानिक न्यायालयों में, न्यायाधीशों को आजीवन नियुक्त किया जाता है। |

| | |
|---|---|
| | • बेल्जियम, डेनमार्क, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 70 वर्ष है।<br>**प्रभावपड़ना**<br>• यह बढ़ते बकाया (mounting arrears) की समस्या का समाधान करेगा।<br>• यह अनुभवी न्यायाधीशों के एक मजबूत प्रतिभा पूल की निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।<br>• न्याय का तेजी से वितरण।<br>• यह सेवानिवृत्ति के बाद के कार्यों को अनाकर्षक बना देगा और, परिणामस्वरूप, कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करेगा। |
| **सांसदों के निलंबन (Suspension of Member of Parliament)** | **चर्चा में क्यों:** हाल में उन्नीस विपक्षी सदस्यों को एक सप्ताह के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।<br>**क्या है सांसद को सस्पेंड करने का कारण?**<br>• यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालित हो, अध्यक्ष/सभापति को किसी सदस्य को सदन से हटने के लिए मजबूर करने का अधिकार है।<br>**पीठासीन अधिकारी किन नियमों के तहत कार्य करता है?**<br>**प्रक्रिया और व्यवसाय के संचालन के नियमों की नियम संख्या 373 अनुसार:**<br>• यदि अध्यक्ष की राय है कि किसी सदस्य का आचरण घोर अव्यवस्थित है, तो ऐसे सदस्य को तत्काल सदन से हटने का निर्देश दे सकता है, और इस प्रकार आदेश देने के उपरान्त सम्बंधित सदस्य को ऐसा तुरंत करना होगा और शेष दिन की अवधि के दौरान वह अनुपस्थित रहेगा।<br>• आज्ञा न मानने वाला सदस्यों से निपटने के लिए अध्यक्ष नियम 374 और 374ए का सहारा लेता है।<br>**नियम 374 कहता है:**<br>• अध्यक्ष, यदि आवश्यक समझे, किसी ऐसे सदस्य का नाम बता सकता है जो सभापीठ के प्राधिकार की अवहेलना करता है या सदन के नियमों का दुरूपयोग करता है और लगातार और जानबूझकर उसके कार्य में बाधा डालता है।<br>• यदि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य का नाम इस प्रकार रखा जाता है, तो अध्यक्ष, प्रस्ताव किए जाने पर, यह प्रश्न रखेगा कि सदस्य को सदन की सेवा से शेष सत्र से अनधिक अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाए: बशर्ते कि सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किए जाने पर, इस तरह के निलंबन को समाप्त करने का संकल्प लिया जा सकता है।<br>**नियम 374ए:**<br>• नियम 373 और 374 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य द्वारा सदन के वेल में आने या सदन के नियमों का लगातार दुरुपयोग करने और जानबूझकर नारे लगाने या अन्यथा उसके कार्य में बाधा डालने की स्थिति में, ऐसा सदस्य, अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने पर, लगातार पांच बैठकों या शेष सत्र के लिए, जो भी कम हो, सदन की सेवा से स्वतः निलंबित हो जाता है।<br>**राज्यसभा में क्या होता है**?<br>• लोकसभा में अध्यक्ष की तरह, राज्यसभा के सभापति को अपनी नियम पुस्तिका के नियम संख्या 255 के तहत किसी भी सदस्य को- जिसका आचरण उनकी राय में सदन से तुरंत हटने के लिए है- निर्देश देने का अधिकार है।<br>• नियम 256 के तहत, अध्यक्ष एक सदस्य का नाम ले सकता है जो अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करता है या लगातार और जानबूझकर व्यापार में बाधा डालकर परिषद के नियमों का दुरुपयोग करता है।<br>• ऐसी स्थिति में, सदन सदस्य को सदन की सेवा से निलंबित करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है, जो शेष सत्र से अधिक नहीं होगा। |

| | |
|---|---|
| | • सदन एक अन्य प्रस्ताव द्वारा निलंबन को समाप्त कर सकता है।<br>**किसी सदस्य के निलंबन को रद्द करने की प्रक्रिया क्याहै?**<br>• अध्यक्ष को किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार है, जबकि इस आदेश को रद्द करने का अधिकार उसके पास निहित नहीं है।<br>• निलंबन को रद्द करने के प्रस्ताव पर संकल्प करना सदन का कार्य है।<br>**राज्यसभा में**<br>• सदन प्रस्ताव द्वारा निलंबन को समाप्त करता है। |

## अर्थव्यवस्था

| | |
|---|---|
| **कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) अनुपात** | **चर्चा में क्यों:** मार्च **2021** में सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (जीएनपीए) अनुपात **7.4** प्रतिशत से घटकर मार्च **2022** में छह साल के निचले स्तर **5.9** प्रतिशत के साथ बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।<br>• प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2022 में बढ़कर 70.9 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 67.6 प्रतिशत था।<br>• गिरावट अनुपात, अवधि की शुरुआत में मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में एनपीए में नई वृद्धि को मापने, वित्त वर्ष 2022 में बैंक समूहों में गिरावट आई।<br>• दूसरे वर्ष के लिए बट्टे खाते (Write-off ratio) अनुपात गिरकर वर्ष 2021-22 में 20.0 प्रतिशत हो गया।<br>• भारत में फिनटेक अपनाने की दर वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक (87 प्रतिशत) है, जिसे वर्ष 2021-22 के दौरान 8.53 अरब डॉलर (278 सौदों में) का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है।<br>**एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) क्या है?**<br>• गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करती है जो डिफ़ॉल्ट या बकाया हैं।<br>• मूलधन या ब्याज भुगतान देर से होने या छूट जाने पर ऋण बकाया होता है।<br>• एक ऋण डिफ़ॉल्ट रूप से होता है जब ऋणदाता ऋण समझौते को तोड़ा हुआ मानता है और देनदार अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होता है।<br>• भारत में, एनपीए को ऐसे ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहा हो। |
| **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (Foreign Portfolio Investors)** | **चर्चा में क्यों:** विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI)भारत में बिकवाली जारी रखी है।<br>• जून 2022 में सबसे खराब बिकवाली ₹50,000 करोड़ देखी गई।<br>• उनके विक्रय कार्यों से बेंचमार्क सूचकांकों में उल्लेखनीय गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई है।<br>**एफपीआई क्या हैं?**<br>• विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे हैं जो अपने घरेलू बाजार के बाहर के बाजारों में धन निवेश करते हैं।<br>• उनके निवेश में आम तौर पर इक्विटी, बांड और म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं।<br>• वे आम तौर पर सक्रिय शेयरधारक नहीं होते हैं और उन कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं जिनके शेयर उनके पास हैं।<br>• उनके निवेश की निष्क्रिय प्रकृति भी उन्हें स्वेच्छा से और आसानी से स्टॉक में प्रवेश करने या बाहर निकलने की अनुमति देती है।<br>• नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड (एनडीएसएल) के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआई ने वर्ष 2002 में लगभग 3,682 करोड़ रुपये कमाए।<br>• वर्ष 2017 में FPI प्रवाह ₹2 लाख करोड़ से अधिक हुआ।<br>• इसी तरह, FPIs ने अकेले मार्च 2020 में 1.18 लाख करोड़ रुपये निकाले - जिस महीने भारत ने देशव्यापी |

| | |
|---|---|
| | तालाबंदी की घोषणा की थी।<br>**FPI भारतीय होल्डिंग्स क्यों बेच रहे हैं?**<br>● महामारी के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार असमान रहा है।<br>● वर्ष 2021 में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर ने जीवन और आजीविका को बर्बाद कर दिया।<br>● इस चुनौती के साथ रूस का यूक्रेन पर आक्रमण हुआ।<br>● इन दोनों देशों से सूरजमुखी और गेहूं की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे इन फसलों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि हुई।<br>● दुनिया भर में आम तौर पर आपूर्ति सख्त होने के कारण, कमोडिटी की कीमतों में भी वृद्धि हुई और समग्र मुद्रास्फीति में तेजी आई।<br>● महामारी से पूर्ण और अंतिम रूप से उबरने का भरोसा दिए बिना औद्योगिक उत्पादन में उछाल देखा गया है।<br>o परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) जून में घटकर **53.9** पर आ गया, जो पिछले महीने के **54.6** से नौ महीने में सबसे निचला स्तर है।<br>● मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के विश्वास में इस गिरावट में योगदान देने वाले इन कारकों में से प्रत्येक के साथ, एफपीआई इन पिछले महीनों में बाजार निवेश से बाहर हो रहे हैं।<br>● इसे जोड़ना यू.एस. फेडरल रिजर्व द्वारा बेंचमार्क ब्याज दर को बढ़ाना है।<br>● यदि डॉलर रुपये के मुकाबले मजबूत होता है, तो एक निवेशक को रुपये की परिसंपत्तियों की एक निश्चित मात्रा के लिए कम डॉलर का एहसास होता है।<br>● फिर वे भारत, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों जैसे 'जोखिम भरे' के रूप में देखी जाने वाली संपत्तियों से बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखते हैं।<br>● डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, जिसमें कई अन्य मुद्राओं के मुकाबले सामान्य मजबूती देखी गई है।<br>**एफपीआई की बिकवाली का क्या असर होता है?**<br>● जब एफपीआई अपनी धारिता बेचते हैं और धन को अपने घरेलू बाजारों में वापस भेजते हैं, तो स्थानीय मुद्रा प्रभावित होती है।<br>● जैसे-जैसे बाजार में रुपये की आपूर्ति बढ़ती है, उसका मूल्य घटता जाता है।<br>● कमजोर रुपये के साथ, देश को सामान की एक ही इकाई के आयात के लिए अधिक धन खर्च करना पड़ता है। |
| **रुपये की गिरावट और विदेशी मुद्रा प्रवाह को रोकने के लिए आरबीआई ने मानदंडों में ढील दी** | **चर्चा में क्यों:** रुपये में गिरावट को रोकने और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए, आरबीआई ने कई उपायों की घोषणा की।<br>● अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया **4.1** प्रतिशत की गिरावट के साथ **79.30** पर आ गया।<br>● विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने छह महीनों में **2.32** लाख करोड़ रुपये निकाले, और पिछले नौ महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार से **50** अरब डॉलर की निकासी की गई।<br>**उपाय**<br>● आरबीआई ने अस्थायी रूप से बैंकों को मौजूदा ब्याज दर नियमों को ध्यान में रखे बिना नए एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमा करने की अनुमति दी है।<br>● 31 अक्टूबर, 2022 तक किए गए सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई द्वारा किए गए निवेश को इस अल्पकालिक सीमा से छूट दी जाएगी। |

| | |
|---|---|
| | • वर्तमान में, G-सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड में से प्रत्येक में 30 प्रतिशत से अधिक निवेश की शेष परिपक्वता एक वर्ष से कम नहीं हो सकती है।<br>• एफपीआई को 31 अक्टूबर, 2022 तक एक सीमित विंडो प्रदान की जाएगी, जिसके दौरान वे एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ वाणिज्यिक पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसे कॉर्पोरेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं।<br>• एफपीआई अपनी परिपक्वता या बिक्री तक इन लिखतों में निवेश करना जारी रख सकते हैं।<br>• केंद्रीय बैंक ने ईसीबी के लिए स्वचालित मार्ग के तहत सीमा $750 मिलियन प्रति वित्तीय वर्ष से बढ़ाकर $1.5 बिलियन करने का निर्णय लिया।<br>• ईसीबी संरचना के तहत समग्र लागत सीमा को भी 100 आधार अंकों तक बढ़ाया जा रहा है, बशर्ते उधारकर्ता निवेश ग्रेड रेटिंग का हो।<br>• आगे की वृद्धिशील एफसीएनआर (बी) और एनआरई जमाराशियों को नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव से छूट दी जाएगी।<br>• यह छूट, जो अनिवासी भारतीयों के रिटर्न में इजाफा करेगी।<br>**बाहरी वाणिज्यिक उधार**<br>• ईसीबी एक न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ एक अनिवासी ऋणदाता से एक भारतीय इकाई द्वारा लिया गया ऋण है।<br>**ईसीबी के लाभ:**<br>• बाह्य वाणिज्यिक उधार बड़ी मात्रा में निधियां उधार लेने का अवसर प्रदान करते हैं।<br>• फंड अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए उपलब्ध हैं।<br>• घरेलू फंडों की तुलना में ब्याज दरें भी कम हैं।<br>• ईसीबी विदेशी मुद्रा के रूप में हैं। इसलिए, वे कॉरपोरेट को मशीनरी आदि के आयात को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाते हैं।<br>**विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता**<br>• एफसीएनआर (बी) खाते एनआरआई और विदेशी कॉर्पोरेट निकायों (ओसीबी) द्वारा अधिकृत डीलर के साथ खोले जा सकते हैं।<br>• इन खातों पर लागू ब्याज दर समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हैं।<br>**एनआरई खाते**<br>• एनआरई खाते एनआरआई और ओसीबी द्वारा अधिकृत डीलरों और आरबीआई द्वारा अधिकृत बैंकों के साथ खोले जा सकते हैं।<br>• ये बचत, चालू, आवर्ती या सावधि जमा खातों के रूप में हो सकते हैं। किसी भी अनुमत मुद्रा में जमा की अनुमति है।<br>• इन खातों पर लागू ब्याज दर समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हैं। |
| **बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल** | **चर्चा में क्यों:** पिछले दशक के बेहतर हिस्से के लिए सार्वजनिक धन के माध्यम से राजमार्ग परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के बाद, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल का उपयोग करके निजी निवेश के माध्यम से वित्त पोषण पर लौटने के लिए तैयार है।<br>• विगत कुछ वर्षों में, विशेष रूप से महामारी के प्रारंभ के पश्चात से, NHAI ने हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM) के तहत परियोजनाओं की पेशकश का सहारा लिया, जो सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को धन सुनिश्चित करता है, |

जिससे इसे कुछ हद तक वित्तीय जोखिम से बचाया जा सके।

- बीओटी (टोल) मॉडल सड़क परियोजनाओं के लिए पसंदीदा मॉडल था, जो वर्ष 2011-12में प्रदान की गई सभी परियोजनाओं का 96%हिस्सा था। लेकिन यह धीरे-धीरे घटकर शून्य हो गया। HAM को डिजाइन और अपनाया गया था।

**निवेश मॉडल के प्रकार**

**सार्वजनिक निवेश मॉडल:**

- इस मॉडल में सरकार को निवेश के लिए राजस्व की आवश्यकता होती है जो मुख्य रूप से करों के माध्यम से आता है।
- उचित रूप से लक्षित सार्वजनिक निवेश आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने, समग्र मांग को शीघ्रता से उत्पन्न करने, मानव पूंजी में सुधार करके उत्पादकता वृद्धि और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देता है।

**निजी निवेश मॉडल:**

- निजी निवेश घरेलू या अंतरराष्ट्रीय बाजार का स्रोत हो सकता है।
- विदेश से निजी निवेश एफडीआई या एफपीआई के रूप में है।

**सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल:**

- पीपीपी सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच सार्वजनिक संपत्ति और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिए एक व्यवस्था है।
- पीपीपी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे सड़कों, पुलों, या अस्पतालों को निजी वित्त पोषण से पूरा करने की अनुमति देता है।
- पीपीपी के आम तौर पर अपनाए गए मॉडल में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मॉडल, बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी), बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (बीओएलटी), हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल आदि शामिल हैं।

**पीपीपी मॉडल**

**इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC)**

- ईपीसी मॉडल साझेदारी के लिए सरकार को परियोजना का कुल वित्त पोषण करने की आवश्यकता है जबकि निजी क्षेत्र के भागीदार इंजीनियरिंग और निर्माण आवश्यकताओं को प्रदान करते है।
- इस मॉडल के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- सरकार निजी कंपनियों से इंजीनियरिंग कार्य के लिये बोलियाँ आमंत्रित करती है। कच्चे माल की खरीद और निर्माण लागत सरकार द्वारा वहन की जाती है।
- डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक, ईपीसी निजी क्षेत्र सभी गतिविधियों और परियोजना को सरकार को सौंपने के लिए जिम्मेदार है।

**बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी)**

- यह पारंपरिक पीपीपी मॉडल है जिसमें निजी भागीदार डिजाइन, निर्माण, संचालन (अनुबंधित अवधि के दौरान) और सार्वजनिक क्षेत्र को सुविधा वापस स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होते है।
- निजी क्षेत्र के भागीदार को परियोजना के लिए धन लगाना पड़ेगा और इसके निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के भागीदार को उपयोगकर्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमति देगा।

**बिल्ड-ऑपरेट-लीज-ट्रांसफर (BOLT)**

| | |
|---|---|
| | • इस मॉडल में सरकार निजी साझेदार को सार्वजनिक हित की सुविधाओं के निर्माण हेतु कुछ रियायतें देती है, साथ ही इसके डिज़ाइन, स्वामित्त्व, सार्वजनिक क्षेत्र के पट्टे का अधिकार भी देती है।<br>**हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (HAM)**<br>• इसमें सरकार शुरुआत में एक निश्चित राशि में और फिर बाद में एक परिवर्तनीय राशि में भुगतान करती है।<br>• भारत में नया HAM BOT-एन्युइटी और EPC मॉडल का मिश्रण है।<br>• इस मॉडल के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान (वार्षिक वृत्ति) के माध्यम से प्रथम पांच वर्षों में परियोजना लागत का 40% योगदान देगी। शेष 60% का भुगतान सृजित परिसंपत्ति एवं निजी कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।<br>• बाद के चरण में किया गया भुगतान सृजित संपत्ति और डेवलपर के प्रदर्शन पर आधारित होगा।<br>• इस मॉडल के तहत निजी कंपनी के लिए पथ कर (टोल राइट) संबंधी कोई अधिकार नहीं है।<br>• राजस्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा एकत्र किया जाता है और निजी कंपनियों को 15-20 वर्षों के लिए किश्तों में वापस किया जाता है।<br>**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)**<br>• यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है।<br>• NHAI केंद्र सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है, जो भारत में 70,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।<br>• यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के माध्यम से स्थापित किया गया था।<br>• वर्ष 1995 में, इसे औपचारिक रूप से एक स्वायत्त निकाय बनाया गया था।<br>• यह राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। |
| **यील्ड इनवर्जन, सॉफ्ट-लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर (Yield inversion, soft-landing and reverse currency wars)** | **चर्चा में क्यों:** हाल के दिनों में तीन आर्थिक शर्तों ने ध्यान आकर्षित किया है।<br>• रिवर्स करेंसी वॉर के रूप में देखा जा रहा है, दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक फेड के कार्यों का मुकाबला करने के लिए अपनी ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और डॉलर के मुकाबले अपने संबंधित करेंसी क्लॉज़ वापस मूल्य सुनिश्चित कर रहे हैं।<br>• तीन प्रमुख शब्द हैं जिन्हें आने वाले दिनों में बार-बार सुनने की संभावना है: यील्ड इनवर्जन, सॉफ्ट-लैंडिंग और रिवर्स करेंसी वॉर।<br>**इनवर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व**<br>• प्रतिफल वक्र बढ़ती परिपक्वता के बांडों पर ब्याज दरों को दर्शाता है।<br>• एक इनवर्टेड यील्ड कर्व तब होता है जब अल्पकालिक ऋण साधन समान क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल के दीर्घकालिक साधनों की तुलना में अधिक प्रतिफल देते हैं।<br>• उलटा यील्ड घटता असामान्य है क्योंकि लंबी अवधि के कर्ज में अधिक जोखिम और उच्च ब्याज दरें होनी चाहिए, इसलिए जब वे होते हैं तो उपभोक्ताओं और निवेशकों के लिए समान रूप से प्रभाव पड़ता है।<br>• एक इनवर्टेड यील्ड कर्व आसन्न मंदी के सबसे विश्वसनीय अग्रणी संकेतकों में से एक है।<br>**सॉफ्ट लैंडिंग (Soft-landing)**<br>• यह आर्थिक विकास में एक चक्रीय मंदी है जो मंदी से बचाती है।<br>• सॉफ्ट लैंडिंग एक केंद्रीय बैंक का लक्ष्य होता है, जब वह किसी अर्थव्यवस्था को अत्यधिक मंदी और उच्च |

| | |
|---|---|
| | मुद्रास्फीति का सामना करने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से ब्याज दरों में बिना गंभीर मंदी के वृद्धि करना चाहता है।<br>• सॉफ्ट लैंडिंग किसी विशेष उद्योग या आर्थिक क्षेत्र में एक क्रमिक, अपेक्षाकृत कठिनाई रहित मंदी का भी उल्लेख कर सकती है।<br>• जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयाँ मंदी लाती हैं, तो इसे हार्ड-लैंडिंग कहा जाता है।<br>**रिवर्स करेंसी वॉर**<br>• जैसे-जैसे अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व सिस्टम की दर बढ़ती जाती है, निवेशक इसे अधिक आकर्षक और कम जोखिम भरा पाता है। इसलिए, अधिक से अधिक निवेशक अमेरिका में पैसा लगाने के लिए दौड़ रहे हैं।<br>• परिणामस्वरूप, इस स्थिति ने डॉलर को अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में मजबूत बना दिया है।<br>• प्रत्येक केंद्रीय बैंक, US FED का मुकाबला करने और खुद की ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी मुद्रा का डॉलर के मुकाबले बहुत अधिक मूल्य-ह्रास नहीं हो। इसे 'रिवर्स करेंसी वॉर' कहा गया है<br>• ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रा जो डॉलर के मुकाबले मूल्य खो रही है, दूसरी ओर, पता चलता है कि कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं का आयात करना महंगा हो रहा है जिनका अक्सर डॉलर में कारोबार होता है। |
| **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)** | **चर्चा में क्यों:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को थोक और खुदरा क्षेत्रों के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू करने की प्रक्रिया में है।<br>• वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में सीबीडीसी की शुरूआत की घोषणा की गई थी और वित्त विधेयक 2022 के पारित होने के साथ आरबीआई अधिनियम, 1934 के संबंधित खंड में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।<br>• सीबीडीसी एक संप्रभु समर्थित डिजिटल मुद्रा होगी।<br>**सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)**<br>• CBDC कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है।<br>• इसका मुख्य उद्देश्य जोखिम का शमन और वास्तविक मुद्रा के प्रबंधन, पुराने नोटों को चरणबद्ध तरीके से हटाने, परिवहन, बीमा एवं रसद से जुड़े लागत को कम करना है।<br>• यह धन हस्तांतरण के साधन के रूप क्रिप्टोकरेंसी से लोगों को दूर भी रखेगा।<br>**<u>प्रवृति</u>**<br>**परंपरा और नवोन्मेष का संयोजन**<br>• CBDC मुद्रा प्रबंधन लागत को कम करके धीरे-धीरे आभासी मुद्रा की ओर एक सांस्कृतिक बदलाव ला सकता है।<br>**सीमा-पार आसानी से भुगतान :**<br>• CBDC एक विश्वसनीय संप्रभु समर्थित घरेलू भुगतान और निपटान प्रणाली को आंशिक रूप से कागजी मुद्रा को प्रतिस्थापित करने के लिये एक आसान साधन प्रदान कर सकता है।<br>• इसका उपयोग सीमा-पार भुगतान (Cross-Border Payments) के लिये भी किया जा सकता है; यह सीमा-पार भुगतानों के निपटान के लिये कोरेस्पोंडेंट बैंकों के महंगे नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर सकता है।<br>**वित्तीय समावेशन:**<br>• बेहतर कर एवं नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु असंगठित अर्थव्यवस्था को संगठित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाने के लिये कई अन्य वित्तीय गतिविधियों के संबंध में भी CBDC के बढ़ते उपयोग की तलाश की जा सकती है।<br>• यह वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। |

| | |
|---|---|
| | **चुनौतियाँ:**<br>**गोपनीयता से संबद्ध मुद्दे :**<br>• उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के लिए उच्च जोखिम- यह देखते हुए कि केंद्रीय बैंक संभावित रूप से उपयोगकर्ता लेनदेन के संबंध में भारी मात्रा में डेटा को संभाल सकता है।<br>• इसके गंभीर निहितार्थ हैं क्योंकि नकदी लेन-देन की तुलना में डिजिटल मुद्राओं का लेन-देन उपयोगकर्त्ताओं की गोपनीयता की उस स्तर तक सुरक्षित करने में सक्षम नहीं हैं।<br>**बैंकों का मध्यस्थता:**<br>• CBDC में बदलाव से बैंक की क्रेडिट मध्यस्थता में धन वापस करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।<br>**अन्य जोखिम :**<br>• प्रौद्योगिकी का तीव्र अप्रचलन CBDCs पारिस्थितिकी तंत्र के लिये खतरा पैदा कर सकता है; परिणामस्वरूप उन्नयन की उच्च लागत को वहन करना पड़ सकता है।<br>• मध्यस्थों के परिचालन जोखिम के रूप में कर्मचारियों को CBDCs के अनुकूल कार्य करने के लिये फिर से प्रशिक्षित और तैयार करना होगा।<br>• उन्नत साइबर सुरक्षा जोखिम भेद्यता परीक्षण और फायरवॉल की सुरक्षा की लागत।<br>• CBDCs के प्रबंधन में केंद्रीय बैंक के लिये परिचालन बोझ और लागत।<br>**आगे की राह**<br>• डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित करना होगा। इस प्रकार, सही तकनीक को नियोजित करना महत्वपूर्ण है जो सीबीडीसी के मुद्दे का समर्थन करेगा।<br>• डिजिटल मुद्रा लेनदेन पर एकत्रित वित्तीय डेटा प्रकृति में संवेदनशील होगा, और सरकार को नियामक डिजाइन के माध्यम से सावधानी से सोचना होगा। इसके लिए बैंकिंग और डेटा सुरक्षा नियामकों के बीच घनिष्ठ संपर्क की आवश्यकता होगी।<br>• साथ ही, संस्थागत तंत्रों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि विभिन्न नियामकों के बीच कोई ओवरलैप न हो और डिजिटल मुद्राओं के डेटा उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई का एक स्पष्ट पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। |
| **भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (IIBE)** | **चर्चा में क्यों:** भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX),भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज और NSE IFSC-SGX कनेक्ट लॉन्च किया।<br>• भारत विश्व में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और IIBX की स्थापना के कदम को कीमती धातु के लिए बाजार में पारदर्शिता लाने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।<br>• IIBX की स्थापना से देश में सोने का मानक मूल्य निर्धारण हो सकता है और छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वैलर्स के लिए कीमती धातु में व्यापार करना आसान हो सकता है।<br>**इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)**<br>• यह एक ऐसा मंच है जो न केवल ज्वैलर्स को एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए नामांकित करता है, बल्कि भौतिक सोने और चांदी के भंडारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा भी स्थापित करता है।<br>• यह भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा, जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करता है।<br>• IFSCA को IIBX के माध्यम से सीधे सोना आयात करने के लिए भारत में योग्य ज्वैलर्स को सूचित करने का काम |

सौंपा गया है।

**अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA)**

- IFSCA गांधीनगर के GIFT शहर में IFSC में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण के रूप में काम करता है।

**NSE IFSC-SGX कनेक्ट**

- यह गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड (एसजीएक्स) में एनएसई की सहायक कंपनी के बीच एक संरचना है।
- इस कनेक्ट के तहत, सिंगापुर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा दिए गए निफ्टी डेरिवेटिव पर सभी ऑर्डर NSE IFSC ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रूट और मैच किए जाएंगे।
- भारत और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों के ब्रोकर-डीलरों से कनेक्ट के माध्यम से डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है।
- यह GIFT-IFSC में डेरिवेटिव बाजारों में तरलता को गहरा करेगा, और अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को लाएगा तथा GIFT-IFSC में वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा।

**गिफ्ट सिटी**

- GIFT (Gujarat International Finance Tec-City) City गांधीनगर, गुजरात में स्थित है।
- इसमें एक बहु-सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) शामिल है, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) है।
- गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) को न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया है।

## अंतरराष्ट्रीय संबंध

| | |
|---|---|
| **लंकांग-मेकांग सहयोग (Lancang-Mekong Cooperation)** | **चर्चा में क्यों:** म्यांमार की सैन्य सरकार ने पिछले साल सेना के सत्ता में आने के बाद पहली उच्च स्तरीय क्षेत्रीय बैठक की मेजबानी की।<br>**लंकांग-मेकांग सहयोग:**<br>● लंकांग-मेकांग सहयोग एक बहुपक्षीय प्रारूप है जिसकी स्थापना 2016 में लंकांग और मेकांग नदियों के तटवर्ती राज्यों के बीच सहयोग के लिए की गई थी।<br>● लंकांग मेकांग का वह भाग है जो चीन से होकर बहती है।<br>● इसमें चीन, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।<br>● इस प्रारूप का केंद्रीय उद्देश्य चीन के लिए अन्य तटवर्ती राज्यों के साथ अपने जलविद्युत बांधों से जल प्रवाह का प्रबंधन करना है।<br>● लंकांग-मेकांग देशों द्वारा लघु और मध्यम आकार की परियोजनाओं में सहायता के लिए वर्ष 2016 में LMC स्पेशल फंड बनाया गया था।<br> |
| **भारत-ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी** | **चर्चा में क्यों:** भारत और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए परियोजनाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया।<br>**महत्वपूर्ण खनिज क्या हैं?**<br>● महत्वपूर्ण खनिज ऐसे तत्व हैं जो आवश्यक आधुनिक प्रौद्योगिकियों के निर्माण खंड हैं, और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के खतरे में हैं।<br>● इनका इस्तेमाल मोबाइल बनाने से लेकर कंप्यूटर, बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित तकनीक जैसे सोलर पैनल और विंड टर्बाइन बनाने तक हर जगह उपयोग किया जाता है।<br>● इसमें ज्यादातर ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट शामिल हैं, जिनका उपयोग ईवी बैटरी बनाने के लिए किया जाता |

| | |
|---|---|
| | है; दुर्लभ मृदा जिनका उपयोग मैग्नेट और सिलिकॉन बनाने के लिए किया जाता है जो कंप्यूटर चिप्स और सौर पैनल बनाने के लिए एक प्रमुख खनिज है।<br>**यह संसाधन महत्व पूर्ण क्यों है?**<br>● जैसे-जैसे दुनिया भर के देश स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर अपने संक्रमण को बढ़ा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण संसाधन उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं जो इस परिवर्तन को बढ़ावा देता है।<br>● कोई भी आपूर्ति झटका महत्वपूर्ण खनिजों की खरीद के लिए दूसरों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था और सामरिक स्वायत्तता को गंभीर रूप से संकट में डाल सकता है।<br>● लेकिन ये आपूर्ति जोखिम दुर्लभ उपलब्धता, बढ़ती मांग और जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के कारण मौजूद हैं।<br>● कई बार, शत्रुतापूर्ण शासन या राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों के कारण जटिल आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है।<br>**क्या है चीन का 'खतरा'?**<br>● 2019 यूएसजीएस (यूएस जियोलॉजिकल सर्वे) मिनरल कमोडिटी सारांश रिपोर्ट के अनुसार, चीन 16 महत्वपूर्ण खनिजों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है।<br>● अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका पर एक रिपोर्ट के अनुसार, चीन 2019 में कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के वैश्विक उत्पादन के क्रमशः 70% और 60% के लिए जिम्मेदार है।<br>● प्रसंस्करण कार्यों के लिए एकाग्रता का स्तर और भी अधिक है, जहां चीन की मजबूत उपस्थिति है। रिफाइनिंग में चीन का हिस्सा निकेल के लिए लगभग 35%, लिथियम और कोबाल्ट के लिए 50-70% और रेयर एअर्थ तत्वों के लिए लगभग 90% है।<br>● यह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कोबाल्ट खानों को भी नियंत्रित करता है, जहां से इस खनिज का 70% स्रोत प्राप्त किया जाता है।<br>● वर्ष 2010 में, चीन ने एक क्षेत्रीय विवाद के कारण जापान को दुर्लभ मृदा के निर्यात को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया।<br>● इस फैसले ने RREs के बाजार मूल्य को 60% से 3500% के बीच कहीं भी उछाल दिया। |
| **I2U2** | **चर्चा में क्यों:** भारत के प्रधानमंत्री ने समूह के अन्य सदस्यों के प्रमुखों के साथ पहली बार **I2U2** वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।<br>**I2U2 का क्या अर्थ है?**<br>● I2U2 भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के लिए स्टैंड है, और इसे 'पश्चिम एशियाई क्वाड' भी कहा जाता है।<br>● भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त आभासी शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, इजरायल के प्रधानमंत्री यायर लापिड और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भाग लिया।<br>**I2U2 समूहन का उद्देश्य क्या है?**<br>● इसका उद्देश्य पारस्परिक हित के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करना, उससे संबंधित क्षेत्रों और उसके बाहर व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है।<br>● देशों द्वारा परस्पर सहयोग के छह क्षेत्रों की पहचान की गई है, और इसका उद्देश्य जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है।<br>● निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता की मदद से, देश बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करेंगे, उद्योगों के लिए कम |

| | |
|---|---|
| | कार्बन विकास के रास्ते तलाशेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, और महत्वपूर्ण उभरती एवं हरित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देंगे।<br>**भारत के लिए महत्वपूर्ण बातें:**<br>● संयुक्त अरब अमीरात सम्पूर्ण भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए 2 बिलियन अमरीकी डालर का निवेश करेगा जिसमें खाद्य अपशिष्ट और खराब होने को कम करने, ताजे पानी के संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को नियोजित करने के लिए अत्याधुनिक जलवायु-स्मार्ट प्रौद्योगिकियों को शामिल किया जाएगा।<br>● I2U2 समूह गुजरात में एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को भी आगे बढ़ाएगा, जिसमें 300 मेगावाट (मेगावाट) पवन और सौर क्षमता शामिल है, जो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली द्वारा पूरक है।<br>● नेताओं ने जलवायु पहल के लिए कृषि नवाचार मिशन (जलवायु के लिए AIM) में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और इज़राइल में शामिल होने में भारत की रुचि का भी स्वागत किया।<br>**जलवायु के लिए AIM के बारे में**<br>● जलवायु के लिए कृषि नवाचार मिशन (AIM फॉर क्लाइमेट / AIM4C) संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है।<br>● जलवायु के लिए AIM पांच वर्षों (2021 - 2025) में जलवायु-स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार में निवेश और अन्य समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए प्रतिभागियों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन तथा वैश्विक भूख को संबोधित करना चाहता है। |

## इतिहास, कला और संस्कृति

**सन्नति (Sannati)**

**चर्चा में क्यों:** दो दशकों तक शायद ही ध्यान दिया गया हो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अब कलबुर्गी के पास इस महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल पर संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है।

- कलबुर्गी जिले में कनगनहल्ली (सन्नति स्थल का हिस्सा) के पास भीमा नदी के तट पर प्राचीन बौद्ध स्थल पर आखिरकार कुछ ध्यान गया है।
- अब शुरू की गई संरक्षण परियोजना में उत्खनन में प्राप्त महा स्तूप के अवशेषों को फिर से स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
- स्तूप का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध चूना पत्थर से किया गया था।

**इस जगह के बारे में**

- सन्नति और कनगनहल्ली **1986** तक भीमा के तट पर छोटे और साधारण गाँव थे, जब सन्नति में चंद्रलाम्बा मंदिर परिसर में काली मंदिर ढह गया।
- मलबे को साफ करने की प्रक्रिया में, उन्होंने अशोक के एक शिलालेख की खोज की जिसने गांवों को विश्व मानचित्र पर रखा और मौर्य सम्राट अशोक एवं बौद्ध धर्म के प्रारंभिक वर्षों में ऐतिहासिक शोध के नए रास्ते खोले।
- इसने सन्नति और निकटवर्ती कनागनहल्ली में एएसआई उत्खनन को प्रेरित किया और पूरे भारत और उसके बाहर के इतिहासकारों को आकर्षित किया।

**कानागनहल्ली उत्खनन**

- स्थानीय ग्रामीणों की नज़र में एक 'छोटा कुआँ' शानदार महा स्तूप निकला, जिसे शिलालेखों में अधोलोक महा चैत्य के रूप में संदर्भित किया गया था।
- और अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सम्राट अशोक का पत्थर-चित्र, उनकी रानियों और महिला परिचारकों से घिरा हुआ है।

| | |
|---|---|
| | • जबकि स्तूप को अपने समय का सबसे बड़ा माना जाता है, पत्थर-चित्र को मौर्य सम्राट की एकमात्र जीवित छवि माना जाता है, जिस पर ब्राह्मी में 'राय अशोक' शिलालेख था।<br>• माना जाता है कि महा स्तूप को तीन निर्माण चरणों में विकसित किया गया था – मौर्य, प्रारंभिक सातवाहन और बाद में सातवाहन काल जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक फैला था। माना जाता है कि स्तूप भूकंप में नष्ट हो गया था।<br>**रिकवरी में शामिल हैं:**<br>o लगभग 60 गुम्बद के स्लैब जातक कहानियों के मूर्तिकलात्मक प्रतिपादन के साथ, अशोक के चित्र, शतवाहन सम्राट और अशोक द्वारा विभिन्न भागों में भेजे गए बौद्ध मिशनरियों के कुछ अद्वितीय चित्रण ;<br>o विभिन्न प्रकार के धर्म-चक्रों, स्तूपों, प्रथम उपदेश, बोधि-वृक्ष, नागा मुचुलिंडा, विहार परिसरों से सजाए गए 72 ड्रम-स्लैब;<br>o बुद्ध की 10 से अधिक उत्कीर्ण मूर्तियां, एक दर्जन से अधिक बुद्ध-पद;<br>o अयाक स्तंभों के टुकड़े, छत्र के पत्थर और शाफ्ट, यक्ष और शेर की मूर्तियों के हिस्से और विभिन्न पुरालेखीय विशेषताओं के साथ 250 ब्राह्मी शिलालेख। |
| **अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति** | **चर्चा में क्यों:** भारत को वर्ष 2022-2026 कि अवधि के लिये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर-सरकारी समिति के लिये चुना गया है।<br>• भारत ने 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक दो बार ICH समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।<br>**अंतरसरकारी समिति:**<br>• वर्ष 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति में 24 सदस्य होते हैं और इसे कन्वेंशन की आम सभा में चुना जाता है।<br>• समिति के सदस्य चार साल की अवधि के लिये चुने जाते हैं।<br>• समिति के मुख्य कार्यों में कन्वेंशन के उद्देश्यों को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के उपायों पर सिफारिशें करना शामिल है।<br>• समिति सूची में अमूर्त विरासत के शिलालेख के साथ-साथ कार्यक्रमों और परियोजनाओं के प्रस्तावों के लिए राज्यों के दलों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की भी जांच करती है।<br>• भारत ने सितंबर 2005 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए 2003 के कन्वेंशन की पुष्टि की।<br>• मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 14 शिलालेखों के साथ, भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी उच्च स्थान पर है।<br>• वर्ष 2021 में दुर्गा पूजा के शिलालेख के बाद, भारत ने वर्ष 2023 में चर्चा के लिए गुजरात के गरबा के लिए नामांकन प्रस्तुत किया। |

## भूगोल

**डेरेचो (Derecho)**

**चर्चा में क्यों:** हाल ही में अमेरिका के कुछ राज्य डेरेचो नामक तूफान की चपेट में आ गए, जिससे आसमान का रंग हरा हो गया।

**डेरेचो क्या है?**

- अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार डेरेचो व्यापक, लंबे समय तक रहने वाला सीधी रेखा वाला तूफान है जो तेज़ बरसात और गरज के साथ आता है।
- यह नाम स्पेनिश शब्द 'ला डेरेचा' से आया है जिसका अर्थ है 'सीधा'।
- सीधी रेखा के तूफान वे होते हैं जिनमें गरज के साथ तूफान के विपरीत कोई घूर्णन नहीं होता है। ये तूफान सैकड़ों मील की यात्रा करते हैं और एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हैं।
- गर्म-मौसम की घटना होने के कारण, डेरेचो आम तौर पर - हमेशा नहीं - मई से शुरू होने वाले गर्मियों के दौरान होता है, जिसमें जून और जुलाई में सबसे अधिक हिटिंग होती है।
- बवंडर या तूफान जैसे अन्य तूफान प्रणालियों की तुलना में यह एक दुर्लभ घटना है।
- एक सीधा तूफान डेरेचो होने के लिए, इसकी हवा की गति कम से कम 93 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए और इस तूफान का प्रभाव 400 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में दिखाई देना चाहिए

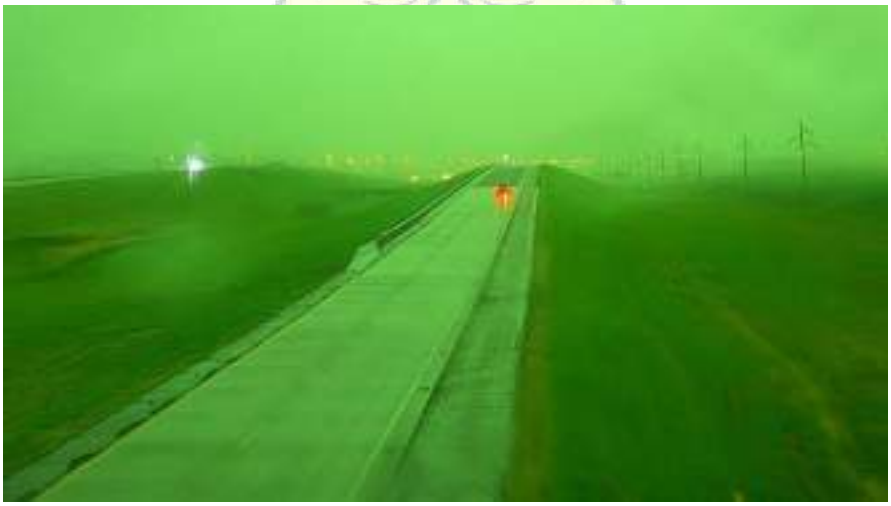

**हाल ही में अमेरिका में आए डेरेचो के दौरान आसमान हरा क्यों हो गया?**

- तेज बारिश वाले तूफान आसमान का रंग हरा कर देते हैं। इसके पीछे उनमें मौजूद भारी मात्रा में पानी की प्रकाश से हुई अंतरक्रिया जिम्मेदार होती है।
- बड़ी बूंदे और ओले प्रकाश को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन इससे नीला प्रकाश नहीं फैलता है।
- इससे नीले रंग की तरंगें बादलों के अंदर चली जाती हैं और फिर दोपहर या शाम के लालपीले रंग से मिल जाती है जिसके कारण आसमान हरे रंग का दिखाई देने लगता है।

**विभिन्न प्रकार के डेरेचो**

- डेरेचो तीन तरह के होते हैं- प्रोग्रेसिव, सीरियल और हाइब्रिड।
- प्रोग्रेसिव डेरेचो तूफानी आंधीं की छोटी कतार से जुड़े होते हैं जो सैकड़ों मील लंबी लेकिन संकरी हो सकती है। ये

| | |
|---|---|
| | गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलते हैं।<br>• वहीं सीरियल डेरेचो की लंबी और चौड़ी रेखा होती है जो एक बड़ा इलाका घेरती है। इस तरह के डेरोचो वसंत या पतझड़ में देखने को मिलते हैं।<br>• हाइब्रिड डेरेचो दोनों का मिला जुला रूप होता है।<br>**डेरेचो आमतौर पर कहाँ होते हैं?**<br>• वे ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य और पूर्वी भागों में पाए जाते हैं।<br>• डेरेचो को भी दुनिया भर में कहीं और प्रलेखित किया गया है। वर्ष 2010 में, रूस ने अपना पहला प्रलेखित डेरेचो देखा। वे जर्मनी और फ़िनलैंड और हाल ही में बुल्गारिया और पोलैंड में भी आये हैं। |
| **बादल फटना (Cloudbursts)** | **चर्चा में क्यों:** अमरनाथ, जम्मू-कश्मीर में अत्यधिक स्थानीय बारिश से बाढ़ आई और जानमाल का नुकसान हुआ।<br>**बादल फटना क्या है**?<br>• बादल फटना बारिश की अत्यधिक मात्रा को संदर्भित करता है जो कम समय में होती है, कभी-कभी ओले और गरज के साथ।<br>• भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) इसे लगभग 20 से 30 वर्ग किमी के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिमी (या 10 सेमी) प्रति घंटे से अधिक अप्रत्याशित वर्षा के रूप में परिभाषित करता है।<br>• मूल रूप से, बादल फटने के सभी उदाहरणों में कम अवधि में भारी बारिश शामिल है, लेकिन कम अवधि में भारी बारिश के सभी उदाहरण बादल फटने नहीं हैं यदि वे इस मानदंड के अनुरूप नहीं हैं।<br>**पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फटने की घटना क्यों होती है?**<br>• बहुत छोटे क्षेत्र से संबंधित उनकी परिभाषा के कारण, तुरंत बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी और पहचान करना मुश्किल है।<br>• हालांकि, वे मुख्य रूप से इलाके और ऊंचाई के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में होने की अधिक संभावना है।<br>• इसका कारण यह है किपहाड़ी क्षेत्रों में, कभी-कभी बारिश में संघनित होने के लिए तैयार संतृप्त बादल हवा के बहुत गर्म प्रवाह के ऊपर की ओर बढ़ने के कारण बारिश नहीं कर सकते हैं।<br>• वर्षा की बूंदों को नीचे की ओर गिरने की बजाय वायु धारा द्वारा ऊपर की ओर ले जाया जाता है। नई बूँदें बनती हैं और मौजूदा वर्षा की बूँदें आकार में बढ़ जाती हैं।<br>• एक बिंदु के बाद, बारिश की बूँदें इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल को रोक नहीं पाता है, और वे एक त्वरित फ्लैश में एक साथ नीचे गिर जाती हैं। |
| **पार्सल आईलैंड्स (Paracel Islands)** | **चर्चा में क्यों:** हाल ही में, एक अमेरिकी विध्वंसक दक्षिण चीन सागर में विवादित पार्सल द्वीप समूह के पास रवाना हुआ, जिससे बीजिंग से नाराज प्रतिक्रिया हुई।<br>• संयुक्त राज्य अमेरिका नियमित रूप से दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन संचालन की स्वतंत्रता कहता है, जो चीन और अन्य दावेदारों द्वारा लगाए गए निर्दोष मार्ग पर प्रतिबंध को चुनौती देता है।<br>• 11 जुलाई को एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के उस फैसले की छठी वर्षगांठ थी, जिसने दक्षिण चीन सागर पर चीन के व्यापक दावों को अमान्य कर दिया, जो हर साल लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के जहाज-जनित व्यापार के लिए एक पाइपलाइन है।<br>• चीन ने कभी भी इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है।<br>**चीन का दावा:** |

- चीन, पार्सल द्वीप समूह सहित लगभग संपूर्ण दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है।
- हालांकि, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं, माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार होने का अनुमान है।

**दक्षिण चीनसागर**

- दक्षिण चीन सागर, दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है।
- यह पूर्वी चीन सागर से ताइवान जलसंधि द्वारा और फिलीपीन सागर से लूजॉन (Luzon) जलसंधि से जुड़ा हुआ है।
- सीमावर्ती देश (उत्तर से दक्षिण): चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम।
- **सामरिक महत्व:** इस सागर का हिंद महासागर और प्रशांत महासागर (मलक्का जलडमरूमध्य) के बीच संपर्क लिंक होने के कारण अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व है।

**द्वीपों पर चुनाव लड़ने का दावा:**

- पार्सल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है।
- स्प्रैटली द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है।
- स्कारबोरो सोल (Scarborough Shoal) द्वीप पर फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है।

**चीन का दावा:**

- चीन वर्ष 2010 से निर्जन छोटे-छोटे द्वीपों को संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UN Convention on the Law of the Sea-UNCLOS) के तहत लाने के लिये कृत्रिम द्वीपों में परिवर्तित कर रहा है।
- चीन चट्टानों की भौतिक भूमि विशेषताओं को संशोधित करके उनके आकार और संरचना को बदल रहा है। इसने पार्सल और स्प्रैटली पर अपनी हवाई पट्टी भी स्थापित की है।
- चीन के मछली पकड़ने वाले बेड़े मछली पकड़ने के वाणिज्यिक उद्यम के बजाय राज्य की ओर से अर्द्धसैनिक काम में लगाए गए हैं।
- अमेरिका इन कृत्रिम द्वीपों के निर्माण की आलोचना करता है और इसे चीन द्वारा बनाई गई 'रेत की एक महान दीवार' के रूप में प्रस्तुत करता है।

Disputed claims in the South China Sea
CHINA
TAIWAN
(Claims on Spratly Islands)
Chinese claim
Vietnamese claim
Philippines EEZ* claim
Paracel islands
Philippines Kalayaan** claim
Scarborough Shoal
VIETNAM
PHILIPPINES
Malaysian claim
Spratly Islands
Bruneian claim
BRUNEI
MALAYSIA
*Exclusive economic zone
**Kalayaan islands, Palawan province
Source: D.Rosenberg/MiddleburyCollege/HarvardAsiaQuarterly/Phil gov't
AFP

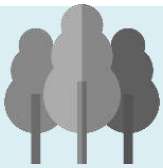

## पर्यावरण

**ESZ मामला: गाडगिल की WGEEP रिपोर्ट फिर से सुर्खियों में**

**चर्चा में क्यों:** केरल में संरक्षित क्षेत्रों के लिए कम से कम एक किलोमीटर इको-सेंसिटिव ज़ोन बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहस के रूप में, **WGEEP** रिपोर्ट, जिसे गाडगिल रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में वापस आ गई है।

**गाडगिल समिति की सिफारिशें:**

- पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल (WGEEP) ने पूरी पहाड़ी श्रृंखला को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के रूप में नामित किया।
- पैनल ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी घाट की सीमा में 142 तालुकों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESZ) 1, 2 और 3 में वर्गीकृत किया है।
- ESZ-1 उच्च प्राथमिकता वाला होने के कारण इसमें लगभग सभी विकासात्मक गतिविधियाँ (खनन, ताप विद्युत संयंत्र आदि) प्रतिबंधित थीं।
- गाडगिल रिपोर्ट ने सिफारिश की कि "पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 1 में बड़े पैमाने पर भंडारण पर आधारित किसी भी नए बांध की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- इसने ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण के बजाय नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण (ग्राम सभा से दाएं) के लिए कहा। इसने विकेंद्रीकरण और स्थानीय अधिकारियों को अधिक अधिकार देने के लिए भी कहा।
- इसने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत शक्तियों के साथ, पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में एक पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण (WGEA) के गठन की सिफारिश की।

**माधव गाडगिल रिपोर्ट की जांच**

- गाडगिल समिति की रिपोर्ट की मुख्य आलोचना यह थी कि यह अधिक पर्यावरण के अनुकूल थी और जमीनी स्तर के अनुरूप नहीं थी।
- इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अव्यावहारिक के रूप में उद्धृत किया गया था।
- गाडगिल रिपोर्ट ने पश्चिमी घाटों के लिए पूर्ण पर्यावरण-संवेदनशील कवर के लिए कहा है जो ऊर्जा और विकास के मोर्चे पर विभिन्न राज्यों में बाधा डालता है।
- WGEA नामक एक नए निकाय के गठन की आलोचना की गई थी। राज्य इस बात पर जोर देते हैं कि मौजूदा कानूनों के तहत सुरक्षा दी जा सकती है।
- गाडगिल रिपोर्ट अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि का समाधान नहीं देती है।
- गाडगिल रिपोर्ट पश्चिमी घाट में बांधों के खिलाफ है, जो कि ख़राब बिजली क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण झटका है। भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए आलोचकों का तर्क है कि इस सिफारिश को नहीं लिया जा सकता है।

**पश्चिमी घाट के लिए प्रमुख मानव जनित खतरे**

- पश्चिमी घाट में बड़ी बांध परियोजनाओं के परिणामस्वरूप सरकार और कंपनियों द्वारा लागत-लाभ विश्लेषण और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किए जाने के बावजूद पर्यावरण और सामाजिक व्यवधान उत्पन्न हुआ है।

| | |
|---|---|
| | • मानव बस्तियों में वृद्धि के कारण पशुओं के चरने जैसी गतिविधियों के माध्यम से वन उत्पादों का अत्यधिक दोहन हुआ है।<br>• पशुधन के उच्च घनत्व द्वारा संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और सीमावर्ती क्षेत्रों में चरने वाले पशुधन पश्चिमी घाटों में निवास स्थान में गिरावट का कारण बन रहे हैं।<br>• खनन प्रतिष्ठानों ने खेतों को नष्ट करके, नदियों को प्रदूषित करके और ऊपरी मिट्टी को नुकसान पहुंचाकर पारिस्थितिक संतुलन को नुकसान पहुंचाने में बहुत योगदान दिया है।<br>• पिछले कुछ दशकों में कृषि, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं, सड़क निर्माण आदि के लिए वनों के डायवर्जन के परिणामस्वरूप केरल राज्य को 1973 और 2016 के बीच 9064 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ है और और कर्नाटक ने 2001 और 2017 के बीच पश्चिमी घाटों में 200 वर्ग किलोमीटर वन भूमि खो दी है।<br>• यह देखते हुए कि पश्चिमी घाट अत्यधिक मानव-प्रधान परिदृश्य में मौजूद है, मानव-वन्यजीव संघर्ष एक सामान्य घटना है।<br>• प्रदूषण भी अपनी भूमिका निभा रहा है, पानी में पारा का उच्च स्तर, और चाय एवं कॉफी के बागानों से कृषि रसायन अनियंत्रित हो रहे हैं।<br>• पश्चिमी घाट में निजी व्यक्तियों और कॉर्पोरेट क्षेत्र के स्वामित्व वाले वृक्षारोपण का विकास जारी है और प्राकृतिक आवास के विखंडन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।<br>• पश्चिमी घाटों में देशी वनस्पतियों के नुकसान के लिए अन्य अपराधी ब्रिटिश द्वारा नीलगिरी, पाइनस जैसी विदेशी प्रजातियों का वृक्षारोपण है जिसे लैंटाना कैमरा के साथ नीलगिरी के ऊपरी ढलानों में देखा जा सकता है। वे एक चटाई जैसी संरचना बनाते हैं जिससे भूमि का क्षरण होता है और देशी जैव विविधता का विनाश होता है। |
| **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA)** | **चर्चा में क्यों :** पर्यावरण मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA) के उल्लंघन के लिए सजा के प्रावधानों को सरल (soften) करने का प्रस्ताव रखा है।<br>• यह खंड को बदलने का प्रस्ताव करता है जो उल्लंघनकर्ताओं को कैद करने का प्रावधान करता है जिसमें केवल उन्हें जुर्माना भरने की आवश्यकता होती है।<br>• यह उन उल्लंघनों पर लागू नहीं होता है जो गंभीर चोट या जीवन की हानि का कारण बनते हैं।<br>• कारावास के बदले में प्रस्तावित जुर्माना भी वर्तमान में लगाए गए जुर्माने से 5-500 गुना अधिक है।<br>**मौजूदा प्रावधान**<br>• वर्तमान में अधिनियम कहता है कि उल्लंघन करने वालों को पांच साल तक की कैद या ₹1 लाख तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।<br>• उल्लंघन जारी रखने के लिए, प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000 तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके दौरान ऐसी विफलता या उल्लंघन दोष सिद्ध होने के बाद भी जारी रहेगा।<br>• जेल की सज़ा को सात साल तक बढ़ाने का भी प्रावधान है।<br>**प्रस्तावित दो प्रमुख परिवर्तन हैं:**<br>• एक "न्यायनिर्णयन अधिकारी" की नियुक्ति करना जो पर्यावरण उल्लंघन के मामलों में दंड का निर्णय करेगा।<br>• गंभीर उल्लंघनों के मामले में जो गंभीर चोट या जीवन की हानि का कारण बनते हैं, उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान के तहत कवर किया जाएगा।<br>• संशोधनों में एक "पर्यावरण संरक्षण कोष" बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें जुर्माने की राशि का भुगतान किया जाएगा। |

| | |
|---|---|
| | **प्रस्तावित संशोधनों के कारण**<br>• सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के विश्लेषण में पाया गया कि भारतीय न्यायालयों ने पर्यावरण उल्लंघन के मामलों के बैकलॉग को खत्म करने में 9-33 साल का समय लिया।<br>• वर्ष 2018 की शुरुआत में, करीब 45,000 मामले लंबित थे और उस वर्ष 35,000 अन्य मामले जोड़े गए।<br>• मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों को नियंत्रित करने का औचित्य यह है कि उसे साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के भय को दूर करने के लिए ईपीए के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त करने के सुझाव प्राप्त हुए थे।<br>**पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA)**<br>• पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से 1986 में EPA अधिनियमित किया गया था। |
| **बन्नी घास के मैदान (Banni grasslands)** | **चर्चा में क्यों :** गुजरात ने 2,497 वर्ग किलोमीटर में से कम से कम 76,000 हेक्टेयर घास के मैदान को बहाल करने की योजना बनाई है, जो कि एक उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है।<br>**गुजरात के बन्नी घास के मैदान के बारे में**<br>• गुजरात के घास के मैदान कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.33 प्रतिशत (8,490 वर्ग किमी) हैं, जो आठ जिलों और तीन अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों – कच्छ, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में वितरित हैं।<br>• गुजरात में अधिकांश घास के मैदान (41 प्रतिशत) कच्छ में पाए जाते हैं।<br>• भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत 1955 में बन्नी घास के मैदान को संरक्षित वन घोषित किया गया था।<br>• घास की 40 प्रजातियों, 273 पक्षी प्रजातियां और फूलों के पौधों की 99 प्रजातियों के अलावा, भारतीय भेड़िया, सियार, भारतीय लोमड़ी, रेगिस्तानी लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली, काराकल, लकड़बग्घा, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सूअर और चीता (विलुप्त होने से पहले) का भी घर है।<br>**खतरा**<br>• पिछले कुछ वर्षों में, भारी अनियंत्रित चराई, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा (एक हानिकारक विदेशी पेड़ की प्रजाति) के व्यापक प्रवेश, बांधों के निर्माण के कारण घास के मैदान की गिरावट के साथ बन्नी के परिदृश्य में भारी बदलाव आया है।<br>**विदेशी प्रजातियों का आना**<br>• यह पाया गया कि वर्ष 1989 में, इस क्षेत्र में 54.57% क्षेत्र को कवर करने वाले घास के मैदानों का प्रभुत्व था, इसके बाद 27.30 प्रतिशत को कवर करने वाले वनस्पति रहित लवणीय क्षेत्रों और प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, एक विदेशी आक्रामक प्रजाति, जो केवल 15.72 प्रतिशत क्षेत्र को कवर करती थी।<br>• वर्तमान में प्रोसोपिस जुलीफ्लोरा प्रमुख क्षेत्र का अतिक्रमण बढ़कर 30 प्रतिशत से अधिक हो गया है।<br>**बहाली परियोजना (Restoration project )**<br>• बहाली परियोजना का मुख्य आधार इस विदेशी प्रजाति को हटाना है, जिसे संयोगवश 1960 के दशक में वन विभाग द्वारा नमक की परत (salt flats) के प्रवेश को रोकने के लिए इस क्षेत्र में प्रस्तुत किया गया था।<br>• चरागाह पर निर्भर 20 लाख पशुधन आबादी के साथ, परियोजना के दूसरे भाग में स्थानीय खेती और यहां रहने वाले देहाती समुदायों के लिए चारे के उत्पादन और भंडारण की परिकल्पना की गई है। |
| **जंगली प्रजातियों का सतत् उपयोग: आईपीबीईएस रिपोर्ट** | **चर्चा में क्यों :** जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (IPBES) पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई।<br>**मुख्य निष्कर्ष**<br>• रिपोर्ट में पाया गया है कि तेजी से वैश्विक जैव विविधता संकट के कारण पौधों और जानवरों की एक लाख प्रजातियां विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। |

| | |
|---|---|
| | • रिपोर्ट में कहा गया है कि मनुष्य भोजन, ऊर्जा, दवा, सामग्री और अन्य उद्देश्यों सहित विभिन्न चीजों के लिए 50,000 जंगली प्रजातियों पर निर्भर हैं, सीधे भोजन के लिए 10,000 प्रजातियों पर निर्भर हैं और जैव विविधता क्षरण के मुख्य कारणों में से एक अत्यधिक शोषण है।<br>• पूरी दुनिया में लोग सीधे तौर पर जंगली मछली और जलीय अकशेरुकी जीवों की लगभग 7,500 प्रजातियों, 31,100 जंगली पौधों का उपयोग करते हैं, जिनमें से 7,400 प्रजातियां पेड़, 1,500 प्रजातियां कवक, जंगली स्थलीय अकशेरूकीय की 1,700 प्रजातियां और जंगली उभयचर, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों की 7,500 प्रजातियां हैं।<br>• जंगली पौधे, शैवाल और कवक दुनिया भर में पांच लोगों में से एक के लिए भोजन, पोषण विविधता और आय प्रदान करते हैं, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों, भूमिहीन किसानों और अन्य कमजोर परिस्थितियों में।<br>• लगभग 2.4 अरब लोग, या वैश्विक आबादी का एक-तिहाई, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी पर निर्भर हैं और अनुमानित 880 मिलियन लोग विश्व स्तर पर जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं या विशेष रूप से विकासशील देशों में लकड़ी का कोयला का उत्पादन करते हैं।<br>• विश्व स्तर पर, जंगली वृक्ष प्रजातियां दो तिहाई औद्योगिक राउंडवुड और ऊर्जा के लिए खपत की जाने वाली लकड़ी का आधा हिस्सा प्रदान करती हैं।<br>• 120 मिलियन लोगों में से 90% से अधिक छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन का समर्थन करते हैं और छोटे पैमाने पर मत्स्य पालन में शामिल लोगों में से लगभग आधे लोग महिलाएं हैं।<br>• रिपोर्ट में पाया गया है कि 34% समुद्री वन्यजीव ओवरफिश हैं।<br>• अति-शोषण को समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जंगली प्रजातियों के लिए मुख्य खतरे और स्थलीय और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में दूसरे सबसे बड़े खतरे के रूप में पहचाना गया है।<br>• पिछली आधी सदी में शार्क और किरणों के बढ़ते विलुप्त होने के जोखिम का मुख्य कारण अस्थिर मछली पकड़ना है।<br>• निरंतर शिकार को 1,341 जंगली स्तनपायी प्रजातियों के लिए खतरे के रूप में पहचाना गया है, जिसमें 669 प्रजातियां शामिल हैं जिन्हें खतरे के रूप में मूल्यांकन किया गया था।<br>• अनुमानित 12% जंगली पेड़ प्रजातियों को स्थायी लॉगिंग से खतरा है और कई पौधों के समूहों, विशेष रूप से कैक्टि, साइकैड और ऑर्किड के साथ-साथ औषधीय प्रयोजनों के लिए काटे गए अन्य पौधों और कवक के लिए अस्थिर सभा मुख्य खतरों में से एक है।<br>• रिपोर्ट में आगे कहा गया है, "कुल मिलाकर, टिकाऊ फसल संकटग्रस्त प्रजातियों की प्रकृति लाल सूची के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ पर मूल्यांकन किए गए 10 टैक्सोनोमिक समूहों से 28-29% के करीब-खतरे और खतरे वाली प्रजातियों के लिए उच्च विलुप्त होने के जोखिम में योगदान करती है। |
| **वन (संरक्षण) नियम, 2022** | **संदर्भ:** हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन (संरक्षण) नियम, 2022 जारी किया है।<br>**वन संरक्षण नियम के बारे में**<br>• वन संरक्षण नियम वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 के कार्यान्वयन से संबंधित हैं।<br>• वे सड़क निर्माण, राजमार्ग विकास, रेलवे लाइनों और खनन जैसे गैर-वानिकी उपयोगों के लिए वन भूमि को मोड़ने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हैं।<br>• वन संरक्षण अधिनियम (FCA) का व्यापक उद्देश्य वन और वन्य जीवन की रक्षा करना, राज्य सरकारों द्वारा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए वन भूमि को अलग करने के प्रयासों पर रोक लगाना और वनों के अंतर्गत क्षेत्र को |

| | |
|---|---|
| | बढ़ाने के प्रयास करना है।<br>• पांच हेक्टेयर से अधिक की वन भूमि के लिए, भूमि को डायवर्ट करने की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। यह एक विशेष रूप से गठित समिति के माध्यम से है, जिसे वन सलाहकार समिति (एफएसी) कहा जाता है।<br>• यदि समिति आश्वस्त हो जाती है तो संबंधित राज्य सरकार को प्रस्ताव अग्रेषित करती है जहां भूमि स्थित है, जिसे तब यह सुनिश्चित करना होता है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधान, एक अलग अधिनियम जो वनवासियों और आदिवासियों के उनकी भूमि पर अधिकारों की रक्षा करता है, अनुपालन किया जाता है।<br>**क्या कहते हैं अपडेट किए गए नियम?**<br>• नए नियम, अनुमोदन की प्रक्रिया को "सुव्यवस्थित" करते हैं।<br>• नियम निजी पार्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उन्हें भूमि के रूप में कंपनियों को बेचने का प्रावधान करते हैं, जिन्हें प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है।<br>• नए वन संरक्षण नियमों में किसी परियोजना के लिए वन भूमि को डायवर्ट करने से पहले ग्राम सभा एनओसी प्राप्त करने की पूर्व आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।<br>• केंद्र द्वारा वन मंजूरी के लिए अंतिम मंजूरी मिलने के बाद वे वन अधिकारों के निपटारे की अनुमति भी देते हैं।<br>• चूंकि वन अधिकारों को अब राज्य सरकार द्वारा लागू करने की आवश्यकता है, इसलिए राज्य सरकारों पर केंद्र की ओर से वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया में तेजी लाने का और भी अधिक दबाव होगा।<br>**वन संरक्षण अधिनियम 1980**<br>• भारत में तेजी से वनों की कटाई और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणीय गिरावट से चिंतित, केंद्र सरकार ने 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया।<br>• यह वन से संबंधित कानून, वन उत्पादों के पारगमन और लकड़ी तथा अन्य वन उत्पादों पर रहने योग्य कर्तव्य को मजबूत करने के लिए अधिनियमित किया गया था।<br>• वन अधिकारी और उनके कर्मचारी वन अधिनियम का संचालन करते हैं।<br>• अधिनियम वनों की चार श्रेणियों से संबंधित है, अर्थात् आरक्षित वन, ग्राम वन, संरक्षित वन और निजी वन।<br>**विशेषताएँ**<br>• अधिनियम की धारा 2 में चार मानदंड सूचीबद्ध हैं जहां राज्य की किसी भी कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है -<br>o यह घोषित करना कि कोई भी आरक्षित वन आरक्षित नहीं है।<br>o वनभूमि का गैर-वन प्रयोजनों के लिए उपयोग।<br>o किसी निजी व्यक्ति को वन पट्टे पर देना।<br>o यह घोषणा करना कि किसी भी वन भूमि को उस भूमि में प्राकृतिक रूप से उगाए गए पेड़ों से वनों की कटाई के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से हटाया जा सकता है।<br>• वृक्षारोपण के लिए स्व-पुनर्जीवित वन को हटाना भी गैर वन उद्देश्य है।<br>• प्रतिपूरक वनरोपण का भी प्रावधान है। उपयोगकर्ता एजेंसी को वनभूमि के लिए राजस्व भूमि के रूप में भुगतान करना होगा। 50 साल के लिए एनपीवी (नेट प्रेजेंट वैल्यू) का भुगतान करना होगा। एनपीवी वनों की पारिस्थितिक लागत है। |
| **भारत ने 5 नई रामसर साइटों को नामित किया** | **चर्चा में क्यों :** भारत ने अंतरराष्ट्रीय महत्व के पांच नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिससे ऐसी साइटों की संख्या 54 हो गई है।<br>• जिसमें तमिलनाडु में तीन आर्द्रभूमि स्थल (करीकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंग्रोव), मिजोरम में एक (पाला आर्द्रभूमि) और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल (साख्य सागर) शामिल |

हैं।

**भारत में आर्द्रभूमि**

- भारत की रामसर आर्द्रभूमि, 18 राज्यों में देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र के 11,000 वर्ग किमी. में फैली हुई है।
- किसी अन्य दक्षिण एशियाई देश में उतने स्थल नहीं हैं, हालाँकि इसका भारत की भौगोलिक विस्तार और उष्णकटिबंधीय विविधता से बहुत कुछ लेना-देना है।
- यूनाइटेड किंगडम (175) और मेक्सिको (142) में अधिकतम रामसर स्थल हैं जबकि बोलीविया 148,000 वर्ग किमी के साथ सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है।
- वेटलैंड्स को उच्चतम मृदा-कार्बन घनत्व के बीच भी जाना जाता है और इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बफर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा संकलित राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन का अनुमान है कि भारत की आर्द्रभूमि लगभग 1,52,600 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है।
- भारत में 19 प्रकार की आर्द्रभूमि हैं जबकि गुजरात में सबसे अधिक क्षेत्रफल है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं।

## सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

| | |
|---|---|
| **ओबीसी का उप-वर्गीकरण (Sub-categorisation of OBCs)** | **चर्चा में क्यों :** हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को 13वां विस्तार दिया है।<br>• आयोग का गठन 2 अक्टूबर, 2017 को अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था।<br>• इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण और उनके लिये आरक्षित लाभों के समान वितरण का काम सौंपा गया था।<br>• वर्ष 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes- NCBC) ने सिफारिश की थी कि OBC को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।<br>**अनुच्छेद 340**<br>• राष्ट्रपति, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए, आदेश द्वारा, एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।<br>• इस प्रकार नियुक्त आयोग उन्हें निर्दिष्ट मामलों की जांच करेगा और राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट पेश करेगा।<br>• इस प्रकार प्रस्तुत की गई रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के बारे में बताते हुए एक ज्ञापन।<br>**ओबीसी आरक्षण की स्थिति:**<br>• वर्ष 1953 में स्थापित कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला आयोग था।<br>• मंडल आयोग की रिपोर्ट, 1980 में ओबीसी जनसंख्या 52% होने का अनुमान लगाया गया था और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया था।<br>• इसने ओबीसी को शामिल करने के लिये मौजूदा कोटा, जो केवल एससी/एसटी के लिये था, को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की।<br>• केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत ओबीसी के लिए यूनियन सिविल पदों और सेवाओं में 27% सीटें आरक्षित की हैं।<br>• कोटा बाद में केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों [अनुच्छेद 15 (4)] में लागू किया गया।<br>• वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को OBC के बीच क्रीमी लेयर (उन्नत वर्ग) को बाहर करने का निर्देश दिया। |
| **मिशन वात्सल्य योजना (Mission Vatsalya Scheme)** | **चर्चा में क्यों :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए।<br>**योजना के बारे में**<br>• महिला और बाल विकास मंत्रालय बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से केंद्र प्रायोजित योजना "मिशन वात्सल्य" पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) योजना लागू कर रहा है।<br>मिशन वात्सल्य का उद्देश्य भारत में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है।<br>**मिशन वात्सल्य के तहत घटकों में शामिल हैं-**<br>o संवैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार लाना<br>o सेवा प्रदान करने के ढांचे को मजबूत बनाना, |

| | |
|---|---|
| | o संस्थागत देखभाल और सेवाओं के स्तर में वृद्धि करना;<br>o गैर-संस्थागत समुदाय आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना;<br>o आपात स्थिति में पहुंच उपलब्ध कराना;<br>o प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण।<br>**दिशा-निर्देश**<br>• राज्यों को फंड मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता WCD सचिव करेंगे, जो अनुदान जारी करने के लिये राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त वार्षिक योजनाओं और वित्तीय प्रस्तावों की जाँच और अनुमोदन करेंगे।<br>• गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामले, श्रम, युवा मामले और खेल विभाग, स्कूल मामले और साक्षरता विभाग के सचिव और नीति आयोग के सीईओ पीएबी के सदस्य होंगे।<br>• इसे 60:40 के अनुपात में फंड-शेयरिंग पैटर्न के साथ राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के साथ साझेदारी में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।<br>• पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लिये केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा 90:10 में होगा।<br>• विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी लागत को कवर करेगा।<br>• राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होगी जो योजना के क्रियान्वयन की निगरानी, समीक्षा और अभिसरण को बढ़ावा देगी।<br>• जिला स्तरीय समिति भी होगी। |
| **ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (Global Gender Gap Index)** | **चर्चा में क्यों :** हाल ही में, विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम/WEF) द्वारा 2022 के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया गया था।<br>**ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स**<br>• यह चार प्रमुख आयामों में वर्तमान स्थिति और लैंगिक समानता के विकास को बेंचमार्क करता है।<br>o आर्थिक भागीदारी और अवसर,<br>o शिक्षा प्राप्ति,<br>o स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, तथा<br>o राजनीतिक सशक्तिकरण<br>• 0 और 1 के बीच का स्कोर, जहां 1 पूर्ण लैंगिक समानता को प्रदर्शित करता है तथा 0 पूर्ण असमानता है।<br>**रैंकिंग**<br>• हालांकि किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की, शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने लिंग अंतर के कम से कम 80% को बंद कर दिया, जिसमें आइसलैंड (90.8%) अग्रणी वैश्विक रैंकिंग है।<br>• आइसलैंड के बाद फिनलैंड (86%, दूसरा), नॉर्वे (84.5%, तीसरा), न्यूजीलैंड (84.1%, चौथा), स्वीडन (82.2%, 5वां), रवांडा (81.1%, 6वां), निकारागुआ (81%, 7वें), नामीबिया (80.7%, 8वें), आयरलैंड (80.4%, 9वें) और जर्मनी (80.1%, 10वें)।<br>• भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर था।<br>**भारत का प्रदर्शन**<br>• भारत में लगभग 662 मिलियन (या 66.2 करोड़) महिलाएं हैं। |

- वर्ष 2022 में, भारत का समग्र स्कोर 0.625 (2021 में) से सुधरकर 0.629 हो गया है।
- भारत का 0.629 का स्कोर पिछले 16 वर्षों में इसका सातवां उच्चतम स्कोर है।
- भारत अपने पड़ोसियों में खराब स्थान पर है और बांग्लादेश (71), नेपाल (96), श्रीलंका (110), मालदीव (117) और भूटान (126) से पीछे है।
- दक्षिण एशिया में केवल ईरान (143), पाकिस्तान (145) और अफगानिस्तान (146) भारत से खराब प्रदर्शन हैं।

**INDIA'S REPORT CARD**

| Index/sub-index | 2022 (146 countries) | | 2021 (156 countries) | |
|---|---|---|---|---|
| | Rank | Score | Rank | Score |
| Global Gender Gap Index | 135 | 0.629 | 140 | 0.625 |
| Political empowerment | 48 | 0.267 | 51 | 0.276 |
| Economic participation & opportunity | 143 | 0.350 | 151 | 0.326 |
| Educational attainment | 107 | 0.961 | 114 | 0.962 |
| Health and survival | 146 | 0.937 | 155 | 0.937 |

*Source: World Economic Forum*

**अल्पसंख्यक स्थिति (Minority status)**

**चर्चा में क्यों :** सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का कहना है कि किसी भी समुदाय के धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक स्थिति राज्य पर निर्भर है।

- यह माना गया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति एक राज्य या दूसरे राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- धार्मिक और भाषाई समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति "राज्य-निर्भर" है।
- इसमें कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई समुदाय, जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान चलाने के अधिकार और सुरक्षा का दावा कर सकते है।

**पृष्ठभूमि**

- ये अदालत मथुरा निवासी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि यहूदी, बहावाद (Bahaism) और हिंदू धर्म के अनुयायी, जो कुछ राज्यों में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं, राज्य में 'अल्पसंख्यक' की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 के तहत गारंटीकृत उनके मूल अधिकारों को खतरे में डाल सकते हैं।
- यह इंगित करता है कि लद्दाख में हिंदू केवल 1%, मिजोरम में 2.75 फीसदी, लक्षद्वीप में 2.77 फीसदी, कश्मीर में 4 फीसदी, नागालैंड में 8.74 फीसदी, मेघालय में 11.52 फीसदी, अरुणाचल प्रदेश में 29 फीसदी, पंजाब में 38.49 फीसदी और मणिपुर में 41.29 % हैं।

**टीएमए पाई केस (TMA Pai Case):**

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिये अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 30 के प्रयोजन के लिये धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार आधार पर किया जाना चाहिये।

**बाल पाटिल केस (Bal Patil Case) :**

- कानूनी स्थिति स्पष्ट करती है कि अब से भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यक, दोनों की स्थिति निर्धारित करने की

इकाई 'राज्य' होगी।

**समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में कैसे अधिसूचित किया जाता है?**

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2(c) के तहत केंद्र सरकार के पास एक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति है।

**भारत में अधिसूचित अल्पसंख्यक**

- वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा NCM अधिनियम, 1992 की धारा 2(c) के तहत अधिसूचित केवल उन्हीं समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है।
- वर्ष 1993 में, पहला सांविधिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और पांच धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी (पारसी) को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

**अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधान**

**अनुच्छेद 29**

- यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।
- यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।

**अनुच्छेद 30:**

- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) तक ही सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) तक नहीं है।

**अनुच्छेद 350-B:**

- 7वें संवैधानिक (संशोधन) अधिनियम 1956 में इस अनुच्छेद को शामिल किया गया जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है।
- संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

| | |
|---|---|
| **इसरो का 'POEM' प्लेटफॉर्म** | **चर्चा में क्यों :** इसरो ने इस साल दूसरे प्रक्षेपण में सिंगापुर के 3 उपग्रह, कक्षा में 6 प्रयोग किए। पहला भारतीय पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वाला।<br>**POEM:**<br>• PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल (PSLV Orbital Experimental Module) एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसका उपयोग इसरो के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के अंतिम चरण का उपयोग करके कक्षा में प्रयोग (in-orbit experiments) करने के लिए किया जाता है।<br>• PSLV रॉकेट में, पहले तीन चरण वापस समुद्र में गिरते हैं और अंतिम चरण (PS4) उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के बाद अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में समाप्त होता है।<br>• लेकिन, स्टेज को कक्षा में रखने के लिए थोड़ी शक्ति के अतिरिक्त, उन्हें प्रयोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है।<br>• POEM में स्थायित्व के लिये एक नेविगेशन मार्गदर्शन और नियंत्रण (NGC) प्रणाली है, जो अनुमत सीमाओं के भीतर किसी भी एयरोस्पेस वाहन के उड़ान को नियंत्रित करता है। NGC निर्दिष्ट सटीकता के साथ इसे स्थिर करने के लिये प्लेटफार्म के मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगा।<br>• POEM PS4 टैंक के चारों ओर लगे सोलर पैनल और लीथियम आयन बैटरी से शक्ति प्राप्त करेगा। यह चार सौर सेंसर, एक मैग्नेटोमीटर, जायरोस एवं NAVIC का उपयोग करके नेविगेट करेगा। |
| **डार्क मैटर (Dark Matter)** | **चर्चा में क्यों :** हाल ही में, यू.एस. में साउथ डकोटा में लक्स-जेपलिन (एलजेड) नामक एक डार्क मैटर डिटेक्टर प्रयोग चर्चा में था।<br>**डार्क मैटर क्या है और यह इतना अस्पष्ट क्यों है?**<br>• ब्रह्मांड में सभी अंतःक्रियाएं कणों पर कार्य करने वाली चार मूलभूत शक्तियों का परिणाम हैं - मजबूत परमाणु बल, कमजोर परमाणु बल, विद्युत चुम्बकीय बल और गुरुत्वाकर्षण।<br>• डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है - जिसका अर्थ है कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन के माध्यम से इंटरैक्ट नहीं करते हैं।<br>• ये ऐसे कण हैं जो "डार्क " हैं, अर्थात् वे प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो एक विद्युत चुम्बकीय घटना है, और "पदार्थ" है क्योंकि उनके पास सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है और इसलिए गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्परक्रिया करते हैं।<br>• गुरुत्वाकर्षण बल, कण भौतिकविदों द्वारा पूरी तरह से एकीकृत और समझ में न आने के अलावा, बेहद कमजोर है।<br>• एक कण जो इतना कमजोर इंटरैक्ट करता है उसे पता लगाना मुश्किल हो जाता है । |
| **HPV वैक्सीन (HPV vaccine)** | **चर्चा में क्यों :** हाल ही में, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के वैक्सीन Cervavac को मार्केट ऑथराइजेशन के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DGCI) की मंजूरी मिली है।<br>• Cervavac भारत का पहला चतुर्भुज मानव पेपिलोमावायरस वैक्सीन (qHPV) वैक्सीन है, और इसका उद्देश्य महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाना है।<br>**सर्वाइकल कैंसर**<br>• सर्वाइकल कैंसर एक आम यौन संचारित संक्रमण है।<br>• दुनिया भर में, गर्भाशय का कैंसर दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है और प्रजनन आयु (15-44) की महिलाओं में |

| | |
|---|---|
| | कैंसर से होने वाली मौतों का दूसरा सबसे आम कारण है।<br>• विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर (IARC-WHO) के अनुसार 1.23 लाख मामलों और प्रति वर्ष लगभग 67,000 मौतों के साथ भारत वैश्विक बोझ का लगभग पांचवां हिस्सा है।<br>• देश में प्रत्येक आठ मिनट में एक महिला की मौत हो जाती है।<br>• स्क्रीनिंग और टीकाकरण दो शक्तिशाली माध्यम हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर का इलाज हो सकता है।<br>• अभी भी महिलाओं में इस कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत कम जागरूकता है और 10% से भी कम भारतीय महिलाओं की जांच की जाती है।<br>**मौजूदा टीके**<br>• विश्व स्तर पर लाइसेंस प्राप्त दो टीके भारत में उपलब्ध हैं - एक चतुर्भुज टीका (मर्क से गार्डासिल) और एक द्विसंयोजक टीका (ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन से सर्वारिक्स)।<br>• हालांकि एचपीवी टीकाकरण 2008 में शुरू किया गया था, फिर भी इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाना बाकी है।<br>**नई वैक्सीन**<br>• वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के समान वीएलपी (कणों की तरह वायरस) पर आधारित है, और एचपीवी वायरस के L1 प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी उत्पन्न करके सुरक्षा प्रदान करता है।<br>• भारत में सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन में तेजी लाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। |
| **फाइबराइजेशन (Fiberisation)** | **फाइबराइजेशन क्या है?**<br>• फाइबराइजेशन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के माध्यम से रेडियो टावरों को एक दूसरे से जोड़ने की एक प्रक्रिया है जिसे फाइबराइजेशन कहा जाता है।<br>• यह प्रक्रियानेटवर्क क्षमता का पूर्ण उपयोग प्रदान करने में मदद करता है, और 5G सेवाओं के शुरू होने के बाद बड़ी मात्रा में डेटा संचालित करने में मदद करता है।<br>• यह अतिरिक्त बैंडविड्थ प्राप्त करने एवं मजबूत बैकहॉल सहयोग प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगा।<br>• फाइबर-आधारित माध्यम, जिसे आमतौर पर ऑप्टिकल माध्यम कहा जाता है, लगभग अनंत बैंडविड्थ और कवरेज, कम देरी एवं किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से उच्च रोधन क्षमता प्रदान करता है।<br>• 5G के साथ, उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बेहतर कवरेज प्रदान करने के लिए मोबाइल टावरों के घनत्व को बढ़ाना भी आवश्यक होगा। यह फाइबर परिनियोजन के लिए बढ़ी हुई आवश्यकताओं की मांग करता है।<br>**चुनौतियाँ**<br>• भारत के प्रधानमंत्री ने अपने 2020 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, 1,000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) से जोड़ने का दृष्टिकोण रखा।<br>• फाइबराइजेशन के लक्षित स्तर तक पहुंचने के लिए, भारत को 70% टावरों को फाइबराइज करने में मदद के लिए लगभग ₹2.2 लाख करोड़ के निवेश की आवश्यकता है।<br>• फाइबरयुक्त टावरों में डेटा क्षमता बढ़ाने की भी आवश्यकता है।<br>• फाइबराइजेशन के रास्ते में सबसे बड़े मुद्दों में से एक राइट ऑफ वे (RoW) नियम है। हालांकि सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को इन नियमों को लागू करने की आवश्यकता है, वे पूर्ण सरेखण में नहीं हैं और अभी भी सरेखित करने के लिए कुछ संशोधनों की आवश्यकता है। |

| | |
|---|---|
| | **आगे की राह**<br>• DoT का गतिशक्ति संचार ऑनलाइन पोर्टल RoW अनुमोदनों को सरल बना सकता है और 5G के लिए केबल लगाने में मदद कर सकता है।<br>• सैटेलाइट संचार उन क्षेत्रों में भी 5G ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान कर सकता है जहां दूर-दराज के गांवों, द्वीपों या पहाड़ी क्षेत्रों जैसे स्थलीय बुनियादी ढांचे को तैनात करना संभव नहीं है।<br>**जरूर पढ़े: 5G टेक्नोलॉजी** |
| **एन-ट्रीट तकनीक (N-Treat technology)** | **चर्चा में क्यों :** बृहन मुंबई नगर निगम (BMC) ने शहर में नाले में सीवेज के इन-सीटू उपचार के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी-बी) के साथ करार किया है।<br>**एन-ट्रीट तकनीक क्या है?**<br>• 'एन-ट्रीट' अपशिष्ट उपचार के लिए सात चरणों वाली प्रक्रिया है, जिसमें स्क्रीन, गेट, सिल्ट ट्रैप, छानने के लिए नारियल के रेशों के पर्दे और सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके कीटाणुशोधन किया जाता है।<br>• एन-ट्रीट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, यह सीवेज उपचार के लिए एक प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीका है।<br>• इसकी स्थापना नाला चैनलों (nullah channels) के भीतर होती है जो कि इन-सीटू या उपचार की साइट पर विधि के माध्यम से होती है, और इसके लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता नहीं होती है।<br>**प्रक्रिया में क्या शामिल है?**<br>• पहले चरण में प्लास्टिक के कप, कागज के बर्तन, पॉलिथीन बैग, सैनिटरी नैपकिन, या लकड़ी जैसी तैरती हुई वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए 'स्क्रीनिंग' शामिल है।• दूसरे चरण में गाद जाल के निर्माण का प्रस्ताव है, जो अवसादन के लिए नाले के तल पर एक झुकाव और 'पार्किंग स्पॉट' बनाता है।<br>• अगले तीन चरण 'नारियल फाइबर पर्दे' के रूप में 'बायो जोन' की स्थापना हैं, जो फिल्टर के रूप में कार्य करेंगे और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में मदद करने के लिए बायोफिल्म के विकास को बढ़ावा देंगे।<br>• अगला चरण (जैसा कि आईआईटी-बी द्वारा प्रस्तावित है) फ्लोराफ्ट का उपयोग है। इसमें फ्लोटिंग राफ्ट को लंबवत रूप से निलंबित करना शामिल है, जिसे फ्लोराफ्ट कहा जाता है।<br>• इसके प्रस्ताव के अनुसार, उनकी लटकी हुई जड़ें निष्क्रिय निस्पंदन के साथ-साथ माइक्रोबियल संघ के विकास के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करेंगी।<br>• सीवेज उपचार के अंतिम चरण में पानी में बैक्टीरिया को मारने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग करके कीटाणुशोधन शामिल होगा।<br>**महत्व**<br>• नागरिक निकाय को सुझाई गई एन-ट्रीट पद्धति लागत प्रभावी है, क्योंकि इसमें मैनुअल पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है, और बिजली की बचत होती है, और रखरखाव के लिए व्यापक मानव-शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। |
| **स्वदेशी विमान वाहक (IAC) विक्रांत** | **चर्चा में क्यों :** भारतीय नौसेना ने प्रतिष्ठित स्वदेशी विमान वाहक (IAC) 'विक्रांत' की डिलीवरी लेकर समुद्री इतिहास रच दिया है।<br>• भारतीय नौसेना के इन-हाउस डायरेक्टरेट ऑफ़ नेवल डिज़ाइन (डीएनडी) द्वारा डिज़ाइन किया गया और शिपिंग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड सीएसएल द्वारा निर्मित इस वाहक का नाम एक शानदार पूर्ववर्ती भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पर रखा गया है।<br>• IAC विक्रांत 76 फीसदी से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' की शानदार मिसाल है। |

- यह जहाज स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकाप्टर (एएलएच) और हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) के अलावा एमआईजी-29के लड़ाकू जेट, कामोव-31, एमएच-60आर बहु-भूमिका हेलीकाप्टरों से युक्त 30 विमानों से युक्त एयर विंग के संचालन में सक्षम होगा।
- STOBAR (शॉर्ट टेक-ऑफ बट, आरेस्टेड लैंडिंग) के रूप में जाना जाने वाले एक नए विमान चालन मोड का उपयोग करते हुए यह आईएसी विमान को लॉन्चिंग के लिए स्की-जंप और जहाज पर उनकी रिकवरी के लिए 'ऐरेस्टरवायरों के सेट से सुसज्जित है।

**महत्व**

- विक्रांत का पुनर्जन्म समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में क्षमता निर्माण के लिए देश के उत्साह का सच्चा प्रमाण है।
- विक्रांत की डिलीवरी के साथ, भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से विमान वाहक डिजाइन और निर्माण करने की विशिष्ट क्षमता है।
- स्वदेशीकरण के प्रयासों ने सहायक उद्योगों के विकास के अलावा, रोजगार के अवसरों के सृजन और अर्थव्यवस्था पर स्थानीय और साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर 'प्लोबैक' प्रभाव को बढ़ावा दिया है।
- इसका एक प्रमुख स्पिन-ऑफ नौसेना, डीआरडीओ और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के बीच साझेदारी के माध्यम से जहाज के लिए स्वदेशी युद्धपोत ग्रेड स्टील का विकास और उत्पादन करना है जिसने हमारे देश को युद्धपोत के संबंध में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया है।
- CSL ने जहाज के निर्माण के दौरान अपने जहाज निर्माण के बुनियादी ढांचे के साथ-साथ उत्पादकता कौशल को भी उन्नत किया था।

स्वदेशी विमान वाहक को जल्द ही भारतीय नौसेना में भारतीय नौसेना जहाज (आईएनएस) विक्रांत के रूप में शामिल किया जाएगा, जो हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में भारत की स्थिति और नीले पानी की नौसेना के लिए इसकी खोज को बढ़ावा देगा।

## विविध

| | |
|---|---|
| **अल्लूरी सीताराम राजू (Alluri Sitarama Raju)** | **चर्चा में क्यों :** प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे, जो सालभर चलेगा।<br>• अल्लूरी सीताराम राजू एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान छेड़ा था।<br>• उनका जन्म 4 जुलाई, 1897 को आंध्र प्रदेश के तटीय शहर विशाखापत्तनम के पास एक छोटे से गाँव के एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था।<br>**स्वतंत्रता संग्राम**<br>• सीताराम राजू ने गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में, आदिवासियों को स्थानीय पंचायत अदालतों में न्याय मांगने और औपनिवेशिक अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया।<br>• उन्होंने पूर्वी घाट के आदिवासी इलाकों को अपना घर बना लिया और आदिवासियों के लिए काम करना शुरू कर दिया, जो बहुत गरीबी में जीवन-यापन कर रहे थे तथा पुलिस, वन और राजस्व अधिकारियों द्वारा 'मन्यम' (वन क्षेत्र) में लूटे जा रहे थे।<br>• 1882 के मद्रास वन अधिनियम ने आदिवासियों के उनके वन आवासों में मुक्त आवागमन को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित कर दिया और उन्हें पोडु (स्थानांतरण खेती) के रूप में जाना जाने वाला कृषि का एक पारंपरिक रूप अपनाने से रोका।<br>• परिणामस्वरूप, अगस्त 1922 में, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रम्पा विद्रोह शुरू किया।<br>• अल्लूरी सीताराम राजू ने 500 आदिवासियों के साथ चिंतापल्ली, कृष्णदेवीपेटा और राजावोम्मंगी के पुलिस थानों पर हमला किया और 26 पुलिस कार्बाइन राइफलें और 2,500 राउंड गोला-बारूद लेकर भाग गए।<br>• वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया, एक पेड़ से बांधँ कर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। |
| **भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र** | **चर्चा में क्यों :** भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र अब तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में पूरी तरह से चालू हो गया है।<br>• 100 मेगावाट (मेगावाट) की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा शुरू किया गया था।<br>• 1 जुलाई तक, संयंत्र के चालू होने के बाद, दक्षिणी क्षेत्र में तैरती सौर क्षमता का कुल वाणिज्यिक संचालन बढ़कर 217 मेगावाट हो गया है।<br>**फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या हैं?**<br>• सौर संयंत्र या सौर फार्म या तो जमीन पर या जलाशयों की सतह पर स्थापित किए जा सकते हैं।<br>• फ़्लोटिंग फ़ार्म ज़मीन की सतह पर लगाए गए पारंपरिक फ़ार्मों की तुलना में थोड़े अधिक महंगे हैं, तथा फ्लोटिंग फ़ार्म के कई फायदे हैं।<br>• फ्लोटिंग फार्मों को फोटोवोल्टिक पैनलों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है।<br>• वे अधिक कुशल हैं क्योंकि नीचे पानी की उपस्थिति उन्हें ठंडा रखने में मदद करती है।<br>• वे पानी के वाष्पीकरण को भी कम करते हैं, जिससे जल विद्युत उत्पादन के लिए अधिक पानी की बचत होती है। |

| | |
|---|---|
| | **इन पैनलों को कैसे तैरते रखा जाता है?**<br>• सौर मॉड्यूल उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन सामग्री से निर्मित फ्लोटर्स पर रखे जाते हैं जो पानी के स्तर में उतार-चढ़ाव के बावजूद तैरते रहते हैं।<br>• पूरे प्रसार को ब्लॉकों में बांटा गया है; इनमें से प्रत्येक ब्लॉक में एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म और सौर मॉड्यूल की एक सरणी होती है।<br>• फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में एक इन्वर्टर, ट्रांसफॉर्मर और एक हाई-टेंशन सर्किट ब्रेकर होता है। |
| **डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022** | **चर्चा में क्यों :** हाल ही में प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया।<br>• डिजिटल इंडिया वीक का विषय है-नव भारत प्रोद्योगिकी प्रेरणा।<br>• यह कार्यक्रम डिजिटल इंडिया की वर्षगांठ मनाएगा और प्रदर्शित करेगा कि कैसे आधार, यूपीआई, कोविन, डिजिलॉकर आदि सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है।<br>• कई डिजिटल पहल शुरू की गई।<br>• इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 'इंडियास्टैक ग्लोबल', 'माई स्कीम', 'मेरी पहचान', 'डिजिटल इंडिया भाषिनी', 'डिजिटल इंडिया जेनेसिस', 'चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम' और 'कैटालाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड ई-बुक' का उद्घाटन किया।<br>• चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत 30 संस्थानों के पहले समूह की भी घोषणा की गई।<br>**शुरू की गई पहल:**<br>**डिजिटल इंडिया भाषिनी**<br>• 'डिजिटल इंडिया भाषिनी' आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच बनेगी और भारतीय भाषाओं में सामग्री के निर्माण में मदद करेगी।<br>• भाषादान (BhashaDaan) नामक एक क्राउडसोर्सिंग पहल के माध्यम से डिजिटल इंडिया भाषिणी डेटासेट को तैयार करने में बड़े पैमाने पर नागरिकों को भी जोड़ेगी।<br>**डिजिटल इंडिया जेनेसिस (GENESIS):**<br>• डिजिटल इंडिया जेनेसिस '(जेन-नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स) भारत के टियर- II और टियर- III शहरों में सफल स्टार्टअप की खोज, समर्थन, विकास और सफल बनाने हेतु एक राष्ट्रीय गहन-तकनीकी स्टार्टअप मंच है।<br>**इंडिया स्टैक ग्लोबल:**<br>• यह आधार, यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस), डिजिलॉकर, काउइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वित प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है।<br>**माय स्कीम :**<br>• यह सरकारी योजनाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने वाला एक सर्च और डिस्कवरी मंच है।<br>• इसका उद्देश्य वन-स्टॉप सर्च और डिस्कवरी पोर्टल को प्रस्तुत करना है, जहाँ उपयोगकर्त्ता उन योजनाओं को खोज सकते हैं जिनके लिये वे पात्र हैं।<br>**मेरी पहचान**<br>• यह एक नागरिक लॉगिन के लिये राष्ट्रीय एकल साइन ऑन (NSSO) है।<br>• नेशनल सिंगल साइन-ऑन (NSSO) एक प्रयोक्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल का एक सेट कई ऑनलाइन एप्लिकेशन या सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।<br>**चिप्स स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम** |

| | |
|---|---|
| | • C2S कार्यक्रम का उद्देश्य बैचलर, परास्नातक और अनुसंधान स्तरों पर सेमीकंडक्टर चिप्स के डिजाइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है तथा देश में अर्द्धचालक डिज़ाइन में शामिल स्टार्टअप के विकास के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।<br>• यह सेमीकंडक्टर में एक मजबूत डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा है। |
| **मिलियुसा की नई प्रजाति - मिलियुसा अगस्त्यमला (New species of Miliusa – Miliusa Agasthyamala)** | **चर्चा में क्यों :** मिलियुसा की नई प्रजाति अगस्त्यमला में देखी गई।<br>• शोधकर्ताओं ने तिरुवनंतपुरम जिले में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व से मिलियुसा जीनस से संबंधित सदाबहार पेड़ की एक नई प्रजाति की पहचान की है।<br>• जो चीज खोज को प्रमुख बनाती है वह यह है कि इसके प्राकृतिक आवास में अब तक केवल दो परिपक्व पेड़ ही देखे गए हैं।<br>• लटकती शाखाओं के साथ लगभग छह से नौ मीटर की ऊंचाई तक बढ़ने वाले पेड़ का नामकरण किया गया है मिलियुसा अगस्त्यमलाना उस स्थान के बाद जहां यह पाया गया था।<br>• नई प्रजातियों की पहचान से भारत में पाई जाने वाली मिलियुसा की कुल प्रजातियों की संख्या भी 25 हो गई है।<br>• शोधकर्ताओं ने नई मिलियुसा प्रजाति को 1000-1250 मीटर के बीच की ऊंचाई पर देखा।<br>• मिलियुसा अगस्त्यमलाना भूरे रंग की छाल और एकान्त फूल होते हैं जो पीले-गुलाबी रंग के होते हैं।<br>• अप्रैल-जुलाई में फूल और फल लगते हैं।<br>• परिपक्व व्यक्तियों की कम संख्या को देखते हुए, शोधकर्ताओं ने सिफारिश की है कि प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय (CR) के रूप में वर्गीकृत किया जाए।<br> <br>**अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व (ABR)**<br>• एबीआर पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और यह दो दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है।<br>• इसका नाम अगस्त्य माला चोटी के नाम पर रखा गया है, जो केरल के तिरुवनंतपुरम में समुद्र तल से लगभग 1868 मीटर ऊंची है।<br>• मार्च 2016 में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। |

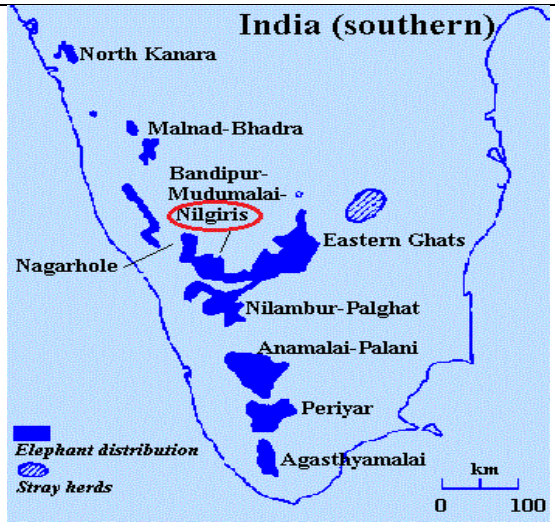


- एबीआर औसत समुद्र तल से 100 मीटर से 1,868 मीटर की ऊंचाई पर 3,500 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है।
- इसमें पेप्पारा और शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य तथा केरल में नेय्यर अभयारण्य के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के कलाकड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व शामिल हैं।
- इसकी वनस्पतियों में ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वन होते हैं और यह उच्च पौधों की 2,254 प्रजातियों का घर है, जिनमें लगभग 400 स्थानिकमारी वाले हैं।
- रिजर्व से लगभग 400 रेड लिस्टेड पौधे, ऑर्किड की 125 प्रजातियां और दुर्लभ, स्थानिक और संकटग्रस्त पौधों को दर्ज किया गया है।
- 3,000 की कुल आबादी वाली कई जनजातीय बस्तियां बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करती हैं।

**खेल संहिता (Sports Code)**

**संदर्भ:** भारत में खेल प्रशासन पिछले कुछ हफ्तों में गलत कारणों से अक्सर सुर्खियों में रहा है।

- अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) दोनों पर संभावित प्रतिबंध/निलंबन का सामना करना पड़ सकता है यदि कार्यकारी निकाय के चुनाव तुरंत नहीं किए जाते हैं।
- विश्व फुटबॉल की संचालन संस्था फीफा और एशियाई फुटबॉल परिसंघ का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने प्रशासकों की समिति (सीओए) के साथ बैठक के लिए देश आया था।
- केंद्र सरकार के खेल संहिता के उल्लंघन के लिए एआईएफएफ की कार्यकारी समिति को भंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीओए को फुटबॉल चलाने का जिम्मा सौंपा था।
- चुनाव कराने में देरी के लिए हॉकी इंडिया भी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) द्वारा जांच के दायरे में आ गया है।

**स्पोर्ट्स कोड क्या है?**

- स्पोर्ट्स कोड, या भारत का राष्ट्रीय खेल विकास कोड, 2011 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था, जो राष्ट्रीय खेल निकायों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किए बिना राष्ट्रीय स्तर पर खेल के प्रबंधन में सुशासन प्रथाओं को चाहता था।
- यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था कि इस तरह के एक खेल कोड की आवश्यकता थी क्योंकि यह महसूस किया गया था कि अधिकांश खेल संघ कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत जागीर बन गए थे – उनमें से कई राजनेता – क्योंकि वे लंबे समय तक सत्ता में बने रहे।
- नेशनल स्पॉट कोड ने उम्र और कार्यकाल के संबंध में प्रतिबंध लगाए।

| | |
|---|---|
| | **क्या होता है जब कोई खेल निकाय खेल संहिता का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है?**<br>● संबंधित संघों को सीओए के तहत रखा जा सकता है।<br>● फुटबॉल और हॉकी संघों के साथ ऐसा ही हुआ।<br>● सुप्रीम कोर्ट ने एआईएफएफ को चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एआर दवे के नेतृत्व में तीन सदस्यीय सीओए को नियुक्त किया था, जिसके अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था।<br>● इसी तरह, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि हॉकी इंडिया द्वारा खेल संहिता का उल्लंघन किया गया था और भारत में खेल के प्रशासन को चलाने के लिए एक सीओए का गठन किया गया था।<br>**पिछला उदाहरण**<br>● फरवरी में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय टेबल टेनिस महासंघ को चलाने के लिए सीओए के अध्यक्ष के रूप में गीता मित्तल को नियुक्त किया, जिसे भारत के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक द्वारा लगाए गए मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच के बाद निलंबित कर दिया गया था।<br>● वर्ष 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति द्वारा सुझाए गए देश में क्रिकेट के प्रशासन में सुधारों को लागू करने के लिए एक सीओए नियुक्त किया था। |

# UPSC 2023

IAS BABA

# TLP CONNECT

## Integrated Prelims cum Mains Test Series

### FEATURES

- Complete Prelims & Mains Syllabus through 68 Mains Tests & 69 Prelims Tests
- Prepare through Reverse Engineering
- 1:1 Mentorship
- Master Current Affairs with Babapedia & Current Affairs Tests
- Discussion classes after Every Mains Test
- Approach Paper, Enriched Synopsis & Ranking

**ADMISSIONS OPEN**

Admission Centre : #38, 3rd Cross Rd, 60 feet Main Road, Chandra Layout, Bengaluru-560040, Landmark: Opp BBMP Office / Cult Fit

www.iasbaba.com support@iasbaba.com

91691 91888

MAINS

## राजव्यवस्था और शासन

### हिरासत में होने वाली मौतें (Custodial Deaths)

**संदर्भ:** वर्ष 2001 से 2018 के बीच पुलिस हिरासत में 1,727 लोगों की मौत हो गई लेकिन इन मामलों के लिए केवल 26 पुलिसकर्मियों को ही दोषी ठहराया गया।

**हिरासत में मौत क्या है और इसके क्या कारण हैं?**

- कस्टडियल डेथ' (Custodial Deaths) को व्यापक रूप से मौत के रूप में संदर्भित किया जाता है जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिस पर मुकदमा चल रहा है या पहले से ही किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है।
- इंडिया टॉर्चर रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत में हिरासत में कुल 1,731 मौतें हुईं। यह रोजाना लगभग पांच ऐसी मौतों का आकलन करता है।
- इस तरह की सबसे भयानक घटनाएं तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में हुई हैं। पी जयराज (58) और उनके बेटे बेनिक्स (38) को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्हें मौके पर ही पीटा गया और थाने ले जाया गया जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। दो दिन बाद दोनों की मौत हो गई।
- थूथुकुडी घटना जॉर्ज फ्लॉयड की सनसनीखेज मौत के करीब एक महीने बाद हुई।

**भारत में हिरासत में यातना के खिलाफ कानूनी प्रावधान क्या हैं?**

- संविधान के अनुच्छेद 20(3) में प्रावधान है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 163 जांच अधिकारियों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) की धारा 24 के तहत कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकती है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 49 भी हिरासत में ज्यादतियों (excesses) के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 55ए उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसकी अभिरक्षा में आरोपी को स्वास्थ्य और सुरक्षा की देखभाल के लिए हिरासत में लिया गया है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 330 में कहा गया है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट (publicservant) किसी व्यक्ति को जबरन वसूली के लिए हानि पहुंचाता है तो उसे सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।

**हिरासत में होने वाली मौतों के साथ क्या मुद्दे हैं?**

- **मानवाधिकारों के खिलाफ:** हिरासत में होने वाली मौतें मानवाधिकारों के उल्लंघन के उच्चतम रूपों में से एक हैं। यह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार पर सीधा हमला है।
- **कानून के शासन के विरुद्ध :** जानकारी निकालने के लिए पुलिस की ज्यादती करना कानून के शासन के विरुद्ध है और राज्य के अधिकारियों के अत्याचार की ओर होता है।
- **जनता के विश्वास को खोना :** आरोपी और दोषियों के जीवन की रक्षा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है।
- **गरीब और कमजोर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना :** हिरासत में मरने वाले इनमें से अधिकतर लोग उत्पीड़ित वर्ग के हैं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त नहीं हैं।
- **इरोड्स डेमोक्रेटिक कल्चर (Erodes Democratic Culture):** इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अपराधियों द्वारा अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोकतांत्रिक संस्कृति के विरुद्ध जाने वाले आरोपी अधिकारियों को बचाने में सरकार बड़ी भूमिका निभाती है।
- **न्यायिक बोझ:** जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो पीड़ितों द्वारा मामले दर्ज किए जाते हैं और इससे न्यायपालिका पर पुलिस प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देश प्रदान करने का बोझ बढ़ जाता है।
- **अंतरराष्ट्रीय मानक का पालन न करना :** हालांकि भारत ने 1997 में अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं,

लेकिन इसका अनुसमर्थन अभी भी बना हुआ है।

**सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हिरासत में हिंसा क्यों जारी है या पुलिस सुधार क्यों पीछे है?**

- **सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को लागू करने में लंबा समय:** तमिलनाडु राज्य को प्रकाश सिंह फैसले के दिशा-निर्देशों को वास्तव में लागू करने में 11 साल लग गए।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** पुलिस सुधार के मुद्दे पर नौकरशाही और राजनीतिक मास्टर्स की निरंतर संस्थागत उदासीनता ने पुलिस व्यवस्था में सुधार को रोक दिया है।
- **न्यायपालिका की अपर्याप्त शक्तियाँ:** न्यायपालिका का केवल निर्देश और दिशानिर्देश पारित करने का दृष्टिकोण विफल साबित हुआ है। निर्णयों को वास्तविकता में बदलने के लिए धन और तत्काल कार्यान्वयन की शक्ति की आवश्यकता होती है।
- **भारत में अदालत और निम्न पुलिस अधिकारी के बीच की खाई:** आपराधिक कानूनों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बावजूद, उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में लागू किया जाना जारी है।
- **दण्ड से मुक्ति की संस्कृति (Culture of impunity):** मद्रास उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर थूथुकुडी की घटना को "ए फ्यू बैड एप्पल (A few bad apples)" के परिणाम के रूप में देखा जो एक प्रणाली की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रहा है जिससे दण्ड से मुक्ति की संस्कृति जारी है।
- **अधिक काम करने वाले मजिस्ट्रेट (Overworked magistrate):** हमेशा एक्सप्लोडिंग करने वाले फैसलों की सूची के साथ संघर्ष और "रिमांड केस" पर काम करने के लिए, मजिस्ट्रेट एक गिरफ्तार व्यक्ति के देखभाल और विचार के साथ व्यवहार नहीं करता है जिससे पुलिस की बर्बरता बनी रहती है।

**आगे की राह**

- **बहुआयामी दृष्टिकोण (Multipronged approach):** हमें कानूनी अधिनियमों, प्रौद्योगिकी, जवाबदेही, प्रशिक्षण और सामुदायिक संबंधों को शामिल करते हुए निर्णय लेने वालों से एक बहु-आयामी रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- **पुलिस सुधार:** स्वतंत्रता से वंचित करने वाले मामलों में शामिल अधिकारियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए जाने चाहिए क्योंकि जब तक वरिष्ठ पुलिस बुद्धिमानी से ऐसे मुद्दों की गंभीरता का अनुमान नहीं लगाती और वर्तमान प्रथाओं से स्पष्ट पुनर्रचना तैयार नहीं की जाती है, तब तक यातना को प्रभावी ढंग से रोका नहीं जा सकता है।
- **पुलिस पर सबूत का बोझ:** वर्ष 2003 में भारत के विधि आयोग के प्रस्ताव पर साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए पुलिस पर सबूत की जिम्मेदारी डालने हेतु संदिग्धों को प्रताड़ित न करने पर विचार करने की आवश्यकता है।
- **गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के लिए सजा:** डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में शीर्ष अदालत द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997)
- **कानूनी ढांचा:** अत्याचार की रोकथाम, 2017 पर मसौदा विधेयक, जिसने दिन नहीं देखा है, को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।
- **भारत को अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि करनी चाहिए:** यह किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी, हिरासत या कारावास के अधीन व्यक्तियों की हिरासत और उपचार के लिए औपनिवेशिक नियमों, विधियों, प्रथाओं और व्यवस्थाओं की एक व्यवस्थित समीक्षा को अनिवार्य करेगा।

## असहयोगी संघवाद (Uncooperative Federalism)

**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछले महीने अपने फैसले में 'असहयोगी संघवाद' वाक्यांश का हालिया आह्वान यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मोहित मिनरल्स प्रा. लिमिटेड निदेशक के माध्यम से भारतीय संघवाद के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण क्षण है।

**संघवाद क्या है?**

- संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है।
- इस अर्थ में, संघों की तुलना एकात्मक सरकारों से की जाती है। एकात्मक प्रणाली के तहत या तो सरकार का एक ही स्तर होता है या उप-

इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती हैं।

**संघवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?**

- सरकार के दो या दो से अधिक स्तर (या स्तर) होते हैं।
- सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं, लेकिन कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है।
- सरकार के संबंधित स्तरों या स्तरों के क्षेत्राधिकार संविधान में निर्दिष्ट हैं। इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक रूप से गारंटी है।
- संविधान के मौलिक प्रावधानों को सरकार के एक स्तर द्वारा एकतरफा नहीं बदला जा सकता है। ऐसे परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है।
- इस प्रकार संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना भी शामिल है ।

**भारत में सहकारी संघवाद क्या है?**

- सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य क्षैतिज संबंध साझा करते हैं, जहां वे व्यापक जनहित में "सहयोग" करते हैं।
- संघ और राज्य संवैधानिक रूप से संविधान की अनुसूची VII में निर्दिष्ट मामलों पर एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य होते हैं।
- सहकारी संघवाद का अर्थ यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को लोगों के लाभ के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के व्यापक राष्ट्रीय सरोकारों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
- इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संबंध और सहकारी भावना की आवश्यकता है।

**प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है?**

- प्रतिस्पर्धी संघवाद में, राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए केंद्र सरकार के साथ ऊर्ध्वाधर संबंध साझा करते हैं।
- मुख्य रूप से, राज्य अपनी विकासात्मक गतिविधियों में सहायता के लिए व्यक्तिगत रूप से धन और निवेश को आकर्षित करने की दिशा में काम करते हैं। इससे राज्यों के बीच एक मुक्त बाजार परिदृश्य का निर्माण होता है जिसमें वे विक्रेताओं की भूमिका निभाते हैं और निवेशक खरीदार बन जाते हैं।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद नीचे से ऊपर की अवधारणा का अनुसरण करता है क्योंकि यह राज्यों से बदलाव लाएगा। यह देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करता है।
- यह सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करता है और कई राज्यों में विकास के सफल मॉडल के उपयोग में मदद करता है। इस प्रकार, यह विकास के माध्यम से अंतर-राज्यीय और अंतर-राज्य असमानताओं को कम करने में मदद करता है।

**हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला क्या था जिसमें असहयोगी संघवाद का उल्लेख किया गया था?**

- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि GST परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। इसने माना कि संसद का उद्देश्य था कि GST परिषद की सिफारिशों का प्रेरक मूल्य होगा।
- सैद्धांतिक स्तर पर, न्यायालय ने पाया कि "सहयोगात्मक चर्चा" के विपरीत "प्रतिस्पर्धा ", संघवाद को बढ़ावा देने में भी सहायक हो सकती है।
- ऐसे मामलों में जहां राज्यों को असमान शक्तियां प्रदान की गई हैं, वहां राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और भी प्रासंगिक हो जाती है।
- संसद और राज्य विधानसभाओं को दी गई समान शक्तियों और इसकी सिफारिशों की गैर-अनिवार्य प्रकृति की जानकारी में, जीएसटी परिषद न केवल "सहकारी संघवाद" का प्रयोग करने के लिए बल्कि नीतिगत मामलों पर अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए भी एक साधन के रूप में कार्य करती है। इसलिए, संघवाद जरूरी नहीं कि "सहकारी" या "सहयोगी" हो, बल्कि "असहयोगी" भी हो सकता है।

## ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR)

**संदर्भ:** नीति आयोग ने विवाद से बचने, रोकथाम और ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) के लिए नवंबर, 2021 को 'डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ डिसप्यूट रिजॉल्युशनः द ओडीआर पॉलिसी प्लान फॉर इंडिया' (Designing the Future of Dispute Resolution: The ODR Policy Plan for India) रिपोर्ट जारी की है।

- यह रिपोर्ट न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित थी, जिसका गठन नीति आयोग ने 2020 में कोविड संकट के चरम पर किया था।

**ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) क्या है?**

- ओडीआर विवादों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम किस्म के विवादों का बातचीत, बीच-बचाव और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) की डिजिटल तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाधान करना है।
- विवाद समाधान मार्ग के रूप में इसे सार्वजनिक न्यायालय प्रणाली के विस्तार के रूप में और इसके बाहर दोनों प्रदान किया जा सकता है।
- यह केवल तकनीकी एकीकरण का कोई भी रूप नहीं है (जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सत्र शेड्यूल करना), बल्कि विवाद को सुलझाने में मदद करने के लिए इसका सक्रिय उपयोग है।
- ओडीआर तकनीकी उपकरणों का उपयोग कर सकता है जो स्वचालित विवाद समाधान, स्क्रिप्ट-आधारित समाधान और क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होते हैं तथा विशिष्ट श्रेणियों के विवादों को पूरा करते हैं।

**ODR के लाभ क्या हैं?**

- **न्याय प्रदान करने के प्रतिमान को बदलना:** ओडीआर अदालतों के माध्यम से एक सेवा होनी चाहिए, जगह नहीं। यह एक ऐसी सेवा हो सकती है जो सुलभ, विकट (formidable), बोधगम्य, व्यापक, मजबूत और परिणाम-उन्मुख ढांचे के साथ बनाई गई हो।
- **देश के कानूनी स्वास्थ्य में सुधार:** ओडीआर न केवल विवाद समाधान में बल्कि विवाद नियंत्रण, विवाद से बचाव और देश के सामान्य कानूनी स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है।
- **पहुंच में सरल:** ओडीआर न्याय के माध्यम से अनिवार्य रूप से किसी स्थान यानी अदालतों से जुड़े होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सेवा के रूप में जो पार्टियों की सुविधा पर प्रदान की जा सकती है। यह यात्रा और शेड्यूल के सिंक्रनाइज़ेशन की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- **न्यायिक बोझ कम करना :** मोटर दुर्घटनाओं के दावों, चेक बाउंस होने के मामलों, व्यक्तिगत चोट के दावों और इस तरह के मुद्दों जैसे मामलों को ओडीआर द्वारा निपटाया जा सकता है। इससे अदालत के बोझ को कम करने में मदद मिलती है जो पहले से ही मामलों के भारी बैकलॉग का सामना कर रहा है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना :** कुछ वर्षों से, कानूनी प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप भारत में न्याय वितरण प्रणाली में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। निजी क्षेत्र और न्यायपालिका के बीच सहयोग, जैसा कि ई-लोक अदालतों के मामले में देखा गया है, विवादों को सुलझाने में बहुत सफल रहा है।
- **संकट के समय महत्वपूर्ण:** कोविड-19 के कारण बाधाओं से निपटने के लिए ओडीआर को सरकार, व्यवसायों और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी से प्रोत्साहन मिला है।
- **भंडारण के मुद्दों को हल करना :** दस्तावेज़ भंडारण को ओडीआर तंत्र द्वारा बदल दिया गया है क्योंकि यह भारतीय अदालतों में सबसे आम समस्याओं में से एक है।
- **अंतर्राष्ट्रीय रुझान:** ओडीआर को पहले से ही अमेरिका, कनाडा, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई न्यायालयों में एकीकृत किया गया है, जहां सरकार, न्यायपालिका और निजी संस्थान न्याय के लिए अधिक से अधिक पहुंच को सक्षम करने के लिए ओडीआर के लाभों का फायदा उठाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

- **International Trend:** ODR has already been integrated in several jurisdictions suchas US, Canada, Brazil, and the UAE wherein the government, the judiciary andprivate institutions areworking together to exploit the benefits of ODR towardsenabling greater access to justice.

**भारतीय न्यायिक प्रणाली में मौजूदा तकनीकी हस्तक्षेप क्या हैं?**

- **ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना**
  - इसके प्रयास 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के एक भाग के रूप में शुरू हुए और न्यायपालिका की प्रमुख परियोजनाओं में से एक-ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना (ई-न्यायालय परियोजना) में परिणत हुई।
  - ई-न्यायालय परियोजना ने देश भर के जिला न्यायालयों में प्रौद्योगिकी अवसंरचना और मानकीकृत सॉफ्टवेयर तैनात किए हैं। इसकी कुछ प्रमुख सफलताओं में ई-न्यायालय वेबसाइटों की स्थापना, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का निर्माण और एक एकीकृत सीआईएस (मामला सूचना प्रणाली) की स्थापना शामिल है।
  - ई-कोर्ट परियोजना ने इलेक्ट्रॉनिक कारण सूची, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान और मामले की स्थिति और दैनिक आदेशों तक आसान पहुंच जैसी वादी केंद्रित सेवाओं के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया है।
- **एकीकृत मामला प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस):**
  - इसे 2017 में देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को एकीकृत करने और पूरे देश में ई-फाइलिंग को सक्षम करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **SUVAS - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण**
  - सुप्रीम कोर्ट ने अब SUVAS यानी सुप्रीम कोर्ट कानूनी अनुवाद सॉफ्टवेयर के विकास के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का दोहन किया है।
  - यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सॉफ्टवेयर अंग्रेजी से नौ स्थानीय भाषा लिपियों (मराठी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, मलयालम और बंगाली) और इसके विपरीत निर्णयों, आदेशों और न्यायिक दस्तावेजों का अनुवाद करने की क्षमता रखता है।
- **ई-लोक अदालतें**
  - COVID-19 महामारी के मद्देनज़र, भारत ने विभिन्न राज्यों में संगठनात्मक विभिन्न ई-लोक अदालतें देखीं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित पहली ई-लोक अदालत।

**ओडीआर के साथ क्या चुनौतियाँ हैं?**

- संरचनात्मक चुनौतियां जैसे डिजिटल साक्षरता और डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी।
- जागरूकता की कमी, ओडीआर में विश्वास की कमी और ओडीआर का उपयोग करने के लिए सरकार की ओर से अनिच्छा जैसी व्यवहारिक चुनौतियां।
- संचालन संबंधी चुनौतियां जैसे ओडीआर परिणामों को लागू करने में कठिनाई, गोपनीयता संबंधी चिंताएं, पुरातन कानूनी प्रक्रियाएं और सक्षम तटस्थों की कमी।

**ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?**

- **डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाना**
  - ओडीआर सहित सभी प्रौद्योगिकी संबंधी नवाचारों के लिए एक पूर्व शर्त, डिजिटल बुनियादी ढांचे तक व्यापक पहुंच है।
- **क्षमता बढ़ाना**
  - अंतिम उपयोगकर्ता को शामिल करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच आवश्यक है, जबकि भारत में ओडीआर को बढ़ाने

के लिए पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता में वृद्धि आवश्यक है।

- **ओडीआर में विश्वास बनाना**
  - बुनियादी ढांचे का निर्माण और पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने से ओडीआर की नींव बन सकती है, इसकी मुख्य धारा में इसके अंतिम उपयोगकर्ताओं- व्यक्तिगत विवादकर्ताओं, व्यवसायों और सरकारों से ओडीआर प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
- **ओडीआर को उपयुक्त रूप से विनियमित करना**
  - विकास के लिए पर्याप्त समय और जगह को देखते हुए, भारत में ओडीआर के नवाचार और गतिशील विकास के लिए केंद्र बनने की क्षमता है। नए हितधारकों के मैदान में आने और पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ी हुई गतिविधि को देखते हुए, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि अंतिम उपयोगकर्ताओं के अधिकार सुरक्षित हैं।

## ऑनलाइन सेंसरशिप (Online Censorship)

**संदर्भ:** हाल ही में ट्विटर द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे के बीच, ऑनलाइन सेंसरशिप की गहन जांच की गई है।

- ट्विटर की वैश्विक पारदर्शिता रिपोर्ट के हालिया निष्कर्षों के अनुसार, भारत सरकार और भारतीय अदालतों द्वारा प्लेटफॉर्म से कंटेंट को हटाने की लीगल डिमांड में 2014 और 2020 के बीच 48,000 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- इसके अतिरिक्त, संसद में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इसी अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया साइटों पर कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेशों की संख्या में लगभग 2,000 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

**भारत में कानून क्या कवर करता है?**

- भारत में, समय-समय पर संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- इसमें सभी 'मध्यस्थ' शामिल होते हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।
- 'मध्यस्थ' शब्द में खोज इंजन (search engine), ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस और साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा और वेब होस्टिंग के प्रदाता शामिल हैं।
- इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो किसी अन्य की ओर से, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को "प्राप्त, संग्रहीत या प्रसारित करता है"। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस परिभाषा के अंतर्गत आएंगे।
- अधिनियम की धारा 69 केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिए" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

**सरकार वेबसाइटों और नेटवर्क को कैसे ब्लॉक करती है?**

- धारा 69ए, इसी तरह के कारणों और आधारों के लिए, जिस पर वह सूचना को इंटरसेप्ट या मॉनिटर कर सकता है, केंद्र सरकार की किसी भी एजेंसी या किसी मध्यस्थ से किसी भी कंप्यूटर संसाधन पर उत्पन्न, प्रसारित, प्राप्त या संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने में सक्षम बनाता है।
- एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिए गए कारणों पर आधारित होना चाहिए।

**भारतीय कानून के तहत बिचौलियों के क्या दायित्व हैं?**

- बिचौलियों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित तरीके और प्रारूप में निर्दिष्ट जानकारी को संरक्षित और बनाए रखना आवश्यक है।
- जब निगरानी, अवरोधन या डिक्रिप्शन के लिए निर्देश दिया जाता है, तो मध्यस्थ, और कंप्यूटर संसाधन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को शामिल संसाधन तक पहुंच प्रदान करने या सुरक्षित करने के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान और अनुरोध का पालन करना चाहिए।
- अधिनियम सरकार को यातायात पर डेटा एकत्र करने और निगरानी करने का अधिकार भी देता है। जब कोई अधिकृत एजेंसी इस संबंध में तकनीकी सहायता मांगती है, तो मध्यस्थ को अनुरोध का पालन करना चाहिए।

**क्या प्लेटफ़ॉर्म को सरकारी अनुरोधों का अनुपालन करने की आवश्यकता है?**

- प्रौद्योगिकी सेवा कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को अब साइबर अपराध, और विभिन्न अन्य अपराधों से लड़ने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
- इसलिए, अधिकांश देशों ने कुछ परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या वेब होस्टिंग सेवा प्रदाताओं तथा अन्य मध्यस्थों द्वारा सहयोग अनिवार्य करने वाले कानून बनाए हैं।

**क्या मध्यस्थ का दायित्व पूर्ण है?**

- नहीं, अधिनियम की धारा 79 यह स्पष्ट करती है कि "एक मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा, या संचार लिंक को उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा"।
- यह भाग इंटरनेट और डेटा सेवा प्रदाताओं जैसे बिचौलियों और उन वेबसाइटों को होस्ट करने वाले लोगों को सामग्री के लिए उत्तरदायी होने से बचाता है जो उपयोगकर्ता पोस्ट या उत्पन्न कर सकते हैं।
- हालांकि, दायित्व से छूट लागू नहीं होती है यदि इस बात का सबूत है कि मध्यस्थ ने शामिल गैरकानूनी कार्य के कमीशन को उकसाया या प्रेरित किया।
- इसके अलावा, यह प्रावधान बिचौलियों पर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने या उनके संसाधनों का उपयोग करके किए जा रहे किसी गैरकानूनी कृत्य की "वास्तविक जानकारी" प्राप्त करने पर या जैसे ही यह उनके ध्यान में लाया जाता है, उस तक पहुंच को अवरुद्ध करने की जिम्मेदारी सौंपता है।

**ट्विटर की क्या प्रतिक्रिया रही है?**

ट्विटर ने निम्नलिखित तर्कों के कारण आईटी अधिनियम की धारा 69ए के तहत भारत सरकार के वैधानिक आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है:

- **वैध आवाज़ें (Legitimate Voices):** ट्विटर ने कहा है कि सरकार की अवरुद्ध सूची में पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के खाते थे जिनके खाते वास्तविक प्रतीत होते हैं; कि उनके पद वैध अभिव्यक्ति हैं।
- **अनुपातहीन आदेश (Disproportionate Order):** ट्विटर ने कहा है कि यह उचित रूप से मानता है कि उन्हें अवरुद्ध रखना भारतीय कानून और मंच के चार्टर उद्देश्यों दोनों के विपरीत एक असंगत कार्य होगा।

**ट्विटर कार्रवाइयों की आलोचना**

- **भारतीय कानूनों का अनादर करना:** ट्विटर अधिनियम के तहत सरकार के वैधानिक आदेशों से बाध्य एक मध्यस्थ है, और इसका इनकार भारतीय कानून के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाता है।
- **ट्विटर जज नहीं है:** ट्विटर, एक निजी कंपनी के रूप में, सरकार के उस फैसले पर न्याय या अपील नहीं कर सकता है जो आनुपातिक या वैध है।

## राज्यों में DISCOMs की स्थिति (State of DISCOMs)

**संदर्भ:** 13 जुलाई को, तमिलनाडु राज्य डिस्कॉम ने तमिलनाडु विद्युत नियामक आयोग के साथ एक बिजली शुल्क संशोधन याचिका दायर की, जिसमें बिजली दरों में 10% से 35% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया था। यदि प्रस्ताव सितंबर में लागू होता है, तो यह वृद्धि आठ साल के अंतराल के बाद होगी।

**डिस्कॉम क्या हैं?**

- विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण विद्युत क्षेत्र में शामिल तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं।
- बिजली वितरण, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा किया जाता है जो बिजली उत्पादकों को घरों से जोड़ती हैं। वे उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के बीच इंटरफेस हैं।
- दूसरे शब्दों में, डिस्कॉम (वितरण कंपनियां) ऐसी उपयोगिताएं हैं जो आम तौर पर जनरेटर से बिजली लेती हैं और उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री करती हैं।
- भारतीय संविधान के तहत, बिजली एक समवर्ती विषय है और ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं को बिजली के वितरण और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्यों की है।
- इसलिए, DISCOMs मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं। निजी DISCOMs भी भारत में चालू हैं लेकिन यह दिल्ली और मुंबई

जैसे कुछ शहरों तक सीमित हैं।

**भारत में DISCOMs को किन वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?**

- इसकी कुल तकनीकी तथा वाणिज्यिक नुकसान (AT & C LOSS) की हानि, 21.7% है। AT & C LOSS संचरण और वितरण के दौरान (तकनीकी कारणों), चोरी, और बिलिंग में अक्षमता और वाणिज्यिक हानि में डिफ़ॉल्ट के दौरान ऊर्जा नुकसान के कारण होने वाली हानि को दर्शाती है।
- **टैरिफ का निर्धारण:** डिस्कॉम बढ़ी हुई लागत के अनुरूप अपने टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें से अधिकांश राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं और नागरिकों को बिजली सस्ती बनाने के लिए, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें लोकलुभावन दबाव में झुक जाती हैं।
    - केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों के मामले में और जहां दो या दो से अधिक राज्य शामिल हैं, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग टैरिफ निर्धारित करता है। एक राज्य के भीतर उत्पादन स्टेशनों के मामले में, टैरिफ संबंधित राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- **खराब नकदी प्रवाह (Poor Cash Flow):** बिजली वितरण कंपनियां उत्पादन और संचरण क्षेत्रों को संचालित करने के लिए आवश्यक नकदी प्रवाह प्रदान करने हेतु उपभोक्ताओं से उनकी ऊर्जा आपूर्ति (जनरेटर से खरीदी गई) के लिए भुगतान एकत्र करती हैं।
- **मीटरिंग का अभाव:** वितरण श्रृंखला में विभिन्न स्तरों (फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) और उपभोक्ता) को पूरी तरह से मीटर नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, घाटे में चल रहे क्षेत्रों को अलग करना और उनकी पहचान करना और सुधारात्मक कार्रवाई करना मुश्किल है।
- **अक्षय ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा:** सौर ऊर्जा से बढ़ती प्रतिस्पर्धा जिसका टैरिफ घटकर 2.90 रुपये प्रति यूनिट हो गया है (कोयला संचालित थर्मल प्लांट से 6 रुपये प्रति यूनिट की तुलना में।
- **COVID-19 का प्रभाव:** महामारी ने उपयोगिताओं के लिए आने वाले नकदी प्रवाह को पूरी तरह से बिखरा दिया है। लॉकडाउन ने वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।
- **अनौपचारिक ऋणों में वृद्धि:** पिछले कुछ वर्षों में, डिस्कॉम ने अपने भुगतानों में देरी की है।
- **पर्याप्त समर्थन के बिना महत्वाकांक्षी योजना:** केंद्र के "सभी के लिए बिजली" कार्यक्रम ने अधिक अक्षमता में योगदान दिया है। क्योंकि, उच्च स्तर के विद्युतीकरण का समर्थन करने के लिए, लागत संरचनाओं को फिर से काम करने की आवश्यकता है। इसी तरह, वितरण नेटवर्क (ट्रांसफार्मर, तार, आदि) को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे उपायों के अभाव में घाटा बढ़ना तय है।
- **लाभप्रदता (Profitability):** डिस्कॉम की लागत (आपूर्ति की औसत लागत) और राजस्व (प्राप्त औसत राजस्व) के बीच का अंतर, जिसे अब तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, नियमित और अनुरूप टैरिफ वृद्धि की कमी के कारण 0.49 रुपये प्रति यूनिट है।

**DISCOM समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा कौन सी प्रमुख योजनाएँ शुरू की गई हैं?**

DISCOMs के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं:

**उदय योजना:**

- नवंबर 2015 में शुरू की गई, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) को डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति को बदलने के लिए बनाया गया।
- राज्य सरकारों ने अपने DISCOMs के ऋण का 75% ले लिया, शेष ऋण को चुकाने के लिए कम-ब्याज बांड जारी किया।

**वितरण के लिए सुधार-लिंक्ड, परिणाम-आधारित योजना (RLRBSD):**

- वर्ष 2021-22 के बजट में, केंद्र सरकार ने डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए "सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड" योजना शुरू करने की घोषणा की थी।

**चलनिधि योजना**

- इन DISCOMs की मदद के लिए, केंद्र ने मई 2020 में एक तरलता जलसेक योजना (Liquidity Infusion Scheme) (आत्मनिर्भर भारत अभियान) की घोषणा की, जिसके तहत ₹1,35,497 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 31 दिसंबर, 2021 तक कुल ₹1.03 लाख करोड़ का वितरण किया जा चुका है।

**क्या राज्य कृषि जैसे क्षेत्रों को सब्सिडी प्रदान करते हैं?**

- हाँ। राज्यों की बिजली वितरण नीतियों की एक सामान्य विशेषता कृषि को मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली आपूर्ति प्रदान करना है। कृषि क्षेत्र के लिए कनेक्शन बिना मीटर के हैं।
- कृषि क्षेत्र की सटीक खपत पर पहुंचने के विकल्प के रूप में फीडरों के पृथक्करण का सुझाव दिया गया है ताकि मीटर की अनुपस्थिति में खपत की अनुपातहीन मात्रा का श्रेय कृषकों को न दिया जाए। इस संबंध में गुजरात को एक सफलता की कहानी के रूप में उद्धृत किया जाता है।
- मणिपुर में, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रीपेड मीटरिंग को बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ पूरक किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर बिलिंग और संग्रह दक्षता और कम वाणिज्यिक नुकसान हुआ।
- मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देकर मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में प्रोत्साहन पैकेज लेकर आया है।

**आगे की राह क्या है?**

- **AT&C घाटे में सुधार:** कई डिस्कॉम को बेहतर और स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से अपनी बिलिंग दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाना:** जिससे उन लोगों को मुफ्त बिजली देने से रोका जा सके जो इस तरह के समर्थन के पात्र नहीं हैं।
- **DISCOMS का निजीकरण:** भारत की केवल 10% आबादी को निजी वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए, अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन और वितरण में उच्च निजी भागीदारी अधिक दक्षता की संभावना रखती है।
- **नियामक सुधार:** राज्य सरकारों को राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) की स्वायत्तता, क्षमता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। DISCOMs का राजनीतिकरण एक आवश्यकता है।
- **अक्षय ऊर्जा एकीकरण सुधार:** DISCOMs को जनरेटर के साथ-साथ उपभोक्ताओं से अक्षय ऊर्जा (RE) की बढ़ती मात्रा को समायोजित करने के लिए तैयार करने की आवश्यकता है।
- **कृषि उपभोक्ताओं की चिंताओं को दूर करना:** पीएम-कुसुम योजना के तहत बड़ी संख्या में किसानों को मेगावॉट स्केल सोलर प्लांट लगाकर डे-टाइम, कम लागत की आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, जो समर्पित कृषि फीडरों को सीधे आठ घंटे की गुणवत्ता वाली बिजली की आपूर्ति करती है।
- **अधिक प्रोत्साहन:** बहुत अधिक तरलता की आवश्यकता है ताकि पूरी बिजली श्रृंखला ढह न जाए।

## राज्यसभा का चुनाव और वोटों की गणना (Rajya Sabha polls and Vote Count)

**प्रसंग:** स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव मतपत्र की गोपनीयता है। राज्यसभा चुनाव उस लिहाज से अनोखा है, जहां मतदान गुप्त नहीं है।

**राज्यसभा में चुनाव**

वर्ष 1998 तक, राज्यसभा चुनाव पार्टी अनुशासन का गढ़ था, उनका परिणाम एक पूर्व निष्कर्ष था। पार्टियों द्वारा नामांकित उम्मीदवार निर्विरोध जीतते थे।

**राज्यसभा चुनाव कितनी बार होते हैं?**

- राज्य सभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
- सदन की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 83(1) के तहत, राज्यसभा (Rajya Sabha) के एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इन रिक्तियों को भरने के लिए "प्रति दो वर्ष में एक बार चुनाव" होते हैं।
- राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।
- राज्य सभा के 245 सदस्यों में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इसके अतिरिक्त, शेष 233 सदस्य राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं।

**राज्यसभा चुनाव: किसे वोट और कैसे?**

- राज्यसभा सांसद अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से राज्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है।
- अनुच्छेद 80(4) में प्रावधान है कि सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जाएंगे।

- संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है।

**मतों की गणना**

- किसी उम्मीदवार को जितने मतों की आवश्यकता होती है, वह रिक्तियों की संख्या और सदन की कुल संख्या पर निर्भर करता है।
- यदि उच्च सदन में केवल एक रिक्ति है तो निर्वाचन हेतु आवश्यक कोटे की गणना, डाले गए मतों की संख्या को 2 से विभाजित करके और भागफल में 1 जोड़कर की जाती है।
- यदि रिक्तियों की संख्या एक से अधिक हैं, तो समीकरण प्रत्येक प्रथम-वरीयता वोट के लिए 100 के नियत मान पर आधारित है। सभी उम्मीदवारों के ले किए डाले गए वोटों का मूल्य जोड़ दिया जाता है। इस कुल जोड़ को, रिक्तियों की संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त संख्या से विभाजित किया जाता है, और इस भागफल में 1 जोड़ा जाता है।
- यदि किसी सीट के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो दूसरी वरीयता के वोटों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन इनका मूल्य कम रखा जाता है।

**जरूर पढ़ें: क्या राज्यसभा जरूरी है?**

## राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency)

**NIA क्या है?**

- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- यह एक केंद्रीय एजेंसी है जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन एवं इसकी एजेंसियों के प्रस्तावों को लागू करने के लिए वैधानिक कानूनों के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार है।
- इनमें आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच और हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा और सीमा पार से घुसपैठ जैसे अपराधों से निपटने का अधिकार है।

**NIA कब अस्तित्व में आया?**

- नवंबर 2008 में 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मद्देनजर, भारत सरकार ने NIA की स्थापना करने का फैसला किया।
- एजेंसी 31 दिसंबर, 2008 को अस्तित्व में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरू किया।
- सरकार ने कहा कि एजेंसी अनुसूची में उल्लिखित केवल आठ कानूनों से निपटेगी और अधिक महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए राज्य के अधिकार और केंद्र सरकार के कर्तव्यों के बीच एक संतुलन स्थापित किया गया।

**अनुसूचित अपराध क्या हैं?**

**सूची में शामिल हैं:**

- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम,
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम,
- गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम,
- अपहरण विरोधी अधिनियम, नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का दमन,
- सार्क सम्मेलन (आतंकवाद का दमन) अधिनियम,
- कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फिक्स्ड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के विरुद्ध गैरकानूनी कृत्यों का उन्मूलन
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध

सितंबर 2020 में, केंद्र ने एनआईए को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया, जो आतंकी मामलों से जुड़े हैं।

**NIA का अधिकार क्षेत्र कितना विस्तृत है?**

**वह कानून जिसके तहत एजेंसी संचालित होती है**

- देश भर में फैला हुआ है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है;
- सरकार की सेवा में व्यक्ति जहां कहीं भी तैनात हैं;
- भारत में पंजीकृत जहाजों और विमानों पर मौजूद व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों;
- ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के विरुद्ध भारत के बाहर अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।

## मध्यस्थता विधेयक, 2021 (Mediation Bill, 2021)

**चर्चा में क्यों :** हाल ही में, विधि एवं न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने मध्यस्थता को संस्थागत बनाना एवं भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना के लिए बने मध्यस्थता विधेयक में पर्याप्त बदलाव की सिफारिश की है।

**मध्यस्थता विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताएं**

**पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता:**

- पार्टियों को किसी भी अदालत या कुछ ट्रिब्यूनल में जाने से पहले मध्यस्थता द्वारा नागरिक या वाणिज्यिक विवादों को निपटाने का प्रयास करना चाहिए।
- यदि वे पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता के माध्यम से किसी समझौते तक पहुँचने में विफल रहते हैं, तो अदालत या न्यायाधिकरण किसी भी स्तर पर पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित कर सकते हैं यदि वे इसके लिए अनुरोध करते हैं।

**विवाद मध्यस्थता के लिए उपयुक्त न होना:**

विधेयक में उन विवादों की सूची है जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं और केंद्र सरकार सूची में संशोधन कर सकती है।

- नाबालिगों या विकृतचित्त व्यक्तियों के विरुद्ध दावों से संबंधित,
- आपराधिक अभियोजन शामिल है, और
- तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करना।

**प्रयोज्यता:**

यह विधेयक भारत में आयोजित मध्यस्थता पर लागू होगा:

- केवल घरेलू पार्टियों को शामिल करना,
- कम से कम एक विदेशी पक्ष को शामिल करना और एक वाणिज्यिक विवाद से संबंधित।
- यदि मध्यस्थता समझौते में कहा गया है कि मध्यस्थता इस विधेयक के अनुसार होगी।

**मध्यस्थता प्रक्रिया:**

- मध्यस्थता की कार्यवाही गोपनीय होगी, और 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए (पक्षों द्वारा 180 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है)।
- कोई पक्ष दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है।
- न्यायालय द्वारा संलग्न मध्यस्थता सर्वोच्च या उच्च न्यायालयों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार आयोजित की जानी चाहिए।

**मध्यस्थ:**

मध्यस्थों द्वारा नियुक्त किया जा सकता है:

- समझौते से पक्ष, या
- एक मध्यस्थता सेवा प्रदाता (मध्यस्थता का प्रशासन करने वाली संस्था)।

**भारतीय मध्यस्थता परिषद:**

- केंद्र सरकार भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना करेगी।
- परिषद में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य, तीन पदेन सदस्य और उद्योग निकाय का एक अंशकालिक सदस्य शामिल होगा।

**मध्यस्थता समझौता :**

- मध्यस्थता (सामुदायिक मध्यस्थता के अलावा) के परिणामस्वरूप होने वाले समझौते अंतिम, बाध्यकारी और न्यायालय के निर्णयों की तरह ही लागू करने योग्य होंगे।
- उन्हें निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है: (i) धोखाधड़ी, (ii) भ्रष्टाचार, (iii) प्रतिरूपण, या (iv) विवादों से संबंधित जो मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

**सामुदायिक मध्यस्थता:**

- किसी इलाके के निवासियों के बीच शांति और सद्भाव को प्रभावित करने वाले संभावित विवादों को सुलझाने के लिए सामुदायिक मध्यस्थता का प्रयास किया जा सकता है।
- यह तीन मध्यस्थों के एक पैनल द्वारा संचालित किया जाएगा (इसमें समुदाय में शामिल व्यक्ति और निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं)।

**महत्वपूर्ण मुद्दे**

- बिल प्री-लिटिगेशन (pre-litigation) मध्यस्थता में भागीदारी को अनिवार्य बनाता है। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक विवाद समाधान प्रक्रिया है। एक तरफ, इससे अदालत के बाहर और अधिक निपटारे हो सकते हैं और अदालतों में लंबित मामलों को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर, मध्यस्थता को अनिवार्य करना उसकी स्वैच्छिक प्रकृति के विरुद्ध है।
- यह सरकार और उसकी एजेंसियों से जुड़े गैर-व्यावसायिक प्रकृति के विवादों/मामलों पर विधेयक के प्रावधानों के लागू न होने पर भी सवाल उठाता है।
- मध्यस्थता परिषद को अपने आवश्यक कार्यों से संबंधित विनियम जारी करने से पहले केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- बिल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर तभी लागू होता है जब वे भारत में आयोजित की जाती हैं।

## जमानत कानून (The Bail Law)

**चर्चा में क्यों :** हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को रेखांकित किया कि जमानत से संबंधित कानून में सुधार किया जाना अति आवश्यक है और सरकार से यूनाइटेड किंगडम के कानून की तर्ज पर एक विशेष कानून बनाने पर विचार करने का आह्वान किया।

**किस बारे में फैसला है?**

- देश में जेलों की स्थिति का उल्लेख करते हुए, जहाँ दो-तिहाई से अधिक विचाराधीन कैदी हैं, का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसका संयम से प्रयोग किये जाने की आवश्यकता है।
- इस श्रेणी के कैदियों में से अधिकांश गरीब और अनपढ़ हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
- न्यायालय ने मनमानी गिरफ्तारी के विचार को "जेल नही, जमानत" के नियम की अनदेखी करने वाले न्यायाधीशो की औपनिवेशिक मानसिकता से जोड़ा है।

**जमानत पर कानून क्या है?**

- CrPC जमानत शब्द को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को 'जमानती' और 'गैर-जमानती' के रूप में वर्गीकृत करता है।
- CrPC जमानती अपराधों के लिये न्यायाधीशो को जमानत देने का अधिकार देता है।
- गैर-जमानती अपराध संज्ञेय हैं जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है।
- गैर-जमानती अपराध के मामले में एक न्यायाधीश ही यह निर्धारित करेगा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं।

**यूनाइटेड किंगडम में जमानत कानून**

- यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम, 1976, जमानत देने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- इसका एक प्रमुख विशेषता यह है कि कानून का एक उद्देश्य "कैदियों की आबादी के आकार को कम करना" है।
- कानून में प्रतिवादियों के लिये कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान भी हैं।

- अधिनियम जमानत दिये जाने के लिये एक "सामान्य अधिकार" को मान्यता देता है।
- जमानत खारिज करने के लिये अभियोजन पक्ष को यह दिखाना होगा कि जमानत हेतु प्रतिवादी पर विश्वास करने के लिये आधार मौजूद हैं कि वह हिरासत में आत्मसमर्पण नहीं करेगा, न ही जमानत पर रहते हुए अपराध करेगा या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करेगा और न ही न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, तब तक प्रतिवादी को अपने कल्याण या सुरक्षा के लिये या अन्य परिस्थितियों में हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिये।

**सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है?**

- न्यायालय का फैसला दिशानिर्देशों के रूप में है, और यह पुलिस और न्यायपालिका के लिए कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों पर भी रेखा खींचता है।

**जमानत हेतु अलग कानून:**

- न्यायालय ने रेखांकित किया कि CrPC में स्वतंत्रता के बाद किये गए संशोधनों के बावजूद यह बड़े पैमाने पर अपने मूल ढाँचे को बरकरार रखता है, जैसा कि अपने विषयों पर औपनिवेशिक शक्ति द्वारा तैयार किया गया था।
- इस पर न्यायालय का समाधान एक अलग कानून बनाना है जो जमानत देने से संबंधित है।

**विवेकहीन गिरफ्तारियाँ:**

- न्यायालय ने कहा कि बहुत अधिक एवं विवेकहीन गिरफ्तारियों की प्रवृत्ति, विशेष रूप से गैर-संज्ञेय अपराधों के लिये अनुचित है।
- इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि संज्ञेय अपराधों के लिये भी गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और इसे "आवश्यक" होना चाहिये।
- इस तरह की आवश्यकता किसी और अपराध को करने से रोकने के लिए, उचित जांच के लिए, और उसे या तो गायब होने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए की जाती है।
- यह माना गया कि निचली न्यायालय का इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि शर्तों को पूरा किया गया है, इसी आधार "कोई गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत लेने का हकदार होगा"।

**जमानत आवेदन:**

- संहिता की कुछ धाराओं के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।
- ये धाराएं मुकदमे के विभिन्न चरणों से संबंधित हैं जिनके आधार पर मजिस्ट्रेट आरोपी की रिहाई पर फैसला कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि इन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से एक अलग जमानत आवेदन पर ज़ोर दिये बिना जमानत देने पर विचार करना चाहिये।

**राज्यों के लिये निर्देश:**

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेशों का पालन करने और विवेकहीन गिरफ्तारी से बचने के लिये स्थायी आदेशों की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

## ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019

**चर्चा में क्यों :** सामाजिक न्याय मंत्रालय ने उड्डयन नियामक को फटकार लगाई, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पायलट के रूप में लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश मांगे।

- नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एक ट्रांसजेंडर को वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस देने से मना कर दिया।
- डीजीसीए की कार्रवाइयां ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत बताए गए प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के लिंग के आधार पर रोजगार या व्यवसाय को अस्वीकार/समाप्त करके भेदभावपूर्ण साबित होती है।

**ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019**

**एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की परिभाषा:**

- बिल अब कहता है कि 'एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह होता है जिसका लिंग जन्म के समय दिए गए लिंग से मेल नहीं खाता है।
- इसमें ट्रांस-मेन और ट्रांस-वुमन, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति, लिंग-क्वीर और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी) वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर और हिजड़ा शामिल हैं।

**भेदभाव के खिलाफ निषेध:**

- बिल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, जिसमें सेवा से इनकार या निम्नलिखित के संबंध में अनुचित व्यवहार शामिल है:
  - शिक्षा; रोज़गार; स्वास्थ्य देखभाल; जनता के लिए उपलब्ध वस्तुओं, सुविधाओं, अवसरों तक पहुंच या उनका आनंद; आंदोलन का अधिकार; निवास करने, किराए पर लेने या अन्यथा संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार; सार्वजनिक या निजी पद धारण करने का अवसर; और एक सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखरेख या अभिरक्षा में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है।

**निवास का अधिकार:**

- प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने घर में रहने और शामिल होने का अधिकार होगा।

**रोज़गार:**

- कोई भी सरकारी या निजी संस्था किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भर्ती, और पदोन्नति सहित रोजगार के मामलों में भेदभाव नहीं कर सकती है।
- प्रत्येक प्रतिष्ठान को अधिनियम के संबंध में शिकायतों से निपटने के लिए एक व्यक्ति को एक शिकायत अधिकारी होने के लिए नामित करना आवश्यक है।

**शिक्षा:**

- प्रासंगिक सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, बिना भेदभाव के, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, खेल और मनोरंजक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

**स्वास्थ्य देखभाल:**

- सरकार को अलग-अलग एचआईवी निगरानी केंद्रों, और लिंग पुनःनिर्धारण सर्जरी सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए।

**ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए पहचान का प्रमाण पत्र:**

- एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान के प्रमाण पत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट को एक आवेदन कर सकता है, जो लिंग को 'ट्रांसजेंडर'के रूप में दर्शाता है।

**सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय:**

विधेयक में कहा गया है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी। इसे उनके बचाव और पुनर्वास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार आदि के लिए भी कदम उठाने चाहिए।

**ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (NCT):**

- परिषद केंद्र सरकार को सलाह देगी और साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कानूनों और परियोजनाओं के प्रभाव की निगरानी करेगी।
- यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का भी निवारण करेगा।

## नगर निगम का वित्तीय स्तर

**संदर्भ:** नगरपालिका वित्त का स्वास्थ्य नगरपालिका शासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जो यह निर्धारित करेगा कि भारत अपने आर्थिक और विकासात्मक वादे को पूरा करता है या नहीं।

- शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को शक्तियों के विकास के लिए 74वें CAA, 1992 के बाद से तीन दशक, बढ़ते राजकोषीय घाटे, कर आधार विस्तार में बाधाएं, और संसाधन जुटाने में सक्षम संस्थागत तंत्र का कमजोर होना ULB के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं।
- वस्तु और सेवा कर (GST) के लागू होने और महामारी के बाद राजस्व के नुकसान ने स्थिति को और बढ़ा दिया है।

**समस्या**

**स्वयं के राजस्व का हिस्सा**

- शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के अपने स्रोत उनके कुल राजस्व के आधे से भी कम थे, जिनमें बड़ी अप्रयुक्त क्षमता थी।
- ULB के प्रमुख राजस्व स्रोत- कर, शुल्क, जुर्माना और प्रभार, तथा केंद्र और राज्य सरकारों से अंतरण हैं, जिसे 'अंतर सरकारी अंतरण' के रूप

में जाना जाता है।

- कुल राजस्व में स्वयं के राजस्व का हिस्सा शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य और स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।

**IGTs पर निर्भर**

- कई यूएलबी आईजीटी पर अत्यधिक निर्भर थे।
- अधिकांश यूएलबी बाहरी अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर थे - आईजीटी ने यूएलबी के कुल राजस्व का लगभग 40% हिस्सा लिया।
- स्थिर और पूर्वानुमेय आईजीटी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यूएलबी का स्वयं का राजस्व संग्रह अपर्याप्त है।

**कर राजस्व आकार पर निर्भर करना**

- बड़े शहरों के लिए कर राजस्व सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है, जबकि छोटे शहर अनुदान पर अधिक निर्भर हैं।
- विभिन्न आकार के शहरों में राजस्व स्रोतों की संरचना में काफी अंतर है।

**संचालन और रखरखाव (O&M)**

- संचालन और रखरखाव खर्च बढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी अपर्याप्त हैं।
- बुनियादी ढांचे के रखरखाव और सेवा वितरण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संचालन और रखरखाव खर्च महत्वपूर्ण हैं।
- यूएलबी के कुल राजस्व व्यय में संचालन और रखरखाव व्यय का हिस्सा वर्ष 2012-13 में लगभग 30% से बढ़कर वर्ष 2016-17 में लगभग 35% हो गया।

**आगे की राह**

- संपत्ति कर, अन्य भूमि-आधारित संसाधनों और उपयोगकर्ता शुल्कों में दोहन एक यूएलबी के राजस्व में सुधार करने के सभी तरीके हैं।
- IGTs यूएलबी की वित्तीय संरचना में महत्व रखते हैं, और जब तक यूएलबी अपने स्वयं के राजस्व में सुधार नहीं करते हैं, तब तक केंद्र और राज्य सरकारों से एक स्थिर समर्थन महत्वपूर्ण है।
- बेहतर बुनियादी ढांचे और सेवा के लिए यूएलबी के O&M खर्चों को कवर करने के लिए भी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- बांड जारी करके पूंजी जुटाने, CSR संगठनों के साथ जोड़ने जैसे इनोवेटिव उपाय है ।

## अनुच्छेद 142 - पूर्ण न्याय (Article 142 - Complete justice)

**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहम्मद जुबैर को दिए गए जमानत आदेश की निरर्थकता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में निर्धारित पूर्ण न्याय पर ध्यान आकर्षित किया है।

***अनुच्छेद 142 - इसमें कहा गया है कि पूर्ण न्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश भारत के पूरे क्षेत्र में लागू करने योग्य था।***

**सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और चुनौतियां**

- न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्ति के कारण भारत के सर्वोच्च न्यायालय को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है।
- इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है।
- संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत इसका मूल अधिकार क्षेत्र भी है।
- संविधान के अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 के तहत व्यापक अपीलीय शक्ति भी है।
- संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, इसे "किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश" देने की शक्ति है।
- फिर भी, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद को असहाय दिखाया है जब कई मौकों पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों को उसके सामने रखा गया है।
- कार्यपालिका का जेल न्यायशास्त्र प्रभावी रूप से न्यायालय के जमानत क्षेत्राधिकार से आगे निकल जाता है।
- कार्यपालिका भारत के विभिन्न राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज करने में सक्षम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंतुष्ट को जेल से रिहा नहीं किया जाता है, भले ही कुछ मामलों में जमानत दी गई हो।

**कानून द्वारा नियम**

- ऐसे कठिन समय में आपराधिक न्याय प्रणाली कानून के शासन में बदल जाती है, जो कानून के शासन की जगह लेती है।
- विच-हंट (witch-hunt) के प्रयोजनों के लिए कानून सरकार के हाथों में एक प्रभावी उपकरण बन जाता है और यह एक वर्ग के रूप में एक शासन के विरोधियों के खिलाफ काम करता है।
- कानून द्वारा शासन इंगित करता है कि निर्णय एक नागरिक पर मजबूर किए जाते हैं, जबकि कानून का शासन भूमि के सर्वोच्च कानून बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा शक्ति के असीमित प्रयोग को नियंत्रित करना है।

**न्यायिक माहौल बनाना**

- शीर्ष अदालत को एक निर्धारित अंपायर के रूप में कार्य करना चाहिए जो कार्यकारी की ज्यादतियों की जाँच करता है।
- केंद्र की COVID-19 वैक्सीन नीति में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और पेगासस प्रकरण इस बिंदु को दर्शाता है।
- आवश्यकता बाद के दृष्टिकोण का विस्तार करने और एक लोकतांत्रिक न्यायिक वातावरण बनाने रखने की है जो स्वतंत्रता के कारण का समर्थन करता है।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय पारंपरिक तकनीकी मार्ग से हटकर भी, स्वतंत्रता के बड़े कारण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करने की शक्ति से लैस है।
- अनुच्छेद 142 के तहत "पूर्ण न्याय" का मतलब ऐसे परिदृश्यों में इस्तेमाल किया जाना है।
- दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी (1996) में, शीर्ष अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति "अपरिभाषित और गैर-सूचीबद्ध" रहनी चाहिए, ताकि यह दी गई स्थिति के अनुरूप ढाला जा सके।
- न्यायालय को तुरंत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिशोधी कारावास एक दिन के लिए भी जारी न रहे।

इसलिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करके और इस प्रकार देश की लोकतांत्रिक विरासत को संरक्षित करके "पूर्ण न्याय" का एक प्रभावी न्यायशास्त्र विकसित करना अनिवार्य है।

## विकलांग व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति का मसौदा (PwD)

**चर्चा में क्यों :** हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगता (PwD) पर राष्ट्रीय नीति के नए मसौदे पर जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।

**मसौदा नीति के प्रावधान**

- मसौदे के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विकलांगों की रोकथाम पर वर्तमान राष्ट्रीय कार्यक्रम "पारंपरिक कारणों" पर केंद्रित है। लेकिन विकलांगता के अन्य कारण भी हैं, जिनमें कुपोषण, सामाजिक-सांस्कृतिक कारक, चिकित्सा लापरवाही और आपदाओं के कारण होने वाली हानि शामिल हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 ने भी विकलांगों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया है।
- नीति ने विकलांगता की रोकथाम और अन्य चिकित्सीय स्थितियों पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आह्वान किया जो विकलांगता के रूप में प्रकट हो सकता है।
- मसौदे के अनुसार, यदि समय पर पता चल जाए तो बच्चों में सबसे अधिक एक तिहाई विकलांगता को रोका जा सकता है।
- मसौदा नीति में यह भी कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थानों को अनुमति या मान्यता प्रदान करते समय RPD अधिनियम के अनुपालन पर एक प्रावधान जोड़ना चाहिए।
- MBBS और अन्य मेडिकल कोर्स में डिसेबिलिटी मॉड्यूल को भी शामिल किया जाना चाहिए।

**नई नीति की आवश्यकता**

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर भारत का हस्ताक्षर।
- नए विकलांगता कानून का अधिनियमन (विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016)।

- विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक के लिए इंचियोन रणनीति में एक पक्ष होने के नाते, 2013-2022 ("इंचियोन प्रतिबद्धता")।

नीति दस्तावेज शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और रोजगार, खेल और संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा, पहुंच और अन्य संस्थागत तंत्र के लिए एक विस्तृत प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है।

**राजनीतिक भागीदारी का महत्व**

- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि राज्य दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकलांग व्यक्ति सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से दूसरों के साथ समान आधार पर राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रभावी और पूरी तरह से भाग ले सकें।
- इंचियोन लक्ष्य राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदारी को भी बढ़ावा देते हैं।
- उदाहरण के लिए, मतदान प्रक्रिया की दुर्गमता, दलगत राजनीति में भाग लेने में बाधाएं या स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व की कमी ने सभी विकलांगों के हाशिए पर जाने को बढ़ा दिया है।
- भारत में राजनीतिक दल अभी भी विकलांगों को विशेष रूप से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े मतदाताओं के रूप में नहीं पाते हैं।
- पार्टी की बैठकों के लिए सुलभ स्थान की कमी, प्रचार के लिए दुर्गम परिवहन या मतदाताओं और पार्टी नेताओं के बीच एक मनोवृत्ति बाधा को योगदान कारक कहा जा सकता है।

**आगे की राह**

नीति दस्तावेज का लक्ष्य - समावेशिता और सशक्तिकरण - राजनीतिक समावेश के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

**नीति में शामिल होना चाहिए:**

- विकलांग लोगों के संगठनों का क्षमता निर्माण और उनके सदस्यों को चुनावी प्रणाली, सरकारी संरचना, और बुनियादी संगठनात्मक और वकालत कौशल में प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना;
- विकलांगों की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सांसदों और चुनाव निकायों द्वारा कानूनी और नियामक ढांचे का निर्माण, संशोधन या हटाना;
- घरेलू चुनाव अवलोकन या मतदाता शिक्षा अभियान चलाने के लिए नागरिक समाजों को शामिल करना;
- राजनीतिक दलों के लिए चुनाव अभियान की रणनीतियां बनाते समय और नीतिगत पदों को विकसित करते समय विकलांग व्यक्तियों के लिए एक सार्थक आउटरीच का संचालन करने के लिए एक रूपरेखा।

**सर्वोत्तम अभ्यास से सीखें**

- कुछ राज्यों ने भागीदारी बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर पहल शुरू की है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ ने प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक विकलांग व्यक्ति को नामांकित करने की पहल शुरू की।

## फेक न्यूज (Fake News)

**चर्चा में क्यों :** सरकार ने कहा कि वर्ष 2021-22 में, सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों में लगे 94 YouTube चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) को ब्लॉक कर दिया।

- ये कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत की गई है।

**फेक न्यूज से लड़ने के लिए वैधानिक और संस्थागत तंत्र:**

- प्रिंट मीडिया के संबंध में, भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई), प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है।
- पीसीआई ने मीडिया द्वारा पालन के लिए "पत्रकारिता आचरण के मानदंड" तैयार किए हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया को फर्जी/झूठी खबरों के प्रकाशन/प्रसार से रोकने के लिए विशिष्ट मानदंड शामिल हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टेलीविजन) के लिए, सभी टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करना आवश्यक है।
- डिजिटल समाचारों के लिए, सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल

मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000, कंप्यूटर संसाधनों के उपयोग से संबंधित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- इसमें सभी 'मध्यस्थ' शामिल हैं जो कंप्यूटर संसाधनों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग में भूमिका निभाते हैं।

**आईटी अधिनियम की धारा 69A:**

- यह केंद्र और राज्य सरकारों को "किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिये" निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।

**इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया:**

- धारा 69A समान कारणों और आधारों के लिये (जैसा कि ऊपर बताया गया है) केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी या मध्यस्थों से किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, पारेषित, प्राप्त या भंडारित की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिये कहने में सक्षम बनाती है।
- एक्सेस (access) को अवरुद्ध करने के लिये ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिये गए कारणों पर आधारित होना चाहिये।

**फेक न्यूज**

- फेक न्यूज ऐसी खबरें, कहानियां या झांसे हैं जो जानबूझकर गलत सूचना देने या पाठकों को धोखा देने के लिए बनाई जाती हैं।
- आमतौर पर, इन कहानियों को या तो लोगों के विचारों को प्रभावित करने, राजनीतिक एजैंडा को आगे बढ़ाने या भ्रम पैदा करने के लिए बनाया जाता है और अक्सर ऑनलाइन प्रकाशकों के फायदे के लिए होती हैं।

**फेक न्यूज के प्रसार के कारण**

**मीडिया नैतिकता का क्षरण:**

- समाचार मीडिया को अब 'वास्तविक समाचार' के मध्यस्थ के रूप में नहीं देखा जाता है।
- मीडिया को प्रभुत्वशाली राजनीतिक वर्ग का प्रतिध्वनि-कक्ष माना जाता है।
- इस प्रकार समाचार मीडिया ने प्रेरित रिपोर्टिंग के कारण विश्वसनीयता खो दी है, जो नकली समाचारों का स्रोत बन गया है।

**सोशल मीडिया:**

- सोशल मीडिया के आने से नकली समाचारों के निर्माण और प्रसार को विकेंद्रीकृत कर दिया है।
- इंटरनेट और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की विशालता ने नकली समाचारों की उत्पत्ति का पता लगाना लगभग असंभव बना दिया है।

**समाज का ध्रुवीकरण (Polarization of society) :**

- वैचारिक आधार पर समाज में बढ़ती फूट ने फेक न्यूज फैलाने का काम आसान कर दिया है।

**कानून व्यवस्था का अभाव:**

- भारत में फेक न्यूज से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है।

**संतुलन हासिल करना मुश्किल:**

- नकली समाचारों को नियंत्रित करने के प्रयासों से वैध खोजी और स्रोत-आधारित पत्रकारिता या संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने का खतरा नहीं होना चाहिए।

**इस खतरे से निपटने के लिए उपलब्ध उपाय**

- **भारतीय प्रेस परिषद:** यह संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाई गई है, एक वैधानिक निकाय है और फर्जी खबरों पर नजर रखती है। यह समाचार पत्र, समाचार एजेंसी को चेतावनी, चेतावनी या निंदा कर सकती है।
- **आईपीसी की धारा 153ए और 295:** इसके तहत फर्जी खबर बनाने या फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है यदि इसे हेट स्पीच कहते है।
- **इंडियन ब्रॉडकास्ट फाउंडेशन (आईबीएफ):** यह निकाय वर्ष 1999 में 24×7 चैनलों द्वारा प्रसारित सामग्री के खिलाफ शिकायतों को देखने

के लिए बनाया गया था।

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम - धारा 69A - यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा नोटिस को हटाने के अनुसार किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए गूगल जैसे बिचौलियों पर एक दायित्व लगाता है।

**आगे की राह**

- **नीति तैयार करना** - सरकार को नकली समाचारों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न हितधारकों से इनपुट के साथ एक नीति बनानी चाहिए।
- **नियामक तंत्र** - पीसीआई को एक तरह से सुधार और सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि यह एक ओर मीडिया और भाषण की स्वतंत्रता तथा दूसरी ओर जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने में सक्षम हो सके।
- अंतिम उपयोगकर्ताओं को समाचार के अधिक समझदार उपभोक्ता होने के लिए उन्हें सत्यापन उपकरण के बारे में सूचित करके शिक्षित करना ताकि वे इसे साझा करने से पहले किसी समाचार की सटीकता का पता लगा सकें।
- फर्जी खबरों के 'स्रोत' पर नज़र रखने के लिए सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को डी-एनोनाइज़ (De-anonymizing) करना।

## भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

**चर्चा में क्यों :** भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को चल रहे मानसून सत्र में लोकसभा ने मंजूरी दी।

- यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक में मौजूद समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर बने प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।
- यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।

**विधेयक की मुख्य विशेषताएं**

**प्रयोज्यता:**

- बिल के प्रावधान किसी भी व्यक्ति, जहाज या विमान पर लागू होंगे जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतर्गत अंटार्कटिका के लिए भारतीय अभियान का हिस्सा है।

**केंद्रीय समिति:**

- केंद्र अंटार्कटिक शासन और पर्यावरण संरक्षण पर एक समिति की स्थापना करेगा।
- समिति की अध्यक्षता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव करेंगे।

परमिट की जरूरत: निम्नलिखित गतिविधियों के लिए समिति के परमिट की आवश्यकता होगी जैसे:

- अंटार्कटिका में भारतीय अभियान का प्रवेश या उसका वहां रहना,
- अंटार्कटिका में किसी व्यक्ति का प्रवेश या भारतीय स्टेशन में रहना,
- भारत में पंजीकृत जहाज या विमान का अंटार्कटिका में प्रवेश या वहां रहना,
- किसी व्यक्ति या जहाज का खनिज संसाधनों को ड्रिल, ड्रेज या उसकी खुदाई करना, या खनिज संसाधनों का सैंपल एकत्र करना,
- ऐसी गतिविधियां जो देशी प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और
- अंटार्कटिका में किसी व्यक्ति, जहाज या विमान का कचरा निस्तारण।

- समिति द्वारा परमिट दिए जाने से पहले, आवेदक को प्रस्तावित गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करना होगा।
- इसके अलावा, परमिट तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि समिति द्वारा अभियान के लिए अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार नहीं की जाती है।

**प्रतिबंधित गतिविधियां:** बिल अंटार्कटिका में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है, जिनमें शामिल हैं:

- परमाणु विस्फोट या रेडियोएक्टिव कचरे का निस्तारण
- उपजाऊ मिट्टी को ले जाना, और
- समुद्र में कचरा, प्लास्टिक या समुद्री वातावरण के लिए नुकसानदेह पदार्थों को निस्तारित करना।

- **अपराध और सजा:** बिल अपने प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड निर्दिष्ट करता है।

**अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान**

- यह अंटार्कटिक फंड नामक एक फंड बनाने का भी निर्देश देता है जिसका उपयोग अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा के लिए किया जाएगा।
- यह विधेयक भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अंटार्कटिका तक भी विस्तारित करता है और भारतीय नागरिकों, विदेशी नागरिकों, जो भारतीय अभियानों का हिस्सा हैं, या भारतीय अनुसंधान केंद्रों के परिसर में हैं, द्वारा महाद्वीप पर अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान करता है।

**अंटार्कटिक संधि**

- अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिये 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- 12 मूल हस्ताक्षरकर्त्ता अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्राँस, जापान, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस हैं।
- वर्तमान में इसमें 54 पक्षकार हैं। वर्ष 1983 में भारत इस संधि का सदस्य बना।

**इसके उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरल लेकिन अद्वितीय हैं। वे हैं:**

- 0 अंटार्कटिका को असैन्यीकरण करना, इसे परमाणु परीक्षणों से मुक्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करना और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान करना, और यह सुनिश्चित करना कि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाता है;
- अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना;
- क्षेत्रीय संप्रभुता पर विवादों को निष्प्रभावी करना।

- संधि पक्ष हर साल अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक में शामिल होते हैं।

**तीन अंतरराष्ट्रीय समझौते:**

- अंटार्कटिक सीलों के संरक्षण के लिये 1972 कन्वेंशन।
- अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर 1980 का कन्वेंशन।
- अंटार्कटिक संधि के लिये पर्यावरण संरक्षण पर 1991 का प्रोटोकॉल।

## राज्यसभा की भूमिका

**संदर्भ:** राज्यसभा हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

**उत्पत्ति**

- राज्य सभा की उत्पत्ति का पता 1918 की मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार अधिनियम, 1919 से लगाया जा सकता है, जो संसद के दूसरे संघीय सदन या राज्यों की परिषद के लिए प्रदान करता है।
- राज्य सभा संसद के दूसरे सदन के रूप में स्थायी सदन, पुनरीक्षण सदन के रूप में कुछ भूमिकाएं निभाने का इरादा रखती है और संसद द्वारा पारित कानूनों की अंतर्निहित नीतियों में निरंतरता प्रदान करती है।

**राज्यसभा की भूमिका**

**भारत की संघीय राजनीति का सुरक्षा वाल्व (Safety Valve of India's Federal Polity)**

- संघ की इकाइयों को प्रतिनिधित्व देने हेतु संघीय संविधान के लिए द्विसदनीयता आवश्यक है।
- नियंत्रण और संतुलन आमतौर पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच काम करते हैं, जबकि राज्यों की परिषद संघीय तनाव को कम करते हुए, विधायिका के भीतर ही एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती है।

**समीक्षा और पुनर्मूल्यांकन भूमिका**

- भारतीय संविधान निर्माता एक ऐसे सदन का निर्माण करना चाहते थे जो लोकलुभावन दबाव में निचले सदन द्वारा पारित किए जाने वाले जल्दबाजी में कानून पर रोक लगाने के लिए एक संशोधन सदन के रूप में कार्य किये।
- इसके अलावा, जब सत्ताधारी सरकार के पास लोकसभा में एक प्रचंड बहुमत होता है, तो राज्य सभा उस समय की सरकार को सत्तावाद का प्रयोग करने से रोक सकती है।

**एक विचारशील निकाय**

- संसद न केवल एक विधायी निकाय है बल्कि एक विचार-विमर्श करने वाली संस्था भी है जो सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर बहस करने में सक्षम बनाती है।
- यह अपने सदस्यों को आवाज प्रतिरोध (tovoice resistance), असहमति, या किसी भी असहमति के लिए भी सशक्त बनाता है, भले ही कानून बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा प्राथमिक हितधारक के रूप में हावी हो।

**कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व**

- महिलाओं, धार्मिक, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- इस प्रकार, राज्यसभा उन लोगों के लिए जगह बना सकती है जो एक लोकप्रिय जनादेश जीतने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।

**राज्यसभा से संबंधित मुद्दे**

**राज्यों का समान प्रतिनिधित्व न होना**

- राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी सापेक्ष जनसंख्या के अनुपात में होता है।
- उदाहरण के लिए, अकेले उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या संयुक्त उत्तर-पूर्वी राज्यों की तुलना में काफी अधिक है।

**राज्यसभा को दरकिनार करने का प्रयास**

- कुछ मामलों में, साधारण विधेयक धन विधेयक के रूप में पारित किए जा रहे हैं, जो राज्य सभा का चक्कर लगाते हैं और संसद के उच्च सदन की प्रभावशीलता के बारे में प्रश्न को उजागर करते हैं।

**राज्यसभा के संघीय चरित्र को कमजोर करना**

- इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो किसी राज्य का न तो निवासी हैं और न ही उसका अधिवास है, वह व्यक्ति भी उस राज्य से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है।
- इस संशोधन के बाद राज्यसभा की सीटों का उपयोग सत्तारुढ़ दल द्वारा लोकसभा में अपने पराजित उम्मीदवारों को राज्यसभा में चुने जाने के लिये किया जा रहा है।

**मनोनीत सदस्यों की कम भागीदारी**

- मनोनीत सदस्यों की ईमानदारी पर कई बार सवाल उठाए गए हैं।

- ऐसे सदस्य एक बार नामांकित होने के बाद सदन के कामकाज में शायद ही कभी भाग लेते हैं।

**आगे की राह**

- प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व को सक्षम करने के लिए एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि बड़े राज्य सदन की कार्यवाही पर हावी न हों।
- सदन में चर्चा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नामांकन की बेहतर प्रक्रिया की आवश्यकता है।
  - इस संबंध में यूके से संकेत लिया जा सकता है।
- धन विधेयक के दायरे में सरकार द्वारा राज्य सभा को दरकिनार करने के खिलाफ विधायिका द्वारा जाँच।

भारतीय राजनीति में उतार-चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। लोक सभा के साथ यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी है। राज्य सभा को भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखने में सक्षम बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

**टिप्पणी:**

**राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ**

- एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करने की शक्ति (अनुच्छेद 249)।
- इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना (अनुच्छेद 312)।
- अनुच्छेद 352 के तहत एक सीमित अवधि के लिए आपातकाल का समर्थन करना जब लोकसभा भंग रहती है।

## गिरफ्तारी और जमानत आदेश पर दिशा निर्देश (Guidelines on arrests and bail orders)

**संदर्भ:** सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41 और 41 ए के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए गिरफ्तारी पर नए दिशानिर्देश निर्धारित किए।

**व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाता है?**

- गिरफ्तारी को इसके सरलतम रूप में परिभाषित किया गया है, "जब किसी को उसकी स्वतंत्रता से लिया और रोका जाता है"।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत पुलिस को गिरफ्तार करने की व्यापक शक्तियाँ हैं।
- सतेंद्र कुमार अंतिल मामले के संबंध में न्यायालय ने विशेष निर्देश जारी किए हैं और अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।
- कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी धारा 41 और 41ए के आदेश और अर्नेश कुमार मामले में जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

**दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41ए क्या हैं?**

- सीआरपीसी की धारा 41 के तहत उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट ऑर्डर या वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।
- 41ए के तहत मुख्यतः उन बातों का जिक्र है जिनमें पुलिस अधिकारी के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बजाय नोटिस दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अदालत ने कहा कि एजेंसियों की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए और उसके बाद उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।
- पीठ ने आगे कहा कि अदालतों को धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर स्वयं को संतुष्ट करना होगा।
- कोई भी गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार बना देगा।

**जमानत के संबंध में दिशानिर्देश क्या हैं?**

- न्यायालय ने एक ऑर्बिटर के रूप में एक विशिष्ट अवलोकन किया है कि भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में एक अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकती है, ताकि जमानत के अनुदान को सुव्यवस्थित किया जा सके।
- नए दिशानिर्देशों के रूप में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय

जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

- न्यायालय ने कहा कि "सिद्धार्थ में इस अदालत के फैसले में निर्धारित जनादेश का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है" (सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, 2021)।
- न्यायालय का यह स्पष्ट निर्देश है कि जमानत आवेदनों का निपटारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रावधान अन्यथा अनिवार्य हों।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि "अग्रिम जमानत के लिए आवेदनों को किसी भी हस्तक्षेप करने वाले आवेदन के अपवाद के साथ छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने की उम्मीद है"।

**इन आदेशों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए जाने की जरुरत है?**

- राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- उच्च न्यायालय को राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष न्यायालयों की आवश्यकता पर कार्य करना होगा।
- विशेष न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के पदों की रिक्तियों को शीघ्रता से भरना होगा।

**विचाराधीन कैदियों के बारे में क्या?**

- उच्च न्यायालयों को शीर्ष अदालत द्वारा उन विचाराधीन कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जो जमानत की शर्तों का पालन नहीं कर सकते हैं।
- ऐसा करने के बाद उनकी रिहाई को सुविधाजनक बनाने के लिए संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी।
- धारा 440 के तहत, बांड की राशि अधिक नहीं होगी, और उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को कम कर सकते हैं।
- संहिता की धारा 436ए के आदेश का पालन करने के लिए इसी तरह एक अभ्यास करना होगा, जिसके तहत जांच या मुकदमे के दौरान कैद किए गए व्यक्ति को उस अपराध के लिए निर्धारित जेल की अवधि की आधी अवधि पूरी होने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।

**जरूर पढ़ें :** Pressing need for Bail Law + Article 142

## सुप्रीम कोर्ट ने PMLA को बरकरार रखा

**चर्चा में क्यों :** हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) में किए गए मुख्य संशोधनों को बरकरार रखा।

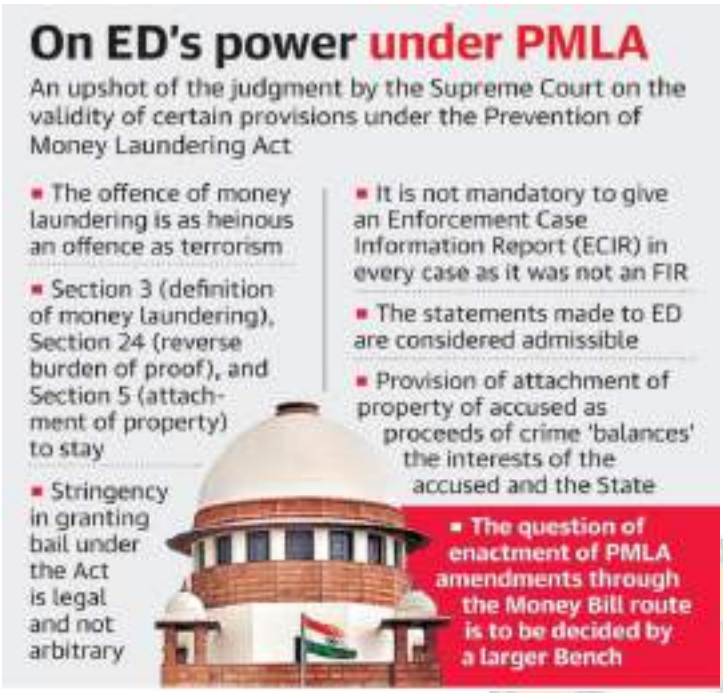


- यह अधिनियम सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सम्मन, गिरफ्तारी और छापेमारी की शक्तियां देता है, और निर्दोषता के सबूत का बोझ अभियोजन पक्ष के बजाय आरोपी पर स्थानांतरित करते हुए जमानत को लगभग असंभव बना देता है।
- शीर्ष अदालत ने पीएमएलए को "मनी लॉन्ड्रिंग के अभिशाप" के खिलाफ एक कानून कहा था, न कि प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं और असंतुष्टों के खिलाफ छेड़ा गया एक कानून।

**विवादित प्रावधान**

- उन संशोधनों के खिलाफ 240 से अधिक याचिकाएं दायर की गईं, जिन्हें चुनौती देने वालों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून की प्रक्रियाओं और संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करने का दावा किया था।

**आहूत (Summoning)**

- **याचिकाकर्ताओं का तर्क:** ईडी द्वारा आरोपियों को सरसरी तौर पर तलब (summarily summoned ) किया है और गिरफ्तारी की धमकी पर बयानों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है और ईडी ने एक दीवानी अदालत की शक्तियां ग्रहण की हैं।
- **सुप्रीम कोर्ट:** अदालत ने कहा कि अपराध की आय के संबंध में प्रासंगिक तथ्यों की "जांच" के हिस्से के रूप में बयान दर्ज किए गए थे। इसे अभियोजन के लिए एक जांच के बराबर नहीं किया जा सकता है।
  - कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 20(3) (आत्म-अपराध के खिलाफ मौलिक अधिकार) के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता।

**गिरफ़्तार करना**

- याचिकाकर्ताओं का तर्क: ईडी किसी व्यक्ति को आरोपों की जानकारी दिए बिना भी उसे गिरफ्तार कर सकता है।
  - यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित 'उचित प्रक्रिया' के अधिकार का उल्लंघन है।
  - इसके अलावा, अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताए बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- **सुप्रीम कोर्ट:** अदालत ने कहा कि अधिनियम के भीतर "अंतर्निहित सुरक्षा उपाय" हैं, जिसमें गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना भी शामिल है।
- अदालत ने कहा कि संबंधित व्यक्ति को हर मामले में ECIR की एक प्रति की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है और "यह पर्याप्त है अगर ईडी गिरफ्तारी के

समय ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करता है।

**जमानत**

- याचिकाकर्ताओं का तर्क: PMLA के तहत जमानत की "दोहरी शर्तें" ने आरोपी के लिए रिहाई की उम्मीद को खत्म कर दिया।
- दो शर्तें हैं "यह मानने के लिए उचित आधार होना चाहिए कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है" और आरोपी के "जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है"।
  - **SC:** कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कोई सामान्य अपराध नहीं है। यह "दुनिया भर में अपराध का उग्र रूप" था।
  - हालांकि, अदालत ने कहा कि विचाराधीन व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436ए के तहत जमानत की मांग कर सकते हैं यदि वे कानून में निर्धारित अपराध के लिए सजा की आधी अवधि पहले ही जेल में बिता चुके हैं।

**सबूत का बोझ (Burden of Proof)**

- **याचिकाकर्ता का तर्क:** आरोपी के कंधों पर सबूत का बोझ होता है।
- **SC:** प्रावधान "मनमानापन या अनुचितता के दोष" से ग्रस्त नहीं था।
  - 2002 के अधिनियम के तहत अपराध के कमीशन में व्यक्ति की संलिप्तता के बारे में गंभीर संदेह के तथ्य का समर्थन करने वाली सामग्री की स्वीकार्यता के मुद्दे को कानून में स्वीकार कर लिया जाता है, उस संदेह को दूर करने के लिए बोझ संबंधित व्यक्ति पर स्थानांतरित होना चाहिए।

**संपत्ति संलग्न करना**

- **याचिकाकर्ताओं का तर्क:** उन्होंने अपराध की आय के रूप में संपत्ति को कुर्क करने के लिए ईडी को दी गई शक्तियों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया था कि जो संपत्तियां अपराध की आय नहीं थीं, उन्हें भी एजेंसी द्वारा कुर्क किया जाता है।
- **SC:** अदालत ने कहा कि PMLA की धारा 5, जो संपत्ति की अस्थायी कुर्की से संबंधित है, एजेंसी द्वारा "यांत्रिक रूप से" उपयोग नहीं की जा सकती है।
  - 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस धारणा पर कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते हैं कि उनके द्वारा बरामद की गई संपत्ति अपराध की आय होनी चाहिए और यह कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि वह क्षेत्राधिकार पुलिस के साथ पंजीकृत न हो या सक्षम फोरम के समक्ष शिकायत के माध्यम से जांच लंबित है।

**अवश्य पढ़ें:** धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002

## वन अधिकार अधिनियम, 2006

**चर्चा में क्यों :** कई राज्य ऐतिहासिक अधिनियम के कार्यान्वयन को पूरा करने के करीब नहीं हैं, जबकि ओडिशा वर्ष 2024 तक पूर्ण रोलआउट का लक्ष्य बना रहा है।

- केंद्रीय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बजटीय प्रावधान करने वाला यह देश का पहला राज्य है - वर्ष 2021-22 में 168 FRA सेल के लिए ₹8 करोड़।
- पिछले वर्ष तक आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में वन अधिकार समितियाँ कार्यरत थीं। अब इनका विस्तार पूरे राज्य में कर दिया गया है।
- राज्य न केवल भूमि पर काश्तकारी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित कर रहा है बल्कि अधिनियम के तहत आजीविका और खाद्य सुरक्षा को भी चिन्हित कर रहा है।
- ओडिशा का एसटी और एससी विकास विभाग सभी प्रकार के वन अधिकार प्रदान करके एफआरए के लिए मिशन 2024 शुरू करने वाला है, चाहे वह व्यक्ति, समुदाय या आवास के लिए ही हो।
- इस मिशन का उद्देश्य वर्तमान में वित्त विभाग और योजना तथा अभिसरण विभाग की जांच के तहत, आदिवासी लोगों को उनका सही स्वामित्व प्रदान करना है।

**वन अधिकार अधिनियम, 2006**

- वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।
- यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है।
- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।

- ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।

**वन अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार:**

**स्वामित्व अधिकार**

- यह FDST और OTFD को आदिवासियों या वनवासियों द्वारा अधिकतम 4 हेक्टेयर के अधीन खेती की गई भूमि पर स्वामित्व का अधिकार देता है।
- यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिये है जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी।

**अधिकारों का प्रयोग:**

- वन निवासियों के अधिकारों का विस्तार लघु वनोत्पाद, चराई क्षेत्रों आदि तक है।

**राहत और विकास से संबंधित अधिकार:**

- वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन और बुनियादी सुविधाओं के मामले में पुनर्वास का अधिकार शामिल है।

**वन प्रबंधन अधिकार:**

- इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनः उत्थान या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है, जिसे वन निवासियों द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से संरक्षित एवं सुरक्षित किया जाता है।

## भारत के वित्तीय संघवाद की खराब स्थिति

**संदर्भ:** सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के बारे में संस्थापकों की चिंताओं पर आज की राजकोषीय नीति में ध्यान नही दिया जा रहा है "राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे पास असमानता होगी। इन संघर्षों ने ध्यान देने की मांग की: ऐसा करने में विफल, और जो इनकार करते हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उड़ा देंगे।

- शुरू में सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय विषमताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए वित्तीय शक्ति में एक हद तक केंद्रीकरण की आवश्यकता थी।
- लेकिन संविधान में निहित इस असममित संघवाद को हाल ही में राजनीतिक केंद्रीकरण के साथ तेज और पारस्परिक रूप से मजबूत किया गया है, जिससे केंद्र सरकार सक्षम होने के बजाय निकालने वाली हो गई है।

**क्या हो रहा है?**

**एक राजनीतिक संस्थान**

- ऐतिहासिक रूप से, भारत के वित्तीय हस्तांतरण ने दो स्तंभों के माध्यम से काम किया
  - योजना आयोग और
  - वित्त आयोग।
- लेकिन 1990 के दशक के बाद से योजना के पतन और 2014 में इसके उन्मूलन के कारण वित्त आयोग वित्तीय हस्तांतरण का एक प्रमुख साधन बन गया क्योंकि आयोग ने 2000 से सभी करों को साझा करने के अपने दायरे को सिर्फ दो करों के अपने मूल डिजाइन से बढ़ा दिया - आयकर और संघ उत्पाद शुल्क।
- वर्तमान में वित्त आयोग केंद्र सरकार के प्रति मनमानी और अंतर्निहित पूर्वाग्रह के साथ एक राजनीतिक संस्थान बन गया है।

**वित्तीय क्षमता को खोखला करना**

**स्थिर राजस्व**

- राज्यों की अपने स्वयं के राजस्व से वर्तमान व्यय को वित्तपोषित करने की क्षमता वर्ष 1955-56 में 69% से घटकर वर्ष 2019-20 में 38% से

कम हो गई है।

- राज्यों का व्यय बढ़ रहा है, जबकि उनके राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है।
- पेट्रोलियम उत्पादों, बिजली और शराब को छोड़कर, अप्रत्यक्ष कर अधिकारों में कटौती के कारण राज्य कर राजस्व नहीं बढ़ा सकते हैं - राजस्व सकल घरेलू उत्पाद 6% पर स्थिर रहा है।

**हस्तांतरण**

- 14वें वित्त आयोग द्वारा हस्तांतरण का बढ़ा हुआ हिस्सा, 32% से 42% तक, उपकर और अधिभार द्वारा हटा दिया गया था जो सीधे केंद्र में जाता है।
- केंद्र के सकल कर राजस्व में यह गैर-विभाजनकारी पूल 2012 में 9.43% से बढ़कर 2020 में 15.7 फीसदी हो गया, जिससे राज्यों को हस्तांतरण के लिए संसाधनों का विभाज्य पूल सिकुड़ गया।
- इसके अलावा, हाल ही में कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती, विभाज्य पूल पर इसके प्रतिकूल प्रभाव और राज्यों को जीएसटी मुआवजे को समाप्त करने के बहुत बड़े परिणाम हुए हैं।

**डिफरेंशियल इंटरेस्ट (Differential Interest)**

- राज्यों को बाजार उधार के लिए संघ द्वारा 7% के मुकाबले लगभग 10% अंतर ब्याज का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है।

**केंद्र प्रायोजित योजनाएं**

- 131 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनमें से कुछ दर्जन आवंटन के 90% के लिए जिम्मेदार हैं, और राज्यों को लागत का एक हिस्सा साझा करने की आवश्यकता है।
- वे अपनी प्राथमिकताओं की कीमत पर लगभग 25% से 40% समान अनुदान के रूप में खर्च करते हैं।
- एक आकार-फिट-सभी दृष्टिकोण से संचालित इन योजनाओं को राज्य की योजनाओं पर वरीयता दी जाती है, जो राज्यों की चुनावी अनिवार्य लोकतांत्रिक राजनीति को कमजोर करती है।
- लोकतांत्रिक आवेगों से प्रेरित, राज्य उन योजनाओं को विकसित करने में सफल रहे हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया था, उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी, तमिलनाडु में दोपहर का भोजन, कर्नाटक और केरल में स्थानीय शासन, और हिमाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा।

**गहराती असमानता**

- इस राजनीतिक केंद्रीकरण ने केवल असमानता को गहरा किया है।
- अमीरों पर कर लगाने के मामले में भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
- इसका कर-जीडीपी अनुपात दुनिया में सबसे कम में से एक रहा है - जिसमें से 17% उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं और ओईसीडी देशों के औसत अनुपात से काफी नीचे है, जो क्रमशः 21% और 34% है।

**समस्याएं**

- स्वतंत्रता के बाद दशकों तक राजकोषीय क्षमता से बाहर रहना जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया में एक प्रतिगामी अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली पर सबसे कम कर आधार बनाया गया।
- भारत अपने संपत्ति वर्गों पर कर लगाने में विफल रहा है।
- भारत में संपत्ति कर भी नहीं है।
- इसका आयकर आधार बहुत संकीर्ण रहा है।
- अप्रत्यक्ष कर अभी भी कुल करों का लगभग 56% है।
- प्रत्यक्ष कराधान को मजबूत करने के बजाय, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को 35% से घटाकर 25% कर दिया और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का मुद्रीकरण किया।

**आगे की राह**

उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिए भारत के राजकोषीय संघवाद को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

- **वित्त आयोग:** वित्त की भूमिका को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। आयोग को सभी हितधारकों की चिंताओं पर विचार करके एक हस्तांतरण ढांचा तैयार करना चाहिए।
- नीति आयोग को विकास असंतुलन को कम करके राज्यों के बीच क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
- विकेंद्रीकरण स्थानीय वित्त और राज्य वित्त आयोग को मजबूत करके नए वित्तीय संघवाद के तीसरे स्तंभ के रूप में काम कर सकता है।
- एकल दर जीएसटी और पारदर्शिता सुनिश्चित करके वस्तु एवं सेवा कर को इसकी ढांचा में सरल बनाया जाना चाहिए।
- राज्यों के प्रति एक सुधारात्मक दृष्टिकोण - केंद्र राज्यों की चिंताओं और राजकोषीय दुविधाओं के प्रति अधिक सुलह करने का प्रयास कर सकता है।

अर्थव्यवस्था

## GST के पांच साल (GST- Five years on)

**संदर्भ:** भारतीय वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन के पांच साल पूरे हुए।

**GST क्या है? यह कैसे काम करता है?**

- GST पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एक एकीकृत सामान्य बाजार बना देगा।
- GST निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है।
- GST के तहत, केंद्र और राज्य दोनों ही वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर कर लगा सकते हैं।
- प्रत्येक स्तर पर प्रदत्त निर्दिष्ट करों के क्रेडिट मूल्यवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगें, जिससे GST आवश्यक रूप से प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्यवर्धन पर ही लगने वाला कर होगा।
- इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा प्रभावित GST का ही वहन करेगा जिसमें पूर्व के सभी चरणों के प्रारंभिक हितलाभ शामिल होगें।
- प्रणाली को सरल माना जाता था क्योंकि अधिकांश सामान 0, 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के कर स्लैब के अंतर्गत आते थे।

**GST के क्या फायदे हैं?**

**व्यापार और उद्योग के लिए**

- **सरल अनुपालन:** एक सुदृढ़ और व्यापक आईटी प्रणाली भारत में जीएसटी व्यवस्था का आधार होगी। अतः सभी करदाता सेवाएं जैसे कि पंजीकरण, रिटर्न, भुगतान आदि करदाताओं को ऑनलाइन उपलब्ध होंगे, जिससे अनुपालन सरल और पारदर्शी होगा।
- **कर दरों और ढांचों में एकरूपता:** GST यह सुनिश्चित करेगा कि अप्रत्यक्ष कर की दरें और ढांचें पूरे देश में एक जैसे होगें हैं, जिससे व्यवसाय में निश्चितता और सरलता बढ़ेगी। अन्य शब्दों में, जीएसटी से देश में व्यवसाय करना कर निरपेक्ष होगा, भले ही व्यवसाय करने के स्थान कोई भी हो।
- **करों पर कराधान (कैस्केडिंग) की समाप्ति:** मूल्य-श्रृंखला में और राज्यों की सीमाओं से बाहर टैक्स-क्रेडिट की सुचार प्रणाली से यह सुनिश्चित होगा कि करों पर कम से कम कराधान हो।
- **प्रतिस्पर्धा में सुधार:** व्यापार करने में लेनदेन लागत घटने से व्यापार (निर्यात) और उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा में सुधार को बढ़ावा मिलेगा।

**केंद्र और राज्य सरकारों के लिए**

- **सरल और आसान प्रशासन:** केंद्र और राज्य स्तर पर बहुआयामी अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी लागू करके हटाया जा रहा है। मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित जीएसटी केंद्र और राज्य द्वारा अभी तक लगाए गए सभी अन्य अप्रत्यक्ष करों की तुलना में सरल और आसान होगा।
- **कदाचार पर बेहतर नियंत्रण:** मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के कारण जीएसटी से बेहतर कर अनुपालन परिणाम प्राप्त होगें। मूल्य संवर्धन की श्रृंखला में एक चरण से दूसरे चरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सुगम हस्तांतरण जीएसटी के स्वरूप में एक अंतर्निहित तंत्र है जो व्यापारियों द्वारा कर अनुपालन को प्रोत्साहित करेगा।
- **अधिक राजस्व निपुणता:** जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। इसलिए इससे उच्च राजस्व निपुणता को बढ़ावा मिलेगा।

**उपभोक्ता के लिए:**

- **वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपात में एकल और पारदर्शी कर:** जीएसटी के अधीन निर्माता से उपभोक्ता तक केवल एक ही कर लगेगा, जिससे अंतिम उपभोक्ता को भुगतान किए गए करों में पारदर्शिता आएगी।
- **समग्र कर भार में राहत:** निपुणता बढ़ाने और कदाचार पर रोक लगने के कारण अधिकांश वस्तुओं पर कुल कर का भार कम हो जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

**केंद्र और राज्य स्तर पर कौन से करों को जीएसटी में शामिल किया जा रहा है?**

- केंद्रीय स्तर पर, निम्नलिखित करों को सम्मिलित किया जा रहा है:
  - केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क जिसे आमतौर पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, और सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क
- राज्य स्तर पर, निम्न करों को सम्मिलित किया जा रहा है:
  - राज्य मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर, मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा), केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा लगाया गया और राज्यों द्वारा एकत्र), चुंगी और प्रवेश कर, खरीद कर, विलासिता कर और लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर।

**GST परिषद क्या है?**

- GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है और इसे संविधान (एक सौ पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा पेश किया गया था।

**GST परिषद के सदस्य:**

- केंद्रीय वित्त मंत्री (परिषद के अध्यक्ष), केंद्र के राजस्व या वित्त राज्य के प्रभारी मंत्री और सभी राज्यों के राजस्व या वित्त मंत्री होते है।

**GST परिषद के कार्य:**

- कर दरों और कर दरों में छूट की सिफारिश करने के लिए - कुछ राज्य, प्राकृतिक आपदाएं, आदि।
- कोरम (Quorum) - 50 प्रतिशत
- भारित मत (Weightage of votes) - केंद्र के लिए 1/3 और राज्यों के लिए 2/3
- बहुमत - भारित मतों का 3/4।

**समय के साथ जीएसटी कैसे विकसित हुआ है और सिस्टम की निपुणता में सुधार के लिए नए उपायों को शामिल किया है?**

जीएसटी के पिछले पांच वर्षों में प्रक्रियात्मक और तकनीकी सुधारों के साथ-साथ कई नीतिगत बदलाव हुए हैं, जिनमें से कुछ ने कर प्रणाली की रूपरेखा पूरी तरह से बदल दिया है।

- **ई-चालान:** ई-चालान की शुरूआत, जारी करने से पहले निर्धारिती को जीएसटी सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक कर चालान को मान्य करने की आवश्यकता है।
- **ई-वे बिल (E-way Bill):** सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट किए गए दस्तावेज़ जारी करके माल की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए 1 अप्रैल, 2018 को ई-वे बिल सिस्टम लाया।
- **दर को युक्तिसंगत बनाना:** जीएसटी कानून का एक मूलभूत सिद्धांत एक सरलीकृत दर ढांचा है।

**क्या पिछले पांच वर्षों में जीएसटी ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है?**

- भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश के लिए एकीकृत कर प्रणाली लागू करना एक बहुत बड़ा कार्य है। पुरानी कर व्यवस्था से लेकर जीएसटी तक करदाताओं की ऑन-बोर्डिंग बहुत कुशलता से की गई थी।
- 30 अप्रैल, 2022 तक, GSTN पर 1.36 करोड़ करदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 1.17 करोड़ सामान्य करदाता हैं और 16 लाख कंपोजीशन करदाता हैं (कम दर पर कर का भुगतान)।

- जीएसटी लागू होने के बाद करदाता आधार का विस्तार हुआ है, कई कंपनियों ने अपने आपूर्तिकर्ताओं से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करने के लिए कहा है।
- वित्त वर्ष 2010 में आर्थिक मंदी और महामारी से कर संग्रह प्रभावित हुआ, लेकिन तब से इसमें सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 2012 में 27 प्रतिशत से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि प्राप्त हुई है।
- ई-चालान दाखिल करने की आवश्यकता और ई-वे बिलों के कार्यान्वयन ने जीएसटी प्रणाली में स्व-पुलिस तंत्र को मजबूत किया है।
- पूरी प्रणाली के डिजिटलीकरण से कर चोरी की पहचान करना और उसकी जांच करना आसान हो गया है।

**फिर, कुछ राज्य जीएसटी लागू करने के तरीके से प्रसन्न क्यों नहीं हैं?**

- जीएसटी एक गंतव्य-आधारित कर है जिसमें उस राज्य द्वारा कर एकत्र किया जाता है जहां माल और सेवाएं बेची जाती हैं, न कि उस राज्य द्वारा जहां उत्पादक स्थित है। कुछ राज्य जो खनिज, माल या कृषि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है, इस संक्रमण के कारण उनके राजस्व का एक हिस्सा चला जाता है।
- जीएसटी मुआवजा उपकर, जिसने पहले 5 वर्षों के लिए 2015-16 के आधार वर्ष में जीएसटी राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि की गारंटी दी, राज्यों को संक्रमण अवधि में मदद करने के लिए था।
- लेकिन वित्त वर्ष 2020 में महामारी और मंदी ने राज्य के वित्त को प्रभावित किया है, जिससे कई राज्यों ने 30 जून, 2022 की समय सीमा से परे मुआवजे के भुगतान को बढ़ाने के लिए कहा है।

**और क्या करने की जरूरत है?**

- **जीएसटी अनुपालन प्रणाली का सरलीकरण और सुदृढ़ीकरण:** भारत में जीएसटी कई फाइलिंग आवश्यकताओं और लंबे रिटर्न प्रारूपों के साथ भारी अनुपालन जारी है।
- **आगे दर युक्तिकरण:** 0, 5%, 12%, 18% और 28% की पांच व्यापक कर दरें हैं, कुछ 'अवगुण' वस्तुओं पर 28% से अधिक उपकर लगाया जाता है।
- **बढ़ी हुई प्राप्ति की आवश्यकता:** सरलीकृत व्यवस्था से अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए। कर अनुपालन को बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता है।
- **ऐतिहासिक मुद्दों पर स्पष्टता:** जीएसटी कानून सेवा कर और मूल्य वर्धित कर ढांचे पर बनाया गया था, जबकि विभिन्न ऐतिहासिक मुद्दे जैसे कि मध्यस्थ, अचल संपत्ति, आदि वर्तमान में भी जारी हैं।
- **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन:** जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन होना बाकी है। इससे मुकदमेबाजी का ढेर लग गया है, जिससे उच्च ब्याज लागत और जीएसटी रिफंड रुका हुआ है।
- **प्रौद्योगिकी में निवेश में वृद्धि:** व्यवसाय के सभी पहलुओं को छूने वाली प्रौद्योगिकी के साथ, यूजर इंटरफेस को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश में वृद्धि और विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए इसका उपयोग करना, भारतीय जीएसटी को दुनिया के बाकी हिस्सों के बराबर रखने और इसे पूरा करने में मदद मिल सकती है।

## वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB)

**संदर्भ:** सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी), राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (एफएसआईबी) में बदल दिया है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) का क्या महत्व है?**

- **भारतीय वित्तीय संरचना का आधार:** 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के राष्ट्रीयकरण के बाद से, 1969 और 1980 में और अधिक बैंकों का अनुसरण किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है। अगर इसका सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होगा।

- **वित्तीय समावेशन:** 1970 के दशक से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से संसाधन जुटाने के साथ-साथ देश के सुदूर हिस्सों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में सबसे आगे रहे हैं।
- **सरकार को राजस्व:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक साल दर साल लगातार लाभांश का भुगतान कर रहे हैं। पीएसबी में सबसे बड़ी शेयरधारक होने के कारण सरकार इन लाभांशों का सबसे बड़ा लाभार्थी है।
- **रिस्कियर लेंडिंग की जिम्मेदारी निभाएं (Shoulder the responsibility of Riskier lending):** पीएसबी की सामान्य धारणा यह है कि वे कई बाधाओं के तहत काम करते हैं, उनका कार्य निजी वित्तीय संस्थानों के समान स्तर पर नहीं होते हैं और उन्हें प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के साथ-साथ निर्देशित उधार के हिस्से के रूप में कभी-कभी राजनीतिक मजबूरियों के तहत अर्थव्यवस्था के कुछ जोखिम भरे क्षेत्रों को उधार देना पड़ता है।
- **बाजार में तरलता (Liquidity in market):** हमारी अर्थव्यवस्था का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बाजार में ऋण प्रवाह करने और पर्याप्त तरलता बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करता है।

**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ क्या मुद्दे रहे हैं?**

- पीएसबी ने हर बड़े घोटाले के बाद विफल निजी बैंकों को अपने कब्जे में लेकर अर्थव्यवस्था के लिए सदमे अवशोषक के रूप में काम किया है;
- प्रत्येक सरकार द्वारा अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शोषण किया गया है, जबकि कभी भी उचित मानव संसाधन नीतियों को लागू और प्रशिक्षण तथा कौशल विकास में निवेश नहीं किया गया है;
- प्रत्येक समस्या में एक समिति का गठन हुआ जिसने बड़ी मेहनत से मुद्दों की पहचान की और समाधान किया।
- आरबीआई द्वारा पर्यवेक्षण की विफलता अधिकांश घोटालों के साथ-साथ दिवालियापन की कार्यवाही शुरू होने तक नाम न बताने और उन्हें शर्मसार करने के लिए बड़े डिफॉल्टरों की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार थी।
- पांच मोर्चों पर सरकारी बैंकों के मालिक के रूप में शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति, उनके बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति, बोर्ड के कामकाज, बैंकों के आंतरिक कामकाज और जवाबदेही तय करने में विफलता की समस्या।

इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की विश्वसनीयता बनाए रखने के हित में, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 70% है।
*देश में बैंकिंग गतिविधियों के लिए, इसके कामकाज में व्यावसायिकता, निपुणता और स्वायत्तता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है (अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम)* ।

**बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) क्या है?**

- बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) की उत्पत्ति मई 2014 में भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा करने के लिए पी.जे. नायक समिति की सिफारिशों में हुई है।
- बीबीबी को पीएसबी और राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए अनिवार्य किया गया था।
  - वित्त मंत्रालय के पास प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है।
- बीबीबी पीएसबी को रणनीतियों और पूंजी जुटाने की योजनाओं को विकसित करने में भी मदद करेगा।
- बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष, तीन पदेन सदस्य अर्थात सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर तथा पांच विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से दो निजी क्षेत्र से रहते हैं।

**वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) क्या है जो BBB का स्थान ग्रहण कर रहा है?**

- यह वित्तीय सेवा विभाग के तहत स्थापित एक सरकारी निकाय है।
- राज्य द्वारा संचालित वित्तीय सेवा संस्थानों के पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने हेतु बोर्ड को सौंपा जाएगा।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों के चयन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।
- जबकि इसका मुख्य कार्य राज्य के स्वामित्व वाली वित्तीय सेवा संस्थाओं के लिए हेड-हंटर की भूमिका निभाना है, बोर्ड राज्य द्वारा संचालित

बैंकों के लिए व्यावसायिक रणनीति तैयार करने और विकसित करने तथा उनका फंड जुटाने की योजनाओं में मदद करना भी शामिल होगा।

**FSIB की संरचना क्या है?**

- FSIB में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष शामिल होगा।
- इस बोर्ड में डीएफएस के सचिव, आईआरडीएआई के अध्यक्ष और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर शामिल होंगे।
- इसके अतिरिक्त, इसमें तीन अंशकालिक सदस्य होंगे जो बैंकिंग के विशेषज्ञ और तीन अन्य बीमा क्षेत्र से होंगे।

**FSIB का जनादेश क्या है?**

- बीबीबी को एक ऐसे निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया था जो कुशलतापूर्वक निगमीकरण करेगा और सरकारी संस्थाओं को निजी हितधारकों की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसने उस मोर्चे पर ज्यादा प्रगति नहीं की।
- FSIB के साथ, इरादा प्रबंधक-प्रबंधकों की भूमिका से परे जाना और इन संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार संहिता और नैतिकता तैयार करने में सरकार की सहायता करना है।
- यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकार के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों तथा बीमा कंपनियों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन भी करेगा।

## रुपये का अवमूल्यन

**चर्चा में क्यों :** भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 79.72 का ऐतिहासिक निचला स्तर दर्ज किया गया और इस साल जनवरी से इसमें लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट आई है।

**क्यों गिर रहा है रुपया?**

**मांग और आपूर्ति:**

- यदि कोई देश निर्यात से अधिक आयात करता है, तो डॉलर की मांग आपूर्ति से अधिक होगी और इससे डॉलर के मुकाबले घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा।

**रूस-यूक्रेन युद्ध:**

- रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक व्यवधान हमारे आयात को महंगा बना रहे हैं, जिससे चालू खाता घाटा बढ़ रहा है।

बढती हुई महँगाई:

- बढ़ती मुद्रास्फीति घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करती है क्योंकि मुद्रास्फ़ीति की तुलना मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी के साथ की जा सकती है।
- इसके परिणामस्वरूप, उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव करने वाले देशों में भी अन्य मुद्राओं की तुलना में उनकी मुद्राओं को कमजोर देखने की प्रवृत्ति होती है।
- इसके परिणामस्वरूप, उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव करने वाले देशों में भी अन्य मुद्राओं की तुलना में उनकी मुद्राओं में कमजोर प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

**कच्चे तेल की ऊंची कीमतें:**

- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हमारा व्यापार घाटा और बढ़ रहा है जिससे रुपये के मूल्य में कमी आ रही है।

**भारत से पूंजी का बहिर्वाह:**

- यू.एस. फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में वृद्धि की, और भारत जैसे उभरते बाजारों की तुलना में डॉलर की संपत्ति पर रिटर्न में वृद्धि हुई।
- इससे भारत से अमेरिका में डॉलर का बहिर्वाह हुआ है।

**प्रभाव**

**कच्चे माल और आयात की लागत में वृद्धि**

- चूंकि भारत कई कच्चे माल का आयात करता है, इसलिए तैयार माल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर उपभोक्ताओं पर होता है।
- ईंधन के लिए भारत की उच्च आयात निर्भरता का मतलब है कि तेल की कीमत प्रक्षेपवक्र मुद्रास्फीति, विकास, चालू खाता शेष, राजकोषीय प्रबंधन और रुपये सहित अधिकांश मैक्रो मापदंडों को प्रभावित करता है।

- इससे चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ता है।

**निर्यात को बढ़ावा देना:**

- एक आदर्श परिदृश्य में, रुपये के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि हो सकती थी।
- हालांकि, कमजोर वैश्विक मांग और लगातार अस्थिरता के मौजूदा परिदृश्य में, निर्यातक मुद्रा में गिरावट का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

**मुद्रा स्फ़ीति:**

- गिरते रुपये का सबसे बड़ा प्रभाव मुद्रास्फीति पर पड़ता है, क्योंकि भारत अपने कच्चे तेल का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, जो देश का सबसे बड़ा आयात है।
- विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और यात्रियों को बैंकों से डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये देने होंगे।

**शेयर बाजार:**

- रुपये के मूल्यह्रास से विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से बाहर निकल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश में गिरावट आ सकती है।

**अस्थायी विनिमय दर प्रणाली**

- अस्थायी विनिमय दर व्यवस्था के तहत, बाजार की मजबूत घरेलू मुद्रा की मांग और आपूर्ति की मजबूती के आधार पर घरेलू मुद्रा के मूल्य का निर्धारण करती हैं।

**प्रशंसा बनाम मूल्यह्रास (Appreciation Vs Depreciation)**

**प्रशंसा**

- **मुद्रा मूल्यह्रास:** यह एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी मुद्रा के संबंध में वृद्धि है।
- सरकार की नीति, ब्याज दर, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित विभिन्न कारणों से मुद्राएं एक-दूसरे के खिलाफ सराहना करती हैं।
- मुद्रा में वृद्धि किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करती है क्योंकि उसके उत्पादों और सेवाओं को खरीदना महंगा हो जाता है।

**मूल्यह्रास बनाम अवमूल्यन:**

- मुद्रा मूल्यह्रास एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट है।
- मुद्रा मूल्यह्रास आर्थिक बुनियादी बातों, ब्याज दर अंतर, राजनीतिक अस्थिरता या निवेशकों के बीच जोखिम से बचने जैसे कारकों के कारण हो सकता है।
- यदि प्रशासनिक कार्रवाई से भारतीय रुपये का मूल्य कमजोर होता है, तो यह अवमूल्यन है।

## कृषि ऋण माफी (Farm loan waiver)

**समाचार में:** एसबीआई का अध्ययन तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक और यूपी में कृषि ऋण माफी के खराब कार्यान्वयन को दर्शाता है।

**अध्ययन के निष्कर्ष**

- 2014 के बाद से नौ राज्यों द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी के इच्छित लाभार्थियों में से केवल आधे को ही वास्तव में ऋण बट्टे खाते डालने के परिणामों पर आधारित था।
- मार्च 2022 तक, घोषित लाभ प्राप्त करने वाले पात्र किसानों के अनुपात के संदर्भ में कृषि ऋण माफी योजनाओं का सबसे खराब क्रियान्वयन तेलंगाना (5%), मध्य प्रदेश (12%), झारखंड (13%), पंजाब (24%), कर्नाटक (38%) और उत्तर प्रदेश (52%) था।
- इसके विपरीत, 2018 में छत्तीसगढ़ और 2020 में महाराष्ट्र द्वारा लागू की गई कृषि ऋण माफी क्रमशः 100% और 91% पात्र किसानों को प्राप्त हुई।
- 2014 से, लगभग 3.7 करोड़ पात्र किसानों में से, केवल लगभग 50% किसानों को मार्च 2022 तक ऋण माफी की राशि प्राप्त हुई।

**संभावित कारण**

- रिपोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा किसानों के दावों की अस्वीकृति, वादों को पूरा करने के लिए सीमित या कम वित्तीय स्थान, और बाद के वर्षों में सरकारों में बदलाव को इन ऋण माफी की कम कार्यान्वयन दर के संभावित कारणों के रूप में पहचाना।
- रिपोर्ट ने लक्षित किसानों तक न पहुंचने वाले लाभों को भी उठाया।
- कृषि ऋण माफी के लिए पात्र कुल खातों में से अधिकांश खाते मानक श्रेणी में थे, जो सवाल पूछ रहे थे कि किसकी ब्याज माफी वास्तव में काम करती है।

ऋण माफी ऋण संस्कृति को नष्ट कर देती है जो मध्यम से लंबी अवधि में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है और कृषि बुनियादी ढांचे में उत्पादक निवेश बढ़ाने के लिए सरकारों के वित्तीय स्थान को भी विवश कर सकती है।

## मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता (समझौता)

**चर्चा में क्यों :** सरकार ने राज्यसभा में मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौते से संबंधित प्रश्न का उत्तर दिया।

**मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता (समझौता)**

- हाल ही में संपन्न विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में सहमत मात्स्यिकी सब्सिडी (समझौता) पर समझौता अवैध, गैर-सूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने और अधिक मछली के स्टॉक के लिए सब्सिडी प्रदान करने से रुकावट पैदा करेगा।
- स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट (S&DT) के तहत, विकासशील देशों और कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) को इस समझौते के लागू होने की तारीख से दो साल की संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई है।
- समझौता उच्च समुद्रों पर मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर भी रोक लगाता है, जो तटीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों/व्यवस्थाओं (आरएफएमओ/एएस) के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
- समझौते के अनुसार, जब तक यह IUU नहीं कर रहा है, तब तक अपने जहाज या ऑपरेटर को सब्सिडी देने या बनाए रखने के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- इसी तरह, जब तक इस तरह की सब्सिडी को जैविक रूप से स्थायी स्तर पर स्टॉक के पुनर्निर्माण के लिए लागू किया जाता है, तब तक मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

**महत्व**

- यह समझौता IUU मछली पकड़ने में लगे मछली पकड़ने वाले जहाजों या मछली पकड़ने वाले ऑपरेटरों को दी गई सब्सिडी को समाप्त करेगा।
- इस तरह के अनुशासन से बड़े पैमाने पर IUU मछली पकड़ने पर रोक लगेगी जो भारत जैसे तटीय देशों को मत्स्य संसाधनों से वंचित करती है, जिससे हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों की आजीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- यदि मछली स्टॉक को जैविक रूप से टिकाऊ स्तर पर फिर से बनाने के लिए उपाय किए जाते हैं, जो हमारे मछली पकड़ने वाले समुदायों का समर्थन करता है, तो यह अत्यधिक मछली वाले स्टॉक से संबंधित सब्सिडी का विस्तार करने के लिए फ्लेक्सिबल होगा।

**भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र**

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन का 7.56% है और देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में लगभग 1.24% का योगदान करता है।
- भारत विश्व में मछली का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है क्योंकि यह वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान करता है।
- वर्तमान में, यह क्षेत्र देश के भीतर 2.8 करोड़ से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है।
- वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, मत्स्य पालन क्षेत्र ने 2014-15 से 10.87% की औसत वार्षिक वृद्धि का प्रदर्शन किया है और 2020-21 के दौरान 145 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है।
- भारतीय मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र ने पिछले 5 वर्षों के दौरान 7.53% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की।

**भारत में मत्स्य पालन के सामने आने वाली चुनौतियाँ**

- उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन छोटे समूहों में, जो बड़े पैमाने पर व्यावसायिक दोहन के लिए उपयुक्त नहीं

है।

- जल प्रदूषण, मछली के आवासों का विनाश और मृत क्षेत्रों/हाइपोक्सिक क्षेत्रों की बार-बार घटना के कारण मछली पकड़ने के क्षेत्र का स्थानांतरण या स्थायी नुकसान होता है।
- गुणवत्तापूर्ण बीज और चारा तक पहुंच का अभाव, ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता।
- फाइबर प्रबलित प्लास्टिक (एफआरबी), और खराब गुणवत्ता वाली नावों के बढ़ते उपयोग से समुद्री संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
- खराब बुनियादी ढाँचे जैसे कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, जिससे फसल कटाई के बाद अनुमानित 15-20% नुकसान होता है।
- फॉर्मेलिन जारी करने से भारतीय मात्स्यिकी की नकारात्मक ब्रांडिंग होती है।

**मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम**

- फरवरी 2019 में मत्स्य पालन का एक अलग विभाग बनाया गया।
- सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र की सभी योजनाओं को 'नीली क्रांति: मात्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन' की एक अम्ब्रेला योजना में मिला दिया है।
- मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) को मंजूरी दी गई थी।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई)**
  - समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपये और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 9000 करोड़ रुपये- फिशिंग हार्बर, कोल्ड चेन, मार्केट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड**
  - GEMINI: नेविगेशन और सूचना के लिए गगन सक्षम मेरिनर का उपकरण
  - मछुआरों को आपदा चेतावनियों, संभावित मत्स्यन क्षेत्रों (PFZ) और महासागरीय राज्यों के पूर्वानुमान (OSF) पर सूचना के प्रसार के लिए, भारत सरकार ने जेमिनी डिवाइस और मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

**आगे की राह**

- मत्स्य पालन क्षेत्र भारत में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका को बनाए रखने में सहायक रहा है, विशेष रूप से हाशिए पर और कमजोर समुदायों के लिए और सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया है।
- इन उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए, मात्स्यिकी क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बढ़ते कड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के साथ-साथ इन्हें घरेलू बाजारों तक विस्तारित करने के लिए प्रभावी गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली बनाने और चलाने की क्षमता विकसित करनी चाहिए।

भारत की लंबी तटरेखा में विशेष रूप से नीली क्रांति के शोषण के माध्यम से अर्थव्यवस्था की ताकत बनने की क्षमता है। भारत को अपनी मछली पकड़ने की प्रणाली और संबंधित बुनियादी ढांचे के पहलुओं को और अधिक वैज्ञानिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है।

## अंतरराष्ट्रीय संबंध

### तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर सहमति जताई

**संदर्भ:** 28 जून, 2022 को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के महासचिव ने तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की।

**नाटो क्या है?**

- नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) एक सैन्य गठबंधन है। इसका गठन वर्ष 1949 में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित 12 देशों द्वारा किया गया था।
- नाटो का मूल उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूसी विस्तार का मुकाबला करना था। नाटो का आवश्यक और स्थायी उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना है।
- वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद, इसके कई भूतपूर्व पूर्वी यूरोपीय सहयोगी नाटो में शामिल हुए।
- नाटो के सदस्य अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा पर खर्च करने के लिए सहमत हैं।
- नाटो नाटो की संस्थापक संधि (वाशिंगटन संधि) के "अनुच्छेद 5" में निहित सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमले के रूप में देखता है।
- अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद 12 सितंबर, 2001 को नाटो ने केवल एक बार अनुच्छेद 5 को लागू किया है।
- नाटो में शामिल होने के लिए, देशों को लोकतंत्र होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए और संघर्षों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

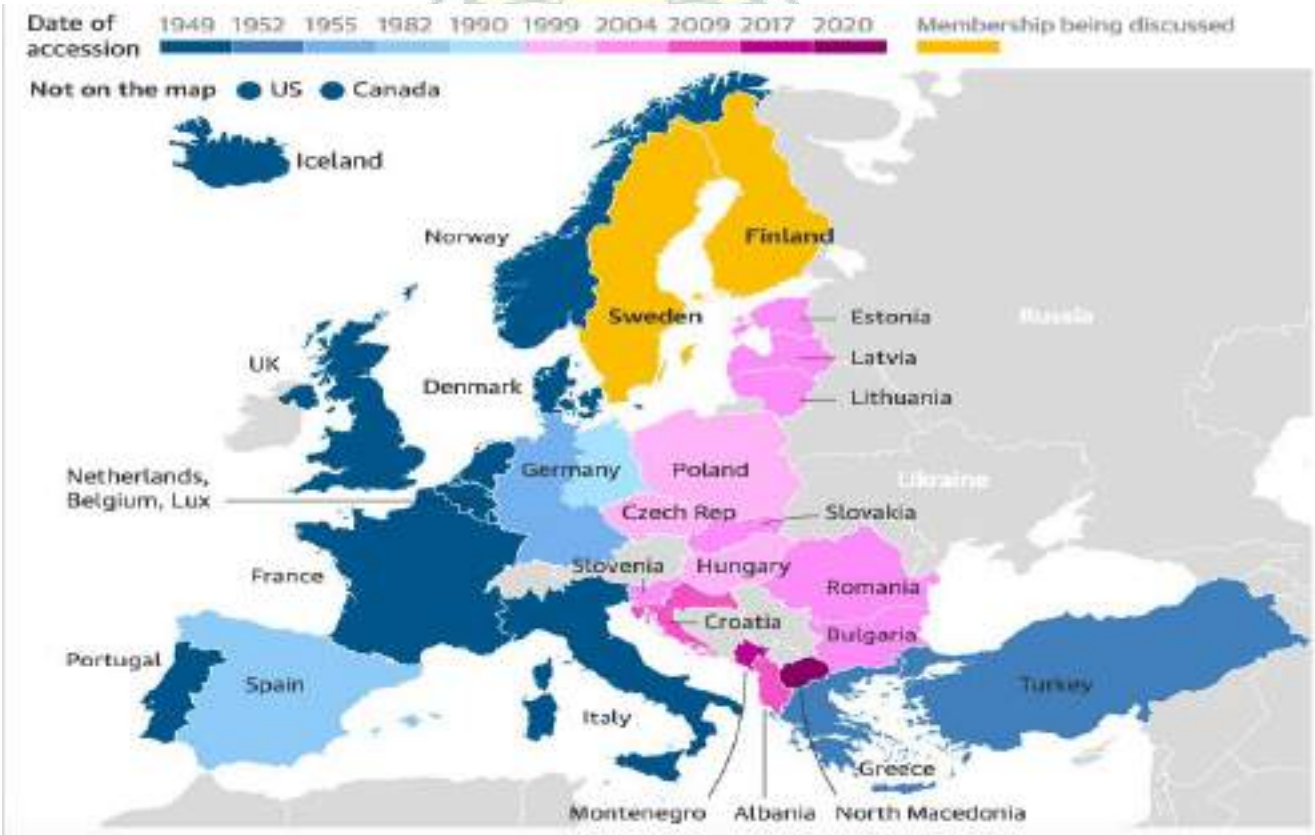


**वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य हैं-**

- इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्राँस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे।
- मूल हस्ताक्षरकर्त्ताओं में शामिल देश थे- ग्रीस और तुर्की (वर्ष 1952), पश्चिम जर्मनी (वर्ष 1955, वर्ष 1990 से जर्मनी के रूप में), स्पेन (वर्ष 1982), चेक गणराज्य, हंगरी और पोलैंड (वर्ष 1999), बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, और स्लोवेनिया (वर्ष 2004), अल्बानिया और क्रोएशिया (वर्ष 2009), मोंटेनेग्रो (वर्ष 2017), और उत्तर मैसेडोनिया (वर्ष 2020)।

**स्वीडन और फ़िनलैंड को नाटो में शामिल करने के लिए कौन से कारक बने?**

- रूस की ओर से सुरक्षा ख़तरा फ़िनलैंड और स्वीडन में वर्तमान में बहुत बड़ा है क्योंकि यूक्रेन पर रूस का सैन्य आक्रमण जारी है।
- अपनी स्वयं की राष्ट्रीय सुरक्षा के डर ने दोनों देशों को नाटो में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण वे तुर्की की शर्तों से सहमत हो गए।

**रूस पर क्या प्रभाव हैं?**

- रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के साथ संबंधों को सम्मानजनक और पारस्परिक रूप से मित्रवत बताते हुए इन देशों को नाटो में शामिल होने के प्रति आगाह किया।
- रूस ने रेखांकित किया था कि इन दोनों देशों के साथ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है; इसलिए उन्हें रूस से किसी भी सुरक्षा खतरे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए।
- यह रूस के यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के खिलाफ होगा जो अपने तत्काल पड़ोस में रूसी प्रभाव बनाए रखता है।
- रूस, फ़िनलैंड और स्वीडन के लिए नाटो में शामिल होने का मतलब न केवल अपने पड़ोस में नाटो की उपस्थिति में वृद्धि करना है बल्कि इसके आर्कटिक हितों पर भी सवाल उठाना है।
    - स्वीडन और फिनलैंड दोनों आर्कटिक राज्यों का हिस्सा हैं।
    - वर्तमान में रूस आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता है और वर्ष 2023 तक अध्यक्ष रहेगा।

**नाटो पर क्या प्रभाव हैं?**

- **गठबंधन को मजबूत करना :** फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का पालन किया है, जो अपने स्वाभाविक शासन से टूट गए हैं और नाटो में शामिल होने का फैसला किया है। इसका मतलब न केवल रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी है बल्कि यह नाटो को शामिल होने की शक्ति भी देता है।
- **रूस का मुकाबला करने के लिए सामरिक आधार हासिल करना:** अधिक सहयोगियों के जुड़ने का अर्थ है पूर्व की ओर नाटो का निरंतर विस्तार, जिसके माध्यम से यह अब भूमि और बाल्टिक सागर दोनों में अपने सैन्य अभियानों का अभ्यास करने में सक्षम होगा, जहां रूस एक रणनीतिक स्थिति रखता है।
- **रूस को बातचीत के लिए प्रेरित करना :** नाटो द्वारा रूस को पश्चिम से घेरने के कारण रूस, रूस और पश्चिम के बीच बड़े तालमेल के लिए बाद के चरण में बातचीत की टेबल पर मिलने के विकल्प पर विचार कर सकता है।
- **अधिक सुरक्षित यूरो-अटलांटिक:** इस क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति बाल्टिक देशों, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की प्रतिभूतिकरणऔर सुरक्षा करेगी, जो पहले रूस और रूसी हमलों के निकट होने के कारण खतरे में थे।
- **यूक्रेन में युद्ध की गतिशीलता को बदलना :** यह नाटो को पांचवीं पीढ़ी के विमान जैसे उन्नत हथियार लाने में सक्षम बनाएगा; तकनीकी हथियार प्रणालियाँ जो यूक्रेन को युद्ध जीतने में मदद कर सकती हैं।

## वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए भागीदारी (PGII)

**संदर्भ:** 26 जून को, विश्व के "सबसे अधिक औद्योगिक देशों" के G-7 समूह - कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यू.एस. ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनवेस्टमेंट (PGII) जर्मनी के श्लॉस एलमाऊ में अपने शिखर सम्मेलन में, जहां भारत पांच विशेष आमंत्रितों में शामिल था।

- इस पहल को "मूल्य-संचालित, उच्च प्रभाव, और पारदर्शी बुनियादी ढांचा साझेदारी के रूप में बिल किया गया था ताकि निम्न और मध्यम आय वाले

देशों की विशाल बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा किया जा सके और यू.एस. तथा उसके सहयोगियों के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का समर्थन किया जा सके।"

- PGII दुनिया भर में उन परियोजनाओं के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के लिए एक काउंटर की पेशकश करेगा जो औपचारिक रूप से पांच साल पहले शुरू की गई थी।

**भारत की भूमिका**

**अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, बुनियादी ढांचे पर PGII की चार प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी:**

- जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा,
- डिजिटल कनेक्टिविटी,
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, तथा
- लैंगिक समानता और हिस्सेदारी, ये सभी नई दिल्ली के लिए भी प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं।

PGII "फैक्टशीट" में कृषि-तकनीक और जलवायु स्थिरता कोष में निवेश के लिए एक विशिष्ट योजना शामिल है जो "उन कंपनियों में निवेश करेगी जो खाद्य सुरक्षा को बढ़ाती हैं और भारत में जलवायु लचीलापन और जलवायु अनुकूलन दोनों को बढ़ावा देती हैं, साथ ही छोटे जोत वाले खेतों की लाभप्रदता और कृषि उत्पादकता में सुधार करती हैं।

- दस्तावेजों के अनुसार, भारत निधि सितंबर 2022 तक 6.5 करोड़ डॉलर और वर्ष 2023 में 130 मिलियन डॉलर के पूंजीकरण का लक्ष्य रखेगी।
- यू.एस. सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (डीएफसी) निधि के लिए निजी पूंजी में $30 मिलियन जुटाएगा।

**ब्लू डॉट नेटवर्क पहल**

- इस योजना को लागू करने का रहस्य: ब्लू डॉट नेटवर्क है।
- नवंबर 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ब्लू डॉट नेटवर्क (BDN) लॉन्च किया, जिसका नाम अंतरिक्ष से पृथ्वी को केवल "ब्लू डॉट" के रूप में देखने के लिए नामित किया गया है, ताकि वैश्विक बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी निवेश को प्रमाणित करके विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। जो पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता वाले हों।
- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए साझा मानकों को स्थापित करके, BDN का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और एक स्वच्छ वातावरण में योगदान करना है।
- BDN की प्रणाली गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निवेश को इस तरह से प्रोत्साहित करती है जो अन्य प्रमाणन प्रणालियों के समान है जैसे कि इमारतों या मत्स्य और वानिकी प्रमाणन के लिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की LEED रेटिंग प्रणाली।
- BDN उभरते देशों को नियामक सुधारों को लागू करने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करता है जो तब वैश्विक निजी पूंजी को आकर्षित करेगा।

**G7 क्या है?**

- G7 का अर्थ "सात का समूह" औद्योगिक राष्ट्र है।
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में किया गया था।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G7 देशों की सालाना बैठक होती है।
- G7 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
- इसके सदस्य लोकतंत्र, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान, मुक्त बाजार और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान जैसे समान मूल्यों को साझा करते हैं।
- समिट की वेबसाइट के अनुसार, सदस्य देश मिलकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31%, विश्व की जनसंख्या का 10% और वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 21% प्रतिनिधित्व करते हैं।

## कराकल्पकस्तान (Karakalpakstan)

**चर्चा में क्यों :** उज्बेकिस्तान के स्वायत्त प्रांत कराकल्पकस्तान में विरोध प्रदर्शन हुआ।

- क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही स्वायत्तता को प्रतिबंधित करने की सरकार की योजना के जवाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।
- हज़ारों लोग क्षेत्र की राजधानी नुकस की सड़कों पर उतर आए।

**कराकल्पक कौन हैं?**

- कराकल्पकस्तान नाम कराकल्पक लोगों से लिया गया है, जो लगभग 2 मिलियन जातीय अल्पसंख्यक समूह हैं।
- कराकल्पक 'काली टोपी (black hat)' में अनुवाद करता है, जो उनके पारंपरिक टोपी (headgear) का जिक्र करता है।
- कराकल्पक खुद को उज्बेकिस्तान में एक अलग सांस्कृतिक समूह मानते हैं।
- उनकी तुर्क भाषा - कराकल्पक - कज़ाक से निकटता से संबंधित है।
- अपने वंशावली वर्णन में, कराकल्पक पड़ोसी कज़ाखों, उज़्बेक और तुर्कमेन के साथ मूल के एक सामान्य बिंदु को साझा करने का दावा करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि समय के साथ वे दूसरों से अलग हो गए।
- यह वर्णन कराकल्पकों को उनके पड़ोसी समूहों से सांस्कृतिक रूप से अलग के रूप में चिह्नित करती है।

## भारत-दक्षिण कोरिया संबंध

**संदर्भ:** एक वैश्विक निर्णायक राज्य बनने और क्षेत्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने की दक्षिण कोरिया की नई इच्छा बहु-आयामी भारत-कोरिया साझेदारी के लिए कई अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है।

**विचारों को परिवर्तित करना**

**चीन के झुकाव को सही करना**

- चीन की ओर अपने भारी झुकाव को सही करने के लिए दक्षिण कोरिया की रणनीतिक नीति में बदलाव दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर लाने के लिए बाध्य है।
- दोनों देश अब एक दूसरे के व्यापार निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की जरूरतों को समझने और समायोजित करने की बेहतर स्थिति में होंगे।

**आर्थिक सह संचालन**

- उभरता हुआ रणनीतिक संरेखण आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, हरित विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, और व्यापार में

क्षमताओं का एक नया अभिसरण (convergence) और घनिष्ठ तालमेल उत्पन्न कर रहा है।

- वर्ष 2020 में, भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा उद्योग सहयोग के लिए एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए।
- दक्षिण कोरिया के रक्षा अभिविन्यास में रणनीतिक बदलाव के साथ, रक्षा और सुरक्षा के लिए सहयोग के नए द्वार उभरे हैं।

**इंडो-पैसिफिक आउटलुक**

- भारत ने जापान, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के साथ उत्कृष्ट रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। दुर्भाग्य से, दक्षिण कोरिया को भारतीय प्रतिष्ठान से समान स्तर का ध्यान नहीं मिला है।
- दक्षिण कोरिया जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के साथ भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में चौथा स्तंभ हो सकता है।
- यह इस क्षेत्र में भारत की स्थिति और प्रभाव में एक आदर्श बदलाव ला सकता है।

**आगे की राह**

- समय आ गया है कि भारतीय और दक्षिण कोरियाई द्विपक्षीय साझेदारी को राजनीतिक, राजनयिक और सुरक्षा क्षेत्र के स्तर पर रणनीतिक रूप से बढ़ाया जाए।
- महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और साइबर क्षमता निर्माण, बाहरी अंतरिक्ष और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता क्षमताओं में एक एक्टर के रूप में दक्षिण कोरिया के उभरने के साथ, दक्षिण कोरिया भारत-प्रशांत में भारत की मूलभूत ताकत को बढ़ाने के लिए अत्यधिक योगदान दे सकता है।

भारत, दक्षिण कोरिया को चीनी दबाव और उत्तर कोरियाई खतरों का सामना करने में मदद कर सकता है। एक स्वतंत्र, मजबूत और लोकतांत्रिक दक्षिण कोरिया भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदार हो सकता है जो भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ देगा। इस नई साझेदारी का दोनों देशों और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यह एक ऐसा अवसर है जिसे कोई भी देश गंवा नहीं सकता।

## इतिहास, कला और संस्कृति

### विनायक दामोदर सावरकर

**चर्चा में क्यों :** महात्मा गांधी की स्मृति में स्थापित किये गए राष्ट्रीय स्मारक और संग्रहालय ने अपनी मासिक पत्रिका का विशेष संस्करण प्रकाशित किया है जो हिंदुत्ववादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को समर्पित है।

**वीर सावरकर**

- इनका जन्म 28 मई, 1883 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के भागुर ग्राम में हुआ था।
- वह बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं से प्रेरित थे। वह बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विरोध से भी प्रभावित थे।
- सावरकर एक कट्टर तर्कबुद्धिवादी व्यक्ति थे जो सभी धर्मों के रूढ़िवादी विश्वासों का विरोध करते थे।

**ट्रायल और वाक्य (Trial and Sentences):**

- मॉर्ले-मिंटो सुधारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में वर्ष 1909 में गिरफ्तार किया गया।
- वर्ष 1910 में क्रान्तिकारी समूह इंडिया हाउस से संबंध रखने के कारण गिरफ्तार किया गया।
- सावरकर पर एक आरोप नासिक कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए उकसाने का था और दूसरा भारतीय दंड संहिता 121-ए के तहत राजा सम्राट के खिलाफ साजिश रचने का था।
- दो मुकदमों के बाद, सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 साल के कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे काला पानी भी कहा जाता है और वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में ले जाया गया।
- **मृत्यु :** 26 फरवरी, 1966 को अपनी इच्छा से उपवास करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

**योगदान और कार्य:**

- उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी (Secret Society) की स्थापना की।
- सावरकर वर्ष 1906 में लंदन गए। उन्होंने जल्द ही इटैलियन राष्ट्रवादी ग्यूसेप माज़िनी (सावरकर ने माज़िनी की जीवनी लिखी थी) के विचारों के आधार पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की।
- वे वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे।
- सावरकर ने 'द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस' नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने वर्ष 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल किए गए छापामार युद्ध (Guerilla Warfare) के तरीकों (Tricks) के बारे में लिखा था।
- उन्होंने 'हिंदुत्व: हिंदू कौन है?' पुस्तक भी लिखी।

**अभिनव भारत सोसाइटी (यंग इंडिया सोसाइटी):**

- यह वर्ष 1904 में उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ स्थापित एक भूमिगत सोसाइटी (Secret Society) थी।
- शुरुआत में नासिक में मित्र मेला के रूप में स्थापित समाज कई क्रांतिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के साथ भारत तथा लंदन के विभिन्न हिस्सों में शाखाओं से जुड़ा था।

**हिंदू महासभा**

- अखिल भारत हिंदू महासभा (Akhil Bharat Hindu Mahasabha) भारत के सबसे पुराने संगठनों में से एक है क्योंकि इसका गठन वर्ष 1907 में हुआ था।
- इस संगठन की स्थापना करने वाले और अखिल भारतीय सत्रों की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीर विनायक दामोदर सावरकर आदि शामिल थे।

**गांधी स्मृति और दर्शन समिति (GSDS)**

- गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का गठन 1984 में राजघाट स्थित गांधी दर्शन एवं 5 तीस जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति के विलय द्वारा 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में हुआ था।
- यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के रचनात्मक सुझाव और वित्तीय सहायता के तहत कार्यशील है।
- भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और इसकी गतिविधियों में इसका मार्गदर्शन करने के लिए वरिष्ठ गांधीवादियों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों का एक नामित निकाय है।
- इस समिति का मूल उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार करना है।

## भारतीय राष्ट्रीय ध्वज

**प्रसंग:** तीन-चौथाई सदी पहले इसी दिन, 22 जुलाई, 1947 को, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।

**डिजाइन:** भारतीय तिरंगे के डिजाइन का श्रेय काफी हद तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकय्या को जाता है।

- उन्होंने दो प्रमुख समुदायों, हिंदुओं और मुसलमानों के प्रतीक के रूप में दो लाल और हरे रंग की पट्टियों से युक्त ध्वज के एक मूल डिजाइन का प्रस्ताव रखा।
- महात्मा गांधी ने यकीनन शांति और भारत में रहने वाले बाकी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सफेद पट्टी और देश की प्रगति का प्रतीक चरखा जोड़ने का सुझाव दिया।
- पहिए का डिज़ाइन उस चक्र (चक्र) का होगा जो अशोक के सारनाथ सिंह राजधानी के अबेकस (abacus) पर दिखाई देता है।

**इतिहास:**

**1906:** कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर (ग्रीन पार्क) में फहराया गया था।

**1907:** मैडम कामा और उनके निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने 1907 में जर्मनी में एक भारतीय ध्वज फहराया - यह एक विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था।

**1917:** डॉ एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होमरूल आंदोलन के हिस्से के रूप में एक नया झंडा अपनाया।

**1931:** कराची में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे (पिंगली वेंकय्या) को अपनाया।

- शीर्ष पर केसरिया रंग "साहस और शक्ति" का प्रतीक है, बीच में सफेद "शांति और सत्य" का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे हरा रंग "भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता" का प्रतीक है।
- ध्वज पर प्रतीक के रूप में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र ने चरखे को प्रतिस्थापित किया है।
- इसका उद्देश्य "यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है।"
- राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो।

## चंद्रशेखर आजाद

**चर्चा में क्यों :** मध्य प्रदेश सरकार चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली अलीराजपुर की मिट्टी का उपयोग कर भोपाल में स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित करेगी।

**चंद्रशेखर आज़ाद**

- आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में हुआ था।
- चंद्रशेखर आजाद एक महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे।
- उनकी उग्र देशभक्ति और साहस ने उनकी पीढ़ी के अन्य लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया।
- वह एक और महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के गुरु थे और भगत सिंह के साथ, उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है।

**एक क्रांतिकारी के रूप में**

**'आजाद':**

- दिसंबर 1921 में, जब गांधीजी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब चंद्रशेखर, जो एक 15 वर्षीय छात्र थे, शामिल हो गए। नतीजतन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
- मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर, उन्होंने अपना नाम "आज़ाद", अपने पिता का नाम "स्वतंत्रता" (स्वतंत्रता) और अपने निवास स्थान को "जेल" बताया।
- उसी दिन से वह लोगों के बीच चंद्रशेखर आजाद के नाम से पहचान बनाई।

**के लिए प्रसिद्ध हुए :**

- वर्ष 1925 में काकोरी रेल डकैती और वर्ष 1928 में सहायक पुलिस अधीक्षक डॉन सॉन्डर्स की हत्या के कारण वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए थे।
- वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के मुख्य रणनीतिकार थे।

**वे किससे प्रेरित हुए:**

- वर्ष 1919 में हुई जलियांवाला बाग त्रासदी तब हुई जब वे वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया।

**ब्रिटिश सिपाही के लिए एक आतंक:**

- वह उनकी हिट लिस्ट में था और ब्रिटिश पुलिस उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी।
- 27 फरवरी, 1931 को आजाद अपने दो साथियों से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मिले।
- उनको एक मुखबिर ने धोखा दिया था जिसने ब्रिटिश पुलिस को सूचित किया था।
- पुलिस ने पार्क को घेर लिया और आजाद को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।
- आजाद ने अकेले बहादुरी से लड़ाई लड़ी और तीन पुलिसकर्मियों को मार डाला।
- लेकिन खुद को घिरा हुआ पाकर और बचने का कोई रास्ता न देखकर वह स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार, उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा को निभाया।

## शहीद उधम सिंह

**चर्चा में क्यों :** प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह को उनके शहादत दिवस पर नमन किया।

**उधम सिंह**

- सिंह का जन्म 26 दिसंबर, 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था।

- उनका बचपन का नाम शेर सिंह था।
- सिंह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक मैनुअल मजदूर के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए और विदेश यात्रा की।
- वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को देखने के बाद एक क्रांतिकारी के रूप में उनका जीवन शुरू हुआ।
- और अपने दो दशकों की राजनीतिक सक्रियता के दौरान, उधम सिंह ने अलग-अलग नामों और व्यवसायों के तहत चार महाद्वीपों की यात्रा की।
- उनका अंतिम नाम मोहम्मद सिंह आजाद था, एक ऐसा नाम जिसे वे सांप्रदायिक सद्भाव और उपनिवेशवाद विरोधी का प्रतीक मानते थे।

**क्रांतिकारी करियर**

- उधम सिंह का ग़दर पार्टी के साथ आजीवन जुड़ाव वर्ष 1919 में मेसोपोटामिया में ब्रिटिश भारतीय सेना में अपने दूसरे कार्यकाल से लौटने के बाद शुरू हुआ।
- दो साल तक सेवा देने के बाद उनके नाम मात्र 200 रुपये रह गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर क्रोध के साथ-साथ अंग्रेजों के हाथों विश्वासघात की इस भावना ने सिंह को ग़दर क्रांतिकारियों की ओर धकेल दिया।

**ग़दर पार्टी में**

- वे शीघ्र ही उनके प्रचारकों में से एक बन गए, उन्होंने पंजाब के गांवों में अपने क्रांतिकारी साहित्य का वितरण किया।
- उन्होंने अमृतसर में एक दुकान खोली, जो उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बना। इस दौरान वह उग्रवादी बब्बर अकाली आंदोलन के संपर्क में भी आये और उनके साथ संगठित होने लगे।
- हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने समय के दौरान वह ग़दर आंदोलन में प्रमुखता से शामिल हुए और इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक बन गए।
- सिंह अवैध रूप से वर्ष 1924 में मैक्सिको के रास्ते अमेरिका चले गए, अंततः सैन फ्रांसिस्को में बस गए, जो उत्तरी अमेरिका में ग़दर आंदोलन का केंद्र था।
- उन्हें ग़दर पार्टी द्वारा [अमेरिका के कई शहरों] का दौरा करने के लिए प्रायोजित किया गया था ताकि उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रत्यक्ष विवरण दिया जा सके, पार्टी की स्थानीय शाखाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा सके और धन जुटाया जा सके।
- ग़दर पार्टी में शामिल होने के अलावा, सिंह ने ग़दर आंदोलन की एक शाखा के रूप में अपनी पार्टी, आज़ाद पार्टी भी शुरू की।
- भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रचार करने और भारत में क्रांतिकारी समूहों के लिए धन इकट्ठा करने के पार्टी के दोहरे उद्देश्य थे।

**हत्या**

- उन्हें "रोगी हत्यारे" या "अकेला हत्यारा" के रूप में जाना जाता है, जिसने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर को मार डाला, जिनके प्रशासन में कुख्यात अमृतसर नरसंहार हुआ और जिन्होंने बाद में हत्याओं के अपराधी ब्रिगेडियर-जनरल डायर का समर्थन किया था।
- इस हत्याकांड के लिए 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दी गई थी।

## भूगोल

### नॉर्ड स्ट्रीम 1

**चर्चा में क्यों :** नॉर्ड स्ट्रीम 1, जर्मनी के रूस से गैस का मुख्य स्रोत, 11 जुलाई को पाइपलाइन को मेंटीनेंस हेतु 10 दिनों के लिए बंद किया गया था।

- यूरोपीय देशों में इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि रूस मॉस्को के खिलाफ लगाए गए मौजूदा प्रतिबंधों के जवाब में गैस आपूर्ति के अस्थायी निलंबन का विस्तार करेगा।

**नॉर्ड स्ट्रीम 1 क्या है?**

- नॉर्ड स्ट्रीम 1 पानी के भीतर एक 1,224 किमी गैस पाइपलाइन है जो उत्तर पश्चिमी रूस में वायबोर्ग से बाल्टिक सागर के माध्यम से पूर्वोत्तर जर्मनी में लुबमिन तक जाती है।
- पाइपलाइन प्राथमिक मार्ग है जिसके माध्यम से इसकी गैस जर्मनी में प्रवेश करती है।
- यह एक वर्ष में 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन करता है, जिसमें से अधिकांश सीधे जर्मनी जाता है, जबकि शेष पश्चिम और दक्षिण की ओर अन्य देशों के लिए तटवर्ती लिंक के माध्यम से और भंडारण गुफाओं में जाता है।
- उस्त-लुगा से लुबमिन तक परिचालित निर्माणाधीन दो अन्य पाइपलाइनों को नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहा जाता है।
- यूरोपीय देश अपने ठंडे सर्दियों के लिए रूसी ऊर्जा पर निर्भर हैं, लेकिन अब विश्वास है कि रूस यूक्रेन में संघर्ष के कारण उनकी मंजूरी के जवाब के रूप में उनकी निर्भरता को हथियार बना सकता है।

**यूरोप के ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या हैं?**

- ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, यूरोपीय देशों ने तेजी से अमेरिका की ओर रुख किया है, जिससे वे जहाजों के माध्यम से आने वाली तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) खरीदते हैं।
- चूंकि जहाज द्वारा दी जाने वाली गैस अधिक महंगी होती है, इसलिए नॉर्वे और अजरबैजान से गैर-रूसी पाइपलाइन गैस प्राप्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है।

## धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) तकनीक

**संदर्भ:** पंजाब सरकार ने डीएसआर पद्धति को अपनाने के लिए किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन की घोषणा की है।

**धान की सीधी बुवाई (डीएसआर):**

- डीएसआर में पहले से अंकुरित बीजों को ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन द्वारा सीधे खेत में ड्रिल किया जाता है।
- इस पद्धति में कोई नर्सरी तैयारी या प्रत्यारोपण शामिल नहीं है।
- किसानों को सिर्फ अपनें खेत को समतल कर बुवाई से पहले सिंचाई करनी होती है।

**धान की रोपाई:**

- धान की रोपाई में किसान नर्सरी तैयार करते हैं, जहाँ धान के बीज को पहले बोया जाता है और युवा पौधों में उगाया जाता है।
- नर्सरी बीज क्यारी रोपित किए जाने वाले क्षेत्र का 5-10% है।
- फिर इन पौधों को उखाड़कर 25-35 दिन बाद पोखर वाले खेत में लगा दिया जाता है।

**धान की सीधी बुवाई से लाभ**

- पानी की बचत
- कम संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, जिससे श्रम लागत की बचत होती है।
- कम बाढ़ अवधि के कारण मीथेन उत्सर्जन को कम करना और चावल की रोपाई की तुलना में मिट्टी की संरचना की गड़बड़ी को कम करना।

**धान की सीधी बुवाई के नुकसान**

- शाकनाशी की अनुपलब्धता।
- डीएसआर के लिए 8-10 किग्रा/एकड़, बीज की आवश्यकता भी होती है, जबकि रोपाई में 4-5 किग्रा/एकड़ की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, डीएसआर में लेजर लैंड लेवलिंग अनिवार्य है। प्रत्यारोपण में ऐसा नहीं है।
- बुवाई समय पर करने की आवश्यकता है ताकि मानसून की बारिश आने से पहले पौधे ठीक से निकल आएं।
- डीएसआर में एक सफल फसल की कटाई में खरपतवार प्रबंधन एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसका कारण यह है कि इस तकनीक को बुवाई के बाद तीन सप्ताह तक बाढ़ सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और पारंपरिक विधि के विपरीत, खरपतवार आसानी से उगते हैं।

## पर्यावरण

### पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (इको-सेंसिटिव जोन-ESZ)

**संदर्भ:** केरल के किसानों ने सभी संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास 1 किलोमीटर के इको-सेंसिटिव जोन स्थापित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ राज्य के कई ऊंचे इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है।

**ESZ क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है?**

- ईएसजेड को संरक्षित क्षेत्रों के लिए "सदमे अवशोषक" के रूप में बनाया गया है, ताकि आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों द्वारा "नाजुक पारिस्थितिक तंत्र" पर नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।
- इसके अलावा, ये क्षेत्र उन क्षेत्रों से संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करने के लिए हैं जिन्हें कम सुरक्षा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों में उच्च सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- ईएसजेड इन-सीटू संरक्षण में मदद करते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है।
- पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र वनों की कमी और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के मूल और बफर मॉडल पर आधारित हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय क्षेत्र समुदायों को भी संरक्षित और लाभान्वित किया जाता है।

**ESZ में कौन सी गतिविधियाँ प्रतिबंधित और अनुमत हैं?**

- **निषिद्ध गतिविधियाँ (Prohibited activities):** वाणिज्यिक खनन, आरा मिलों की स्थापना और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं सहित गतिविधियाँ, ESZ में निषिद्ध हैं।
- **विनियमित गतिविधियाँ:** पेड़ों की कटाई, कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन और प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, जिसमें भूजल संचयन और होटल और रिसॉर्ट की स्थापना शामिल है, क्षेत्रों में विनियमित गतिविधियाँ हैं।
- **अनुमत गतिविधियां:** इनमें स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाएं, वर्षा जल संचयन, और जैविक खेती, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग शामिल हैं।

**ईसीजेड की घोषणा और संरक्षण के साथ चुनौतियां/चिंताएं क्यों हैं?**

- **ईएसजेड के लिए लिप सर्विस बजाना (Playing Lip Service to ESZ):** दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि ईएसजेड कॉरिडोर आदि के मामले में 10 किलोमीटर से आगे जा सकता है, लेकिन ईएसजेड में ऐसा लगभग कभी नहीं देखा गया है।
- **विकासात्मक गतिविधियां:** ईएसजेड में बांधों, सड़कों के निर्माण जैसी गतिविधियां, हस्तक्षेप पैदा करती हैं, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करती हैं।
- **शहरीकरण का दबाव:** पिछले कुछ वर्षों में, कई संरक्षित क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण सहित जबरदस्त बदलाव आया है।
- **पठनीय प्रारूप में सूचना की पहुंच:** एक अन्य बड़ी समस्या पारदर्शिता की कमी है। जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) प्रारूप में ईएसजेड मानचित्र आम आदमी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभी इन मानचित्रों तक पहुंचना एक कठिन कार्य है।
- **वन अधिकारियों का विकृत एजेंडा:** कई बार, वन अधिकारी भी, जिन्हें संरक्षित क्षेत्रों (पीए)/वन के भविष्य की रक्षा के लिए माना जाता है, जिनके वे संरक्षक हैं, वे अपने स्वयं के पोस्टिंग कार्यकाल को सुरक्षित करने के लिए तथाकथित 'विकास' के हिमायती बन जाते हैं।
- **मानव-वन्यजीव संघर्ष को बढ़ाने वाले किनारों को अवरुद्ध करना:** बांदीपुर टाइगर रिजर्व का उदाहरण लें, जहां वर्षों से किसी भी ESZs की अनुपस्थिति के कारण इसके किनारों के कई हिस्सों में रिसॉर्ट और हॉलिडे होम की संख्या बढ़ गई है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन आपस में जुड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए, वैश्विक तापमान में वृद्धि ने ESZs पर भूमि, पानी और पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न किया है।

**कर्नाटक में लगातार सरकारों ने कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को क्यों खारिज कर दिया है?**

- राज्य सरकार का मानना है कि रिपोर्ट के क्रियान्वयन से क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां रुक जाएंगी।

- कस्तूरीरंगन रिपोर्ट उपग्रह चित्रों के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।
- सरकार की राय है कि क्षेत्र के लोगों ने कृषि और बागवानी गतिविधियों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से अपनाया है। वन संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।
- संबंधित क्षेत्र के राजनेताओं ने हमेशा कस्तूरीरंगन रिपोर्ट का विरोध किया है क्योंकि रिपोर्ट के लागू होने पर 600 से अधिक गांव पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में आ जाएंगे।
- वर्ष 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने पश्चिमी घाट में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को अंतिम रूप देने के लिए कर्नाटक सरकार को कई मसौदा अधिसूचनाएं जारी की हैं, लेकिन सरकार रिपोर्ट के कार्यान्वयन को खारिज करने में दृढ़ रही है।

**ESZ अधिसूचना पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?**

- जून 2022 में, सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें तमिलनाडु में नीलगिरी में वन भूमि की रक्षा करने की मांग की गई थी, लेकिन बाद में पूरे देश को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया गया।
- परिणामस्वरूप, तीन-न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2011 के दिशानिर्देशों को "उचित" बताते हुए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीवों अभयारण्य सहित हर संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से मापकर इसको न्यूनतम एक किलोमीटर के अनिवार्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र बनाने का निर्देश पारित किया।
- यह भी कहा गया है कि ESZ के भीतर किसी भी नए स्थायी ढांचे या खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यदि मौजूदा ESZ 1 किमी बफर जोन से आगे जाता है या यदि कोई वैधानिक साधन उच्च सीमा निर्धारित करता है, तो ऐसी विस्तारित सीमा मान्य होगी।
- इस निर्देश से उन राज्यों में उथल-पुथल होगी जहां भूमि और भूमि उपयोग के पैटर्न पर किसी भी नियामक तंत्र का राजनीतिक प्रभाव होगा।

**केरल राज्य SC के निर्देश का विरोध क्यों कर रहा है?**

- केरल का लगभग 30% वनाच्छादित भूमि है और पश्चिमी घाट राज्य के 48% हिस्से पर कब्जा करता है।
- इसके अलावा, झीलों, नहरों, आर्द्रभूमियों और 590 किलोमीटर लंबी तटरेखा का एक नेटवर्क है, जो सभी पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण कानूनों की एक श्रृंखला द्वारा शासित हैं, जिससे इसकी 3.5 करोड़ आबादी के रहने के लिए बहुत कम जगह बची है।
- 900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की औसत जनसंख्या घनत्व के साथ, राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक, केरल राज्य में उपलब्ध भूमि पर जनसांख्यिकीय दबाव असामान्य रूप से अधिक है।
- राज्य सरकार को डर है कि सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना से जमीनी स्थिति और खराब हो सकती है क्योंकि इससे राज्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेगा।
- केरल में वन्यजीव अभ्यारण्यों की कुल सीमा आठ लाख एकड़ है। यदि एक किलोमीटर के ESZ को उनकी सीमाओं से सीमांकित किया जाता है, तो कृषि भूमि सहित लगभग 4 लाख एकड़ मानव बस्तियाँ उस दायरे में आ जाएँगी। यह लाखों लोगों की जीविका का मुद्दा है।
- इससे पहले, अपने संरक्षित क्षेत्रों के लिए ईएसजेड अधिसूचनाओं का मसौदा तैयार करते समय, राज्य सरकार ने उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों, सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक संस्थानों को अधिसूचना के दायरे से बाहर करने का ध्यान रखा था।
- यह पहली बार नहीं है जब केरल को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2013 में, कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट के बाद पहली बार इडुक्की और वायनाड में हड़तालें भड़क उठीं, जिसमें केरल के 14 जिलों में से 12 जिलों को कवर करने वाले 60,000 किलोमीटर पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश की गई थी।
- इसी तरह का विरोध कर्नाटक में भी हुआ था।

## समय की मांग: अक्षय क्रांति

**संदर्भ:** दुनिया भर में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के परिणाम के रूप में, बढ़ते ऊर्जा संकट के लिए कुछ देशों की प्रतिक्रिया जीवाश्म ईंधन पर दोगुनी हो गई है, जो कि जलवायु आपातकाल को गहरा कर रहे कोयले, तेल और गैस में अरबों डॉलर अधिक डाल रहे हैं।

**दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्री योजना**

1. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए बौद्धिक संपदा बाधाओं को दूर करने सहित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को वैश्विक सार्वजनिक वस्तु बनाना।
2. नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, घटकों और कच्चे माल के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं तक वैश्विक पहुंच में सुधार करना। वर्ष 2020 में, दुनिया ने पांच गीगावाट बैटरी स्टोरेज स्थापित की। हमें वर्ष 2030 तक 600 गीगावाट भंडारण क्षमता की आवश्यकता है।
3. सौर और पवन परियोजनाओं को रोकने वाले लालफीताशाही को कम करने की आवश्यकता है। हमें बिजली ग्रिड के आधुनिकीकरण के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।
4. कमजोर लोगों को ऊर्जा के झटके से बचाने के लिए विश्व को जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा सब्सिडी को स्थानांतरित करना चाहिए और एक स्थायी भविष्य के लिए एक उचित संक्रमण में निवेश करना चाहिए।
5. अक्षय ऊर्जा में तीन गुना निवेश करने की आवश्यकता है। इसमें बहुपक्षीय विकास बैंक और विकास वित्त संस्थान, साथ ही वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं।

**इसका उत्तर अक्षय ऊर्जा में निहित है**

जलवायु कार्रवाई, ऊर्जा सुरक्षा, और उन करोड़ों लोगों को स्वच्छ बिजली प्रदान करने के लिए, जिनके पास वर्तमान में इसकी कमी है।

- सौर ऊर्जा और बैटरियों की लागत पिछले एक दशक में 85 प्रतिशत घट गई है।
- पवन ऊर्जा की लागत में 55 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश जीवाश्म ईंधन की तुलना में तीन गुना अधिक रोजगार पैदा करता है।
- प्रकृति आधारित समाधान, जैसे वनों की कटाई को उलटना और भूमि क्षरण, आवश्यक हैं।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।
- खाद्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए सकारात्मक प्रभाव के साथ ऊर्जा की कीमतें कम और अधिक अनुमानित होंगी।

लेकिन तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। अक्षय ऊर्जा 21वीं सदी की शांति योजना है। लेकिन तेजी से और न्यायसंगत ऊर्जा संक्रमण की लड़ाई एक स्तर के मैदान पर नहीं लड़ी जा रही है। निवेशक अभी भी जीवाश्म ईंधन का समर्थन कर रहे हैं, और सरकारें अभी भी कोयला, तेल और गैस के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी हर मिनट लगभग 11 मिलियन डॉलर देती हैं। ऊर्जा सुरक्षा, स्थिर बिजली की कीमतों, समृद्धि और रहने योग्य ग्रह का एकमात्र सच्चा मार्ग प्रदूषणकारी जीवाश्म ईंधन को त्यागना और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा संक्रमण को तेज करना है।

## वन परिदृश्य बहाली

**संदर्भ:** जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव के खिलाफ लड़ाई में, वन परिदृश्य बहाली पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) के अनुसार, वनों की कटाई और वन क्षरण, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% योगदान करते हैं।
- आमतौर पर, सरकारें गैर-वृक्ष भूमि पर वृक्ष लगाने के साधन के रूप में वनरोपण और पुनर्वनीकरण पर निर्भर रही हैं।
- ये रणनीतियां अब विकसित हो गई हैं। वन परिदृश्य बहाली पर अब ध्यान केंद्रित किया गया है - पारिस्थितिक कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने और वनों की कटाई या अपमानित वन परिदृश्य में मानव कल्याण में सुधार करने की प्रक्रिया।

**वन परिदृश्य बहाली**

- वन भूदृश्य पुनर्स्थापन समुदायों को भूदृश्यों के उन्नयन के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद हस्तक्षेपों को डिजाइन करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहता है।
- विश्व में लगभग दो अरब हेक्टेयर (और भारत में 14 करोड़ हेक्टेयर) खराब हो चुकी भूमि में 'वन भूमि' के रूप में संभावित बहाली की गुंजाइश है।

**महत्वपूर्ण पहलू**

- इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू पेड़ लगाते समय प्रजातियों की विविधता सुनिश्चित करना है।
- विविध देशी वृक्ष प्रजातियों वाले प्राकृतिक वन 'एकल प्रजाति वृक्षारोपण' की तुलना में कार्बन को अलग करने में अधिक कुशल होते हैं।

- विविध प्रजातियों का रोपण स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है।

**वन का महत्व**

- वन पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित करने, कार्बन चक्र को प्रभावित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में अभिन्न अंग हैं।
- सालाना, वन लगभग 2.6 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। इस अवशोषण में जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलने वाली लगभग 33% कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है।
- लाखों जीवन और आजीविका हमारे जंगलों से जुड़ी हुई है।
- वन वस्तुओं और सेवाओं के लिए संसाधन आधार के रूप में कार्य करके स्थानीय समुदायों और उनकी आजीविका के लिए एक वरदान हैं।
- वन पारिस्थितिकी तंत्र मिट्टी की उर्वरता और पानी की उपलब्धता को समृद्ध करते हैं, कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हैं, और बदले में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं।
- वृक्षारोपण कटाव और बाढ़ को रोकता है।
- सतत वन फसलें खाद्य असुरक्षा को कम करती हैं और महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, जिससे उन्हें अधिक पोषण आहार और नई आय धाराओं तक पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
- कृषि वानिकी ग्रामीण-से-शहरी प्रवास को कम करती है और संसाधनों तथा घरेलू आय में वृद्धि में योगदान करती है।

**भारत और कार्यक्रम**

- भारत 2015 में 'बॉन चैलेंज' में शामिल हुआ, जिसमें 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने का वादा किया गया था।
- इसके तहत 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5 बिलियन-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- सरकारी कार्यक्रमों में प्रतिपूरक वनरोपण, राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (हरित भारत मिशन), नगर वन योजना और वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना आदि शामिल हैं।
- पर्यावरण और वन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए हरित कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं पर प्रकाश डाला गया है।
- हालांकि, भारत में वन बहाली के लिए क्षेत्रों की पहचान, वृक्षारोपण में अनुसंधान और वैज्ञानिक रणनीतियों के महत्व की कमी, हितधारकों के हितों के टकराव और वित्तपोषण के मामले में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

**वृक्षारोपण अभियान चलाने का सही तरीका क्या है?**

- भविष्य की चुनौतियों और सामाजिक जरूरतों के सामने टिकाऊ और समायोज्य होने के लिए वन परिदृश्य बहाली को सक्रिय रूप से लागू किया जाना चाहिए, परिदृश्य और वन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना चाहिए।
- इसमें समुदाय, चैंपियन, सरकार और जमींदारों सहित कई हितधारकों की भागीदारी और संरेखण की भी आवश्यकता है।
- कमजोर वन-आश्रित समुदायों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, और किसी भी प्रयास को स्थानीय सामाजिक-आर्थिक संदर्भ और क्षेत्र के परिदृश्य इतिहास के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

## सोसाइटी और सामाजिक मुद्दे

### हेट स्पीच (Hate Speech)

**संदर्भ:** हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने हेट स्पीच पर ध्यान आकर्षित किया है।

**हाल की घटनाएं**

- पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जहां एक केमिस्ट उमेश कोल्हे को कथित तौर पर पैगंबर पर सत्ताधारी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता के समर्थन में एक पोस्ट साझा करने के प्रतिशोध में तीन लोगों द्वारा चाकू मार दिया गया था, उसी तर्ज पर एक सप्ताह पहले उदयपुर में एक दर्जी कन्हैया लाल की नृशंस हत्या थी।
- दोनों ही मामलों में, टिप्पणी से नाराज संदिग्धों ने हिंसा को अपने धर्म के अपमान के रूप में एक काउंटर के रूप में लिया।

**हेट स्पीच के प्रमुख कारण:**

**श्रेष्ठता की भावना:**

- लोग उन रूढ़ियों में विश्वास करते हैं जो उनके दिमाग में बसी हुई हैं और ये रूढ़ियाँ उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिये प्रेरित करती हैं कि एक वर्ग या व्यक्तियों का समूह उनसे हीन है तथा इसलिये सभी के एक समान अधिकार नहीं हो सकते।

**विशेष विचारधारा के प्रति जिद:**

- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के अधिकार की परवाह किये बिना किसी विशेष विचारधारा को मानते रहने की जिद हेट स्पीच को और बढ़ाती है।

**अभद्र भाषा की कानूनी स्थिति:**

**भारतीय दंड संहिता के तहत:**

- **धारा 153A और 153B:** दो समूहों के बीच दुश्मनी तथा नफरत पैदा करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाता है।
- **धारा 295A:** यह धारा जान-बूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से लोगों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले कृत्यों को दंडित करने से संबंधित है।
- **धारा 505(1) और 505(2):** ऐसी सामग्री के प्रकाशन और प्रसार को अपराध बनाना जिससे विभिन्न समूहों के बीच द्वेष या घृणा उत्पन्न हो सकती है।

**जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत:**

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People's Act), 1951 की धारा 8 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है।
- आरपीए की धारा 123(3A) और 125: चुनावों के संदर्भ में जाति, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी कृत्य के अंतर्गत शामिल करती है।

**आईपीसी में बदलाव के लिए सिफारिशें**

**बेजबरुआ समिति 2014:**

- इसने आईपीसी की धारा 153 सी में संशोधन कर पाँच वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों तथा धारा 509 ए में संशोधन कर तीन वर्ष की सज़ा या जुर्माना या दोनों का प्रस्ताव दिया।

**विश्वनाथन समिति 2019:**

- इसने धर्म, नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता या जनजाति के आधार पर अपराध करने के लिये उकसाने हेतु आईपीसी में धारा 153 सी (बी) और धारा 505 ए का प्रस्ताव रखा।
- इसने 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सज़ा का प्रस्ताव रखा।

**आगे की राह**

- नफरत को कम करने का सबसे कारगर तरीका है शिक्षा है।

- दूसरों के साथ करुणा को बढ़ावा देने और समझने में शिक्षा प्रणाली को प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।
- लोगों के पास समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट करने और देश को आगे ले जाने की दृष्टि होनी चाहिए।
- भारत के लिए, संपूर्ण विश्व एक परिवार है, जो अपने कालातीत आइडियल (timeless ideal), 'वसुधैव कुटुम्बकम' में निहित है। इसी भावना के साथ हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
- हेट स्पीच और अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सरकार को आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधन करना चाहिए।

## लैंगिक समानता (Gender Equality)

**संदर्भ:** न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी महिला क्रिकेटरों को उनके पुरुष समकक्षों के समान पारिश्रमिक देने के लिए एक सौदा किया, जो खेल में लिंग वेतन अंतर को बंद करने की लड़ाई में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

- अगस्त से, न्यूजीलैंड के पुरुष और महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर समान मैच फीस के हकदार होंगे।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका की महिला राष्ट्रीय फुटबॉलरों द्वारा समान मुआवजे को सुरक्षित करने के लिए अपने महासंघ के साथ छह साल की लंबी लड़ाई जीतने के चार महीने बाद आया है।
- समझौतों से गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जिससे और अधिक लड़कियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

**बाधायें (Barriers)**

- ऐतिहासिक रूप से, पुरुषों का खेल में आना और खेलकूद करना सामान्य कार्य रहा है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक अनुकूलन है।
- दूसरी ओर, महिलाओं को यह समझने के लिए मजबूर किया गया है कि खेल में भागीदारी और फैंटेसी उनके लिए नहीं हैं।
- असमान अवसर, खेलने का कम समय और निवेश की कमी ऐसे कारक हैं जो महिलाओं को पीछे खींच रहे हैं।
- क्रिकेट में, विशेष रूप से भारत में पुरुषों और महिलाओं के बीच मौद्रिक अंतर को कम करने के किसी भी कदम को महिलाओं के खेल के लिए कम बाजार रेटिंग का हवाला देकर शांत करा दिया जाता है।
- समय की मांग है कि ऐसी बाधाओं को दूर और पहुंच में सुधार किया जाए।
- वेतन अंतर को कम करना सही दिशा में एक कदम है। यह समय कम महिलाओं के खेलों तक पहुंचने, कम महिलाओं के पेशेवर बनने का दुष्चक्र है और इसलिए व्यावसायिक अवसरों वाली कम महिलाओं को तोड़ा गया है और वेतन समता की ओर यात्रा की हिमनद गति तेज हो गई है।

## श्रीलंका की जैविक खेती आपदा (Sri Lanka's organic farming disaster)

**संदर्भ:** श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। भगोड़ा मुद्रास्फीति 54.6 प्रतिशत पर पहुंच गई और देश अब दिवालियेपन की ओर बढ़ रहा है।

- 10 में से नौ श्रीलंकाई परिवार भोजन का प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, और कई ईंधन प्राप्त करने की आशा में कई दिनों तक कतार में खड़े हैं।

**श्रीलंका आर्थिक संकट का कारण क्या रहा है?**

- संकट का कोई एकमात्र कारण नहीं है, जो कई कारकों के कारण वर्षों से बना हुआ था-

**1. आर्थिक संरचना में ऐतिहासिक असंतुलन**

- श्रीलंका की आर्थिक स्थिति चाय और रबर जैसी प्राथमिक वस्तुओं तथा कपड़ों के निर्यात से जुड़ी हुई है।

**2. महामारी से पहले मंदी**

- हालांकि वर्ष 2013 के बाद इसकी औसत GDP वृद्धि दर लगभग आधी हो गई क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गईं, निर्यात धीमा हो गया और आयात बढ़ गया।

**3. विदेशी मुद्रा भंडार की निरंतर निकासी**

- यह वर्ष 2008 के युद्ध और वैश्विक संकट के संदर्भ में था कि सरकार ने वर्ष 2009 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से $2.6 बिलियन का ऋण

इस शर्त के साथ प्राप्त किया कि बजट घाटा वर्ष 2011 तक जीडीपी के 5% तक कम हो जाएगा।

- इस प्रतिबद्धता ने सरकार के हाथों को प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति के लिए बाध्य कर दिया, जब अर्थव्यवस्था वर्ष 2013 के बाद धीमी हो गई।

**4. आतंकवादी हमले**

- अप्रैल 2019 में, गिरजाघरों में आत्मघाती बम विस्फोटों के बाद संकट में तेजी आई, जिससे द्वीप राष्ट्र के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग को नुकसान हुआ।
- परिणामस्वरूप, पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई। इससे इसकी मुद्रा कमजोर हुई और सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करना मुश्किल हो गया।

**5. महामारी**

- वर्ष 2020 में COVID-19 महामारी ने इस स्थिति को और खराब कर दिया। जिससे चाय, रबर, मसालों और कपड़ों के निर्यात को नुकसान तथा पर्यटन आगमन और राजस्व में और गिरावट आई।
- महामारी के कारण सरकारी व्यय में भी वृद्धि होना : राजकोषीय घाटा वर्ष 2020 - 2021 में 10% से अधिक हो गया, और सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात वर्ष 2019 में 94% से बढ़कर वर्ष 2021 में 119% हो गया। इससे अर्थव्यवस्था के बुनियादी मैक्रो-इकनॉमिक फंडामेंटल को चोट पहुंची है।

**6. गलत निर्देशित नीतियां**

- वर्ष 2019 में गोटबाया राजपक्षे की नई सरकार ने अपने अभियान के दौरान किसानों के लिये कम कर दरों और व्यापक SoP का वादा किया था। वैट की दरों को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया।
- वर्ष 2019 के अंत में, कर कटौती ने सरकारी राजस्व को कम कर दिया जिससे सरकार की बुनियादी कल्याणकारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता और क्षीण हो गई।
- लेकिन 2021 में, राष्ट्रपति ने एक असामान्य निर्णय लिया, कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के आयात पर व्यावहारिक रूप से रातोंरात प्रतिबंध लगा दिया, जिससे श्रीलंका के लाखों किसान जैविक खेती करने के लिए मजबूर हो गए। यह निर्णय विनाशकारी साबित हुआ।

**जैविक खेती के गुण क्या हैं?**

- **पर्यावरण के अनुकूल:** जैविक उत्पादों की खेती रसायनों और उर्वरकों से मुक्त होती है, इसलिए यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह भविष्य में स्थायी कृषि की दिशा में परिवर्तन ला सकता है जहां जलवायु परिवर्तन से खाद्य सुरक्षा को खतरा रहता है।
- **पोषाहार:** रासायनिक और उर्वरक-प्रयुक्त उत्पादों की तुलना में जिनमें कीटनाशक अवशेष अधिक और हानिकारक होते हैं, जैविक उत्पाद अधिक पौष्टिक, स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं।
- **इकोनॉमिकल (Economical):** जैविक खेती में फसलों के रोपण के लिए किसी महंगे उर्वरक, कीटनाशक या HYV बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए, भारत जैसे देश में जहां 86% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, जैविक खेती आर्थिक रूप से टिकाऊ हो सकती है।
- **सरकारी उपायों पर निर्भरता करना:** सस्ते और स्थानीय आदानों के उपयोग से किसान निवेश पर अच्छा लाभ कमा सकता है। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और अन्य सब्सिडी पर किसानों की निर्भरता कम होगी।
- **उच्च मांग:** भारत और दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता और स्वास्थ्य लाभ के कारण जैविक उत्पादों की भारी मांग है, जो निर्यात के माध्यम से अधिक आय उत्पन्न करता है। यह किसानों को उनके इनपुट के लिए उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने में मदद करेगा।
- **जल संरक्षण:** जैविक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार होता है। इसके लिए जल संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता होती है जिससे जल संरक्षण होता है। यह भारत के लिए आवश्यक है जहां नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 75 भारतीय शहरों में अत्यधिक पानी की कमी का खतरा है।

**जैविक खेती के साथ क्या चुनौतियाँ/चिंताएँ हैं?**

जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते खतरों ने ग्लोबल वार्मिंग को प्रेरित किया; बाढ़, सापेक्ष बाजार की मांग आदि निम्नलिखित कारणों से बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए जैविक खाद्य क्षेत्र की वृद्धि और व्यवहार्यता के लिए एक गंभीर चुनौती है:

- **कम उत्पादन:** जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद प्रारंभिक वर्षों में रासायनिक उत्पादों की तुलना में कम होते हैं। इसलिए, किसानों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करना मुश्किल होता है जो उनकी कमाई के साथ-साथ बाजार के जुड़ाव को भी सीमित करता है।
- **शार्ट शेल्फ लाइफ (Shorter shelf life) :** जैविक उत्पादों में रासायनिक उत्पादों की तुलना में अधिक खामियां और शार्ट शेल्फ लाइफ होता है। यह उच्च भंडारण और परिवहन लागत की तरफ है। भारत में, राज्यों के बीच कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता में असमानता है, इसलिए अधिक किसानों से शार्ट शेल्फ लाइफ सीमा बढ़ जाती है।
- **उत्पादन की लागत:** खेती की लागत बढ़ जाती है क्योंकि इसके सिंथेटिक इनपुट-गहन समकक्ष की तुलना में उत्पादन में अधिक समय और ऊर्जा लगती है। भारत में जहां अधिकांश किसान निर्वाह पर रहते हैं, जैविक खेती उनके लिए व्यवहार्य नहीं होती है।
- **कौशल की कमी:** विशिष्ट किसान प्रशिक्षण लागत, उच्च प्रसंस्करण और इन्वेंट्री होल्डिंग लागत, और बढ़ी हुई पैकेजिंग, रसद और वितरण लागत अंतिम उत्पादों की कीमत में इजाफा करती है।
- **कम जागरूकता:** पारंपरिक खेती और जैविक खेती के बीच अंतर के बारे में उत्पादक स्तर पर कम जागरूकता है, जबकि उपभोक्ता पक्ष में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के बीच भ्रम है।
- **ऊंची कीमतें:** बढ़ती मांग और कम आपूर्ति ने जैविक खाद्य उत्पादों पर मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ा दिया है; यह ग्राहकों को गैर-जैविक सस्ते उत्पादों की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह एक नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है कि जैविक भोजन केवल अमीरों के लिए है और यह व्यापक खपत को प्रतिबंधित करता है।
- **प्रमाणन बाधाएं:** एपीडा द्वारा स्व-प्रमाणन की गैर-मान्यता जैसे कारकों के कारण बहुत सी संभावनाएं बाधित होती हैं, जो निर्यात के लिए तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण पर जोर देती है जबकि कृषि मंत्रालय पीजीएस-प्रमाणित उत्पादों को सब्सिडी देता है।

**औद्योगिक कृषि के नुकसान को कम करने के तरीके क्या हैं?**

- दुनिया भर की सरकारों को वर्ष 2050 तक 10 अरब लोगों को भोजन के लिए प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा न हो कि किसानों को बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रभावों के साथ कम पैदावार के लिए अधिक से अधिक भूमि खाली करने के लिए मजबूर किया जाए।
- **उस अपरिहार्य मांग को पूरा करना -** फसल की पैदावार में वृद्धि जारी रखते हुए कृषि रसायनों द्वारा लाए गए पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कम करना मुश्किल लेकिन संभव है।
- अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण के लिए प्रजनन के माध्यम से फसलों को अधिक उपज देने, नाइट्रोजन उर्वरकों को अधिक कुशल बनाने, ड्रोन और सेंसर जैसी "सटीक खेती" प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ताकि अधिक सटीक रूप से विश्लेषण किया जा सके कि उर्वरक कहां अधिक या कम लगाया जा रहा है।
- जैविक कृषि समर्थकों के बीच लोकप्रिय प्रथाओं से भी मदद मिलेगी, जैसे कि कवर क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, खेतों में रासायनिक उर्वरक के साथ जैविक उर्वरक जोड़ना, और खेतों में पेड़ और झाड़ियाँ लगाना, जिन्हें एग्रोफोरेस्ट्री के रूप में जाना जाता है।
- इसके अलावा, पर्यावरण कुजनेट वक्र ( Environmental Kuznets Curve) के आर्थिक सिद्धांत के अनुसार, एक बार जब देश प्रति व्यक्ति आय के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रदूषण कम हो सकता है क्योंकि देश आर्थिक विकास का त्याग किए बिना मजबूत पर्यावरणीय नियमों और प्रथाओं को लागू करने का जोखिम उठा सकता है, जैसे फसल की पैदावार।

## भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम पर दिशानिर्देश और भ्रामक विज्ञापनों के लिए अनुमोदन, 2022

**चर्चा में क्यों :** उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने 'भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश और भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन, 2022' को अधिसूचित किया है।

**उद्देश्य**

- भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाना और ऐसे विज्ञापनों द्वारा शोषित या प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना।

**प्रमुख प्रावधान**

**एक 'वैध' विज्ञापन:**

- दिशानिर्देश भ्रामक और वैध विज्ञापनों के लिए शर्तें निर्धारित करते हैं।
- विज्ञापन को गैर-भ्रामक माना जा सकता है यदि इसमें वस्तु का सही और ईमानदार प्रतिनिधित्व होता है तथा सटीकता, वैज्ञानिक वैधता या व्यावहारिक उपयोगिता या क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं रता है।
- अनजाने में हुई चूक के मामले में विज्ञापन को तब भी वैध माना जा सकता है यदि विज्ञापनदाता ने उपभोक्ता को कमी बताने में त्वरित कार्रवाई की हो।

**बच्चों को लक्षित करने वाले विज्ञापन**

- ऐसे विज्ञापन जो बच्चों के लिये खतरनाक हो सकते हैं या बच्चों की अनुभवहीनता, विश्वसनीयता या विश्वास की भावना आदि का लाभ उठा सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने, उनके व्यवहार को प्रेरित करने या अनुचित रूप से अनुकरण करने वाले विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- इन दिशा निर्देशों में यह भी अनिवार्य किया हैं कि,जिन वस्तुओं के बारे में स्वास्थ्य चेतावनी दी जाती है उनका विज्ञापन संगीत, खेल और सिनेमा आदि में बच्चों या मशहूर हस्तियों द्वारा नहीं किया जायगा।
- इसके अलावा बिना किसी, "पर्याप्त वैज्ञानिक परिक्षण के स्वास्थ्य या पोषण संबंधी लाभ" या "बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं है।
- इन दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि "चिप्स, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, और ऐसी अन्य वस्तुओं" जैसे उत्पादों के विज्ञापन बच्चों के लिए बने चैनलों पर प्रसारित नहीं किए जाएंगे।

**सरोगेट विज्ञापन को प्रतिबंधित करना:**

- यह सरोगेट विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है, एक ऐसी प्रथा जहां एक विक्रेता किसी ऐसे उत्पाद का प्रचार करता है जिसके विज्ञापन को किसी अन्य उत्पाद के रूप में छिपाने की अनुमति नहीं है। शराब के विज्ञापन आमतौर पर ऐसी प्रथाओं में शामिल होते हैं।

**मुफ़्त दावों वाले विज्ञापन:**

- मुफ़्त दावों वाले विज्ञापन में किसी भी सामान, उत्पाद या सेवा को 'मुफ़्त', 'बिना शुल्क' के या अगर उपभोक्ता को कुछ भी भुगतान करना हो तो ऐसी अन्य शर्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

**बैट विज्ञापन (Bait Advertisements):**

- दिशानिर्देश बैट विज्ञापन जारी करते समय पालन की जाने वाली शर्तों को निर्धारित करते हैं।
- बैट विज्ञापन का अर्थ एक ऐसा विज्ञापन है जिसमें उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं, उत्पादों या सेवाओं को कम कीमत पर बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

**अन्य सुधार**

- दिशानिर्देशों में "विज्ञापनों में अस्वीकरण" का होना जरुरी है जिसमें "विज्ञापनों में किए गए दावे की पुष्टि हो या उनकी सच्चाई या इस तरह के दावे को और विस्तार से समझाया गया हो।
- इसके साथ ही निर्माताओं को इस तरह के विज्ञापन में किए गए किसी भी दावे के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि विज्ञापनों में किसी भी प्रकार का अस्वीकरण/खंडन सामान्य रूप से देखे जाने वाले व्यक्तियों को दिखाई देना चाहिए।

**महत्व**

- दिशा-निर्देश पथ प्रदर्शक होते हैं क्योंकि वे विज्ञापनदाता के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए महत्त्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण अंतराल को भरते हैं।

- दिशा-निर्देश बच्चों के उद्देश्य से अतार्किक उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने को हतोत्साहित करने का भी प्रयास करते हैं।
- यह भारतीय नियामक ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुरूप लाने में एक आवश्यक कार्य करता है।
- भ्रामक विज्ञापनदाताओं के खिलाफ ग्राहकों को सशक्त बनाने के लिये दिशा-निर्देश महत्त्वपूर्ण हैं।

जबकि दिशानिर्देशों को सही दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने की एक निश्चित आवश्यकता है कि जिस भावना से उनका मसौदा तैयार किया गया है, उसमें उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

## सुरक्षा संबंधित मुद्दे

### पेगासस लड़ाई में निगरानी सुधार के लिए लड़ना
### (In Pegasus battle, the fight for surveillance reform)

**संदर्भ :** पेगासस प्रोजेक्ट के खुलासे से भारत के लोकतंत्र के लिए खतरे का खुलासा हुए एक साल बीत चुका है।

- एक प्रमुख डिजिटल समाचार मंच ने बताया कि कम से कम 300 भारतीयों के सेलफोन को पेगासस के साथ हैक कर लिया गया था, जो कि इज़राइल स्थित एनएसओ समूह के स्पाइवेयर थे।

**सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के उद्देश्य क्या थे?**

- समिति को अन्य बातों के अलावा पूछताछ, जांच और निर्धारित करने के लिए अनिवार्य था कि क्या पेगासस का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों के फोन और अन्य उपकरणों पर सुनने के लिए किया जाता था।
- इस बारे में विवरण मांगा गया था कि क्या सरकार ने 2019 में व्हाट्सएप खातों को एक ही स्पाइवेयर द्वारा हैक किए जाने के बारे में रिपोर्ट आने के बाद कोई कार्रवाई की थी और क्या सरकार ने वास्तव में इस तरह के सूट का अधिग्रहण किया था।

**पेगासस क्या है?**

- पेगासस इजरायली साइबर-आर्म्स कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित स्पाइवेयर है जिसे iOS और एंड्रॉइड के अधिकांश संस्करण चलाने वाले मोबाइल फोन पर गुप्त रूप से स्थापित किया जा सकता है।

**भारत में इसका उपयोग कैसे किया गया?**

- कम से कम 40 पत्रकारों, कैबिनेट मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, सरकारी अधिकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पेगासस के जरिए उनकी निगरानी की गई थी।
- चूंकि पेगासस को साइबर-हथियार के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे केवल इजरायली कानून के अनुसार अधिकृत सरकारी संस्थाओं को ही बेचा जा सकता है, अधिकांश रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि इन देशों की सरकारें ग्राहक हैं।

**भारत में निगरानी कानून**

भारत में संचार निगरानी मुख्य रूप से दो कानूनों के तहत होती है:

- टेलीग्राफ अधिनियम कॉलों के अवरोधन से संबंधित है।
- सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से निपटने के लिए आईटी अधिनियम बनाया गया था।

**टेलीग्राफ अधिनियम**

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5 (2) में कहा गया है कि सरकार कुछ स्थितियों में "संदेश या संदेशों की श्रेणी" को रोक सकती है।
- कुछ स्थितियां - भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था, या किसी अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए।
- ये वही प्रतिबंध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए गए हैं।
- ये प्रतिबंध तभी लागू किए जा सकते हैं जब किसी सार्वजनिक आपात स्थिति की पूर्व स्थिति हो, या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में हो।

*अवरोधन के लिए परिचालन प्रक्रिया और प्रक्रियाएं:*

- नियम 419A के तहत, निगरानी के लिए केंद्र या राज्य स्तर पर गृह सचिव की मंजूरी की आवश्यकता होती है, लेकिन "अपरिहार्य परिस्थितियों" में संयुक्त सचिव या ऊपर के अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी जा सकती है, यदि उनके पास गृह सचिव का अधिकार है।
- के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ का 2017 का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी की आवश्यकता को दोहराते हुए कहा कि यह कानूनी रूप से वैध होना चाहिए और सरकार के वैध उद्देश्य को पूरा करना चाहिए।

- अदालत ने यह भी कहा कि अपनाए गए साधन निगरानी की आवश्यकता के समानुपाती और निगरानी के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रक्रियाएं होनी चाहिए।

**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000**

- आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से संबंधित है।
- यदि भारत की संप्रभुता या अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या किसी संज्ञेय अपराध के कमीशन या जांच के लिए या किसी अपराध को उकसाने को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।

**दूर करने के लिए चुनौतियां:**

- राज्य और निजी एक्टरों द्वारा लोगों और संस्थाओं की अंधाधुंध निगरानी को रोकने के लिए निगरानी कानूनों में बदलाव आवश्यक है।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 जो उस समय पेश किए गए थे जब पेगासस जैसा कोई उन्नत स्पाइवेयर नहीं था इसलिए उन्हें आधुनिक तकनीकी प्रगति की आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन और संशोधित किया जाना चाहिए।
- ये कानून पेगासस जैसे स्पाइवेयर के विकसित होने से पहले के युग से हैं, और इस प्रकार, आधुनिक निगरानी उद्योग को प्रतिक्रिया नहीं देते हैं।
- निगरानी सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा विधायी प्रस्तावों की कमी:
    - प्रस्तावित डेटा संरक्षण कानून इस चिंता का समाधान नहीं करता है।
    - इसके बजाय, प्रस्तावित कानून सरकार को कानून के आवेदन से चुनिंदा एजेंसियों से संबंधित व्यापक छूट प्रदान करता है; जिसका उपयोग खुफिया और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को छूट देने के लिए किया जा सकता है।
    - निगरानी ढांचे में इस अंतर के कारण भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को भारी नुकसान हुआ है।

**निष्कर्ष**

नागरिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को लक्षित करने से लेकर व्यावसायिक लाभ के लिए वादियों को लक्षित करने तक, निगरानी उद्योग तेजी से सुलभ होता जा रहा है, और निगरानी की प्रकृति, तेजी से घुसपैठ कर रही है।

तत्काल और दूरगामी निगरानी सुधार के अभाव में, और गैरकानूनी निगरानी के खिलाफ अधिकारियों से संपर्क करने वालों के लिए तत्काल निवारण, निजता का अधिकार जल्द ही अप्रचलित हो सकता है।

## क्रिप्टो-जैकिंग

**चर्चा में क्यों:** अमेरिका स्थित साइबर सुरक्षा फर्म सोनिकवॉल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल की पहली छमाही की तुलना में 2022 की पहली छमाही में कंप्यूटर सिस्टम पर इस तरह के हमले 30% बढ़कर 66.7 मिलियन हो गए हैं।

- जबकि मात्रा में वृद्धि व्यापक थी, कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ, जैसे कि वित्त उद्योग, जिसमें 269% की वृद्धि देखी गई।

**क्रिप्टो जैकिंग क्या है?**

- क्रिप्टो-जैकिंग (Crypto-jacking) एक साइबर-हमला है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर द्वारा अपहृत और नियंत्रित किया जाता है, और इसके संसाधनों का उपयोग अवैध रूप से क्रिप्टोकरेंसी का खनन (माइन) करने के लिए किया जाता है।
- ज्यादातर मामलों में, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम तब स्थापित होता है जब उपयोगकर्ता किसी असुरक्षित लिंक पर क्लिक करता है, या किसी संक्रमित वेबसाइट पर जाता है - और अनजाने में अपने इंटरनेट से जुड़े डिवाइस तक पहुंच प्रदान करता है।

**क्रिप्टो जैकिंग क्यों की जाती है?**

- कॉइन माइनिंग एक वैध, प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है जिसका उपयोग नए क्रिप्टो सिक्कों को प्रचलन में लाने या नए लेनदेन को सत्यापित करने के लिए किया जाता है।
- इसमें ब्लॉकचैन में जोड़े जाने वाले सत्यापित लेनदेन के ब्लॉक उत्पन्न करने के लिए जटिल कम्प्यूटेशनल समस्याओं को हल करना शामिल है।
- इस मार्ग के माध्यम से क्रिप्टो लेज़र को सफलतापूर्वक अपडेट करने वाले पहले खनिक के लिए इनाम क्रिप्टो सिक्के हैं

- लेकिन इस 64 अंकों के हेक्साडेसिमल नंबर कोड को क्रैक करने के लिए अत्याधुनिक हार्डवेयर और शामिल सिस्टम को संचालित करने के लिए विद्युत शक्ति को शामिल करते हुए अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है।
- क्रिप्टोजैकर्स उपकरणों, सर्वरों और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सहयोजित करते हैं और खनन के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं। चोरी या क्रिप्टो जैक किए गए संसाधनों का उपयोग खनन में शामिल लागत को कम करता है।

**क्रिप्टोजैकिंग की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं?**

- सोनिकवॉल की साइबर थ्रेट रिपोर्ट के अनुसार, रैंसमवेयर हमलों पर कार्रवाई साइबर अपराधियों को वैकल्पिक तरीकों की तलाश करने के लिए मजबूर कर रही है।
- क्रिप्टो जैकिंग में कम खतरे है, और संभावित रूप से अधिक पैसे के लायक है।
- क्रिप्टो जैकिंग साइबर अपराधी गिरोहों के लिए एक आकर्षक विकल्प है क्योंकि इसमें पीड़ित द्वारा पता लगाए जाने की संभावना कम होती है; दुनिया भर में अनसुने उपयोगकर्ता देखते हैं कि उनके डिवाइस धीमे हो जाते हैं, लेकिन इसे आपराधिक गतिविधि से जोड़ना मुश्किल है।
- रैंसमवेयर के विपरीत, जो अपनी उपस्थिति की घोषणा और पीड़ितों के साथ संचार पर बहुत अधिक निर्भर करता है, क्रिप्टो जैकिंग पीड़ित को इसके बारे में कभी भी जागरूक किए बिना सफल हो सकता है।

**यह चिंता का विषय क्यों होना चाहिए?**

- क्रिप्टोजैकिंग का पता लगाना मुश्किल है और इन हमलों के शिकार ज्यादातर इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि उनके सिस्टम से समझौता किया गया है।
- कुछ संकेत यह हैं कि उपकरण धीमा, गर्म या बैटरी सामान्य से अधिक तेजी से खत्म हो रही है।
- क्रिप्टो जैकिंग का पहला प्रभाव प्रदर्शन से संबंधित है, हालांकि यह प्रभावित व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए लागत भी बढ़ा सकता है क्योंकि कॉइन माइनिंग अधिक बिजली और कंप्यूटिंग शक्ति का उपयोग करता है।

## विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

### अंतरिक्ष क्षेत्र में निजीकरण (Privatization in Space Sector)

**संदर्भ:** वर्ष 2022 में अंतरिक्ष क्षेत्र देख रहा है कि 1990 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने क्या अनुभव किया। नतीजतन, सरकार जल्द ही एक नई अंतरिक्ष नीति लाएगी जो भारत के अपने "स्पेसएक्स जैसे उपक्रमों" के उदय की शुरुआत कर सकती है।

**व्यावहारिक दृष्टि से अंतरिक्ष क्षेत्र के व्यावसायीकरण/निजीकरण का क्या अर्थ है?**

- **अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव:** अपने पुन: प्रयोज्य रॉकेटों, पेलोड और चालक दल को ले जाने के लिए बड़े कैप्सूल और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ, स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांति ला दी है।
- **प्रौद्योगिकी ने लागत को कम किया:** पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचने के लिए मूल्य टैग में एक दशक में 20 के कारक की गिरावट आई है। नासा के अंतरिक्ष यान की कीमत लगभग $54,500 प्रति किलोग्राम है; अब, स्पेसएक्स का फाल्कन 9 $ 2,720 प्रति किलोग्राम की लागत का विज्ञापन करता है।
- **बढ़ा हुआ बाजार:** बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 350 अरब डॉलर का अंतरिक्ष बाजार वर्ष 2050 तक 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। एक दशक में, 80,000 ऐसे उपग्रह अंतरिक्ष में हो सकते हैं, जो वर्तमान में 3,000 से कम हैं।
- **दूरसंचार क्रांति:** स्टारलिंक अभ्यास का उद्देश्य इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है जो पृथ्वी के किसी भी बिंदु को किसी अन्य बिंदु से जोड़ती हैं। वर्ष 2020 के अंत तक उत्तरी अमेरिका और कनाडा में कवरेज को लक्षित करते हुए, वर्ष 2021 तक दुनिया को कवर करने का लक्ष्य है।

**अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास का क्या महत्व है?**

- **बेहतर मौसम पूर्वानुमान:** उपग्रह मौसम के पूर्वानुमान पर अधिक सटीक जानकारी प्रदान करते हैं और किसी क्षेत्र की जलवायु और रहने की क्षमता में दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करते हैं। परिणामस्वरूप, सरकारें किसानों और आश्रित उद्योगों के लिए अधिक व्यावहारिक और जुझारू कार्य योजनाएँ तैयार करने में सक्षम होंगी।
- **रीयल टाइम ट्रैकिंग:** उपग्रहों के माध्यम से एकत्र किए गए अधिक सटीक डेटा के साथ भूकंप, सूनामी, बाढ़, जंगल की आग, खनन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ रीयल टाइम ट्रैकिंग और पूर्व-चेतावनी समाधान के रूप में भी काम कर सकते हैं। बचाव में रीयल-टाइम ट्रैकिंग भी कई उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है।
- **मजबूत कनेक्टिविटी:** उपग्रह संचार अधिक दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकता है जहां पारंपरिक नेटवर्क के लिए एक भारी पूरक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होगी।
- **अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन:** जैसे-जैसे अंतरिक्ष उपग्रहों से अधिक भीड़भाड़ वाला होता जाता है, 'अंतरिक्ष कबाड़' (पुराने अंतरिक्ष यान और उपग्रहों के मलबे) के प्रबंधन में मदद के लिए उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है।
- **कई क्षेत्रों पर स्पिलओवर प्रभाव:** अंतरिक्ष क्षेत्र एयरोस्पेस, आईटी हार्डवेयर और दूरसंचार क्षेत्रों का एकीकरण है। इस क्षेत्र में निवेश अन्य क्षेत्रों में भी सकारात्मक कैरीओवर प्रभाव को बढ़ावा देगा।

**अंतरिक्ष की क्षमता को पूरा करने में क्या चुनौतियाँ हैं?**

- वर्तमान संदर्भ में अंतरिक्ष प्रशासन के लिए बहुपक्षीय ढांचा पुराना होता जा रहा है।
- अंतरिक्ष कानूनों में अंतराल में शामिल हैं:
    - अंतरिक्ष कानून में अभी तक विवाद निपटान तंत्र नहीं है।
    - अंतरिक्ष कानून टकराव और मलबे पर शांत है।
    - वे दूसरों की अंतरिक्ष संपत्तियों में हस्तक्षेप पर अपर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
- अंतरिक्ष कानूनों का कानूनी ढांचा राज्य-केंद्रित है, जिसकी जिम्मेदारी अकेले राज्यों पर है।
- अंतरिक्ष हथियारों की दौड़ और बढ़ते सैन्यीकरण: अंतरिक्ष हथियारों की दौड़ पर अंकुश लगाना मुश्किल है, विशेषकर जब से लगभग सभी

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में सैन्य अनुप्रयोग हुए हैं।

**वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत कहां पर है?**

- स्पेस-टेक एनालिटिक्स के अनुसार, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उद्योग में छठा सबसे बड़ा प्लेयर है, जिसके पास विश्व की अंतरिक्ष-तकनीक कंपनियों का 3.6% (2021 तक) है।
- वर्ष 2019 में भारतीय अंतरिक्ष उद्योग का मूल्य $7 बिलियन था और वर्ष 2024 तक $50 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- देश की विशिष्ट विशेषता इसकी लागत-प्रभावशीलता है। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश होने का गौरव प्राप्त करता है और $75 मिलियन - पश्चिमी मानकों की तुलना में सस्ता है।
- अंतरिक्ष विभाग के लिए FY2022-23 हेतु भारत का कुल बजटीय आवंटन ₹13,700 करोड़ था। इसके अलावा, सेक्टर के स्टार्ट-अप्स (भारत में) में वित्त पोषण 2021 में साल-दर-साल आधार पर लगभग तीन गुना बढ़कर $67.2 मिलियन हो गया।
- रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और निर्माण का बड़ा हिस्सा अब निजी क्षेत्र में है।
- हालांकि, भारतीय उद्योगों की भूमिका मुख्य रूप से घटकों और उप-प्रणालियों के आपूर्तिकर्ताओं की रही है, जबकि उपग्रह-आधारित सेवाओं और जमीन-आधारित प्रणालियों में भागीदारी की बहुत बड़ी संभावना है।

**भारत में अंतरिक्ष परिदृश्य कैसे बदल रहा है?**

- **इसरो के फोकस में बदलाव:** अंतरिक्ष और हमारे ग्रह पड़ोसियों, चंद्रमा, सूर्य आदि की खोज पर केंद्रित उपयोगितावादी परियोजनाओं पर मुख्य फोकस से स्थानांतरित करना।
- **निजी हितधारकों की बढ़ती भूमिका:** इसरो के फोकस में बदलाव के परिणामस्वरूप, हमने अंतरिक्ष उद्योग पर धीरे-धीरे सरकारी नियंत्रण की बढ़त देखी है, जो विक्रेताओं को काम पर रखने और रॉकेट घटकों की सक्रिय आउटसोर्सिंग से शुरू होकर बाहरी एजेंसियों को इसरो सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देने के विचार को प्रस्तुत करने के लिए है।
- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल):** मार्च 2019 में गठित, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) को इसरो द्वारा विकसित परिपक्व प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों में स्थानांतरित करने का अधिकार है। ये सभी रक्षा मंत्रालय के दायरे में हैं।
- **एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड:** अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है। यह इसरो से निकलने वाले उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने, व्यावसायिक रूप से वितरित करने और विपणन करके इसरो की एक वाणिज्यिक और विपणन शाखा के रूप में कार्य करता है।
- **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe):** इसे अंतरिक्ष गतिविधियों को करने के लिए निजी हितधारकों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और लाइसेंस देने का कार्य सौंपा गया है। एक निरीक्षण और नियामक निकाय के रूप में, यह गैर-सरकारी निजी संस्थाओं (एनजीपीई) को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और सुविधाओं को मुफ्त (यदि संभव हो) साझा करने की पेशकश करने हेतु तंत्र तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।

**IN-SPACE के निर्माण का क्या महत्व है?**

- **फैसिलिटेटर और रेगुलेटर:** IN-SPACE इसरो और निजी पार्टियों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा, और यह आकलन करेगा कि भारत के अंतरिक्ष संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे किया जाए और अंतरिक्ष-आधारित गतिविधियों को बढ़ाया जाए।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा:** IN-SPACe निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करेगा।
- **अंतरिक्ष संसाधनों का बेहतर उपयोग:** मौजूदा इसरो बुनियादी ढांचे, जमीन और अंतरिक्ष आधारित, वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधनों, और यहां तक कि डेटा को इच्छुक पार्टियों के लिए सुलभ बनाने की योजना बनाई गई है ताकि वे अपनी अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को पूरा कर सकें।
- **सामरिक लाभ:** नासा की तरह, इसरो मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की खोज और वैज्ञानिक मिशनों को पूरा करना है। निजी उद्योग भी इसरो को विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास, अंतरग्रहीय अन्वेषण और रणनीतिक प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करेगा।

- **निजी भागीदारी के क्षितिज का विस्तार करना:** IN-SPACe रॉकेट और उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण तथा व्यावसायिक रूप से अंतरिक्ष-आधारित सेवाएं प्रदान करने सहित एंड-टू-एंड अंतरिक्ष सेवाओं में निजी हितधारकों को बढ़ावा देगा।
- **अंतरिक्ष गतिविधियों का पुनर्विन्यास:** IN-SPACe अंतरिक्ष क्षेत्र को 'आपूर्ति-संचालित' मॉडल से 'मांग-संचालित' मॉडल में पुनर्निर्देशित करेगा, जिससे देश की अंतरिक्ष संपत्ति का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा।
- **युवा देश की क्षमता का लाभ उठाना:** अभी तक केवल इसरो ही अंतरिक्ष संबंधी सभी गतिविधियां कर रहा था। अंतरिक्ष क्षेत्र के खुलने का मतलब है कि पूरे देश की क्षमता का लाभ उठाया जा सकता है।
- **अंतरिक्ष स्टार्ट-अप को बढ़ावा:** इससे न केवल इस क्षेत्र का त्वरित विकास होगा बल्कि भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी।
- **अतिरिक्त राजस्व:** इसरो निजी हितधारकों को अपनी सुविधाएं और डेटा उपलब्ध कराकर कुछ राशि की कमाई कर सकता है।

## स्पेस एसेट्स सस्टेनेबिलिटी (Space Assets Sustainability)

**संदर्भ:** हाल ही में यूके ने सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन के सहयोग से लंदन में स्पेस सस्टेनेबिलिटी के लिए चौथे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

- यूके ने एक नई 'अंतरिक्ष स्थिरता के लिए योजना' की भी घोषणा की, इस प्रकार अंतरिक्ष स्थिरता पर ध्यान की वापसी हुई।
- इस योजना का उद्देश्य "बीमा, लाइसेंसिंग और वाणिज्यिक उपग्रहों के विनियमन के लिए एक वैश्विक वाणिज्यिक ढांचा स्थापित करना है।"

**अंतरिक्ष की समस्याएं:**

- पिछले एक दशक में पृथ्वी का कक्षीय वातावरण तीन गुना से अधिक हो गया है।
- जब अंतरिक्ष की स्थिरता की बात आती है तो सबसे गर्म मुद्दों में से एक कक्षीय भीड़ है।
- यह एक मिशन के संचालन और सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करता है और कानूनी और बीमा-संबंधी संघर्षों का कारण बनने की संभावना रहती है।
- अंतरिक्ष का मलबा एक अन्य प्रमुख मुद्दा है। एक मिशन के पूरा होने के बाद, 'एंड-ऑफ-लाइफ प्रोटोकॉल (end-of-life protocol)' के लिए अंतरिक्ष वस्तुओं को ग्रेवयार्ड ऑर्बिट (graveyard orbit) में या कम ऊंचाई पर ले जाने की आवश्यकता होती है।
- **अंतरिक्ष मौसम के खतरे -** चिंता के अन्य कारण सौर और चुंबकीय तूफान हैं जो संभावित रूप से संचार प्रणालियों को नुकसान पहुंचाते हैं।

**अंतरिक्ष स्थिरता के लिए यूके की योजना में क्या शामिल है?**

- यू.के. ने अंतरिक्ष की स्थिरता के लिए "एस्ट्रो कार्टा" की मांग की, जो स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस एकॉर्ड मॉडल पर आधारित है।
- यू.के. स्पेस सस्टेनेबिलिटी प्लान में चार प्राथमिक तत्वों का उल्लेख है:
  - यूके की कक्षीय गतिविधि के नियामक ढांचे की समीक्षा करना;
  - अंतरिक्ष स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव पर जोर देने के लिए G-7 और UN जैसे संगठनों के साथ काम करना;
  - गतिविधियों की स्थिरता को मापने के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित मेट्रिक्स का प्रयास करना और विकसित करना;
  - सक्रिय मलबा हटाने पर $6.1 मिलियन का अतिरिक्त वित्त पोषण प्रेरित करना।

**अंतरिक्ष स्थिरता पर भारत कहां पर है?**

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए 'प्रोजेक्ट नेत्रा' शुरू किया है, इससे अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा पर आगे की योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- अप्रैल 2022 में, भारत और यू.एस. ने 2+2 चर्चा में अंतरिक्ष वस्तुओं की निगरानी के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- कक्षा में सेवा प्रदान करने के लिए, इसरो 'स्पैडेक्स' नामक एक डॉकिंग प्रयोग विकसित कर रहा है।
  - यह मौजूदा उपग्रह पर एक उपग्रह को डॉकिंग करता है, एक उपग्रह की क्षमता को बढ़ाते हुए पुन: ईंधन भरने और अन्य कक्षा में सेवाओं में

सहायता प्रदान करता है।

- यह न केवल एक मिशन की लंबी उम्र सुनिश्चित करेगा बल्कि मिशनों/प्रयोगों को संयोजित करने के लिए एक भविष्य का विकल्प भी प्रदान करेगा।

**आगे की राह**

- बाह्य अंतरिक्ष में सतत अभ्यास भविष्य की प्रौद्योगिकियों का पोषण करते हुए कक्षीय भीड़ और टकराव के जोखिम को कम करने में सीधे मदद करेगा। अंतरिक्ष स्थिरता की योजना, जिसमें निजी उद्योग शामिल हैं, एक सामयिक कदम है।
- संयुक्त राष्ट्र COPUOS (बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति) या बाहरी अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOOSA) की सक्रिय भूमिका के साथ सभी अंतरिक्ष हितधारकों द्वारा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, ताकि गतिविधियों में आसानी के लिए समान मानक निर्धारित किए जा सकें।
- भारत ने हमेशा समस्या-समाधान अनुप्रयोगों के साथ लागत प्रभावी और कुशल मिशनों पर बल दिया है।
- संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने और मिशनों की सुरक्षा तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए स्थिरता दिशानिर्देशों के एक सेट के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## प्रैक्टिस QUESTIONS:

**Q.1)** 'जीएसटी परिषद' पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा किया गया था।
2. केंद्र के पास परिषद में मतदान का एक तिहाई अधिकार होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.2)** हाल ही में खबरों में रहा 'बोनालू (Bonalu)' है एक :

a) धातु हस्तशिल्प
b) दीवार पेंटिंग
c) संगीत प्रपत्र
d) त्योहार

**Q.3)** पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग में नाइट्रोजन होता है?

1. पत्तियां
2. अनाज
3. पादप ऊतक (Plant Tissue)
4. जड़ें

सही कोड चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 2, 3 और 4
c) 1, 3 और 4
d) उपरोक्त सभी

**Q.4)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. राज्यसभा सांसद अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से विधायकों द्वारा चुने जाते हैं।
2. संविधान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा सीटों के आवंटन का प्रावधान नहीं करता है।

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.5)** 'ब्लू डॉट नेटवर्क इनिशिएटिव' किससे संबंधित है?

a) जलवायु परिवर्तन
b) इंफ्रास्ट्रक्चर
c) आतंकवाद का मुकाबला
d) साइबर सुरक्षा

**Q.6)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : राष्ट्रीय निवेश एजेंसी

1. यह एजेंसी वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद अस्तित्व में आई थी।
2. यह एजेंसी केवल उन्हीं कानूनों से निपटती है जो उसकी अनुसूची में उल्लिखित हैं।
3. एनआईए का अधिकार क्षेत्र देश के बाहर के भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।

सही कोड चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1 और 2

**Q.7)** नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा/से सही सुमेलित है/हैं?

| समाचार में स्थान | देश |
|---|---|
| अकवाया (Akwaya) | कैमरून |
| ओरोमिया (Oromia) | इथियोपिया |
| कैलिनिनग्राद (Kaliningrad) | रूस |

सही कोड चुनें:

a) केवल 2
b) 2 और 3
c) केवल 3
d) डी) 1, 2 और 3

**Q.8)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZs) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत भारत में अधिसूचित हैं।
2. ESZs संरक्षित क्षेत्रों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित किए जाते हैं।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.9)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. लैंकांग-मेकांग सहयोग वर्ष 2000 में स्थापित एक बहुपक्षीय प्रारूप है।
2. लंकांग, मेकांग का वह हिस्सा है जो चीन से होकर बहती है।
3. म्यांमार और वियतनाम लंकांग-मेकांग सहयोग के सदस्य हैं।
सही कथन चुनें:
a) 1, 2 और 3
b) 1 और 2
c) 2 और 3
d) 1 और 3

**Q.10)** राज्यों के स्टार्ट-अप रैंकिंग अभ्यास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी किया गया है।
2. इस वर्ष गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे।
सही कथन चुनें:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.11)** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है।
2. इसे वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
3. CPCB के अध्यक्ष संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसे ड्राफ्ट ई-कचरा प्रबंधन नियम, 2022 को लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
सही कथन चुनें:
a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1, 2 और 3
d) 2 और 3

**Q.12)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करती है।
2. केंद्र सरकार के पास EPA के तहत किसी भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया को बंद करने, निषेध या विनियमन करने की शक्ति है।
गलत कथन चुनें:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.13)** 'बन्नी घास' के मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. ये घास के मैदान गुजरात और राजस्थान राज्य में मिलते हैं।
2. बन्नी घास के मैदान को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया है।
3. 'प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा' एक विदेशी आक्रामक प्रजाति बन्नी घास के मैदान में फैल गया है।
सही कथन चुनें:
a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3

**Q.14)** हाल ही में खबरों में रहा काराकल्पकस्तान (Karakalpakstan) कहाँ स्थित है?
a) उज़्बेकिस्तान
a) अफगानिस्तान
b) ईरान
c) इथियोपिया

**Q.15)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत, राष्ट्रपति भारत के क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।
2. भारत सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण और उनके लिए आरक्षित लाभों के समान वितरण को देखने के लिए न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की नियुक्ति की है।
गलत कथन चुनें:
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.16)** हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिज निवेश साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं?
a) दक्षिण अफ्रीका
b) ऑस्ट्रेलिया
c) केन्या
d) कनाडा

**Q.17)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचकांक जारी किया गया था।
2. 2022 संस्करण सूचकांक का पहला संस्करण है और इसे 5 प्रमुख स्तंभों पर बनाया गया है।
3. ओडिशा ने उच्चतम स्कोर किया और सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3

**Q.18)** 'मिशन वात्सल्य योजना' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना 10 है।
2. इस योजना के तहत मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) के माध्यम से राज्यों को धनराशि स्वीकृत की जाएगी।
3. मिशन वात्सल्य परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की अध्यक्षता महिला एवं बाल विकास मंत्री करेंगी।

गलत कथन चुनें:

a) 1 और 3
b) 1, 2 और 3
c) केवल 1
d) केवल 3

**Q.19)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. 'डेरेचो' एक गर्म मौसम की घटना है।
2. 'डेरेचो' एक बड़े स्तर पर लंबे समय तक तेज हवाएं सीधी लाइन में चलती रहती हैं जो "तेजी से होने वाली बारिश या गरज का कारण बनती हैं।।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.20)** 'पीएम केयर्स फंड' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया गया है।
2. गृह मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
3. पीएम केयर्स फंड में दिया गया दान भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के रूप में गिना जाएगा।
4. पीएम केयर्स फंड को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत छूट मिली है।

सही कोड चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 1 और 3
c) 2 और 4
d) 1, 3 और 4

**Q.21)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) का स्थान लिया।
2. वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं।
3. FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगा।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 3
c) केवल 3
d) 1, 2 और 3

**Q.22)** 'पीएम गति शक्ति योजना' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह एक बहु-मोडल कनेक्टिविटी योजना है, जिसका उद्देश्य रसद लागत को कम करने के लिए समन्वित योजना और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निष्पादन के उद्देश्य से है।
2. इस योजना ने 110 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन योजना को समाहित कर दिया।

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.23)** 'ड्रैगन फ्रूट' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ड्रैगन फ्रूट चीन का मूल निवासी है।
2. यह कठोर र विभिन्न मिट्टी के साथ विविध जलवायु परिस्थितियों में बढ़ता है।
3. वर्तमान में मिजोरम उन राज्यों में सबसे ऊपर है जो भारत में इस फल की खेती करते हैं।

सही कथन चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 1 और 2
c) 2 और 3

d) 1 और 3

**Q.24)** 'जोनल काउंसिल' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।
2. केंद्रीय गृह मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं।
3. इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हैं।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) केवल 2
d) 1, 2 और 3

**Q.25)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत हिमालयी लाल पांडा और चीनी लाल पांडा दोनों का निवास है।
2. भारत में लाल पांडा केवल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है।
3. इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

गलत कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 1, 2 और 3
c) 2 और 3
d) केवल 3

**Q.26)** हाल ही में खबरों में रहे सन्नति और कनगनहल्ली (Sannati and Kanaganahalli) क्षेत्र का संबंध किससे है?

a) प्राचीन बौद्ध स्थल
b) भारत के लिथियम भंडार
a) संगम साहित्य में वर्णित पश्चिमी भारत के स्थान
c) विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र

**Q.27)** हाल ही में खबरों में रहा 'भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72' किससे संबंधित है?

a) यह एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है जो राष्ट्रपति के कार्यों के अभ्यास में राष्ट्रपति की सहायता करेगा।
b) भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति।
c) भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रक्रिया।
d) भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति।

**Q.28)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. ब्रह्मांड में सभी अंतःक्रियाएं कणों पर कार्य करने वाली चार मूलभूत शक्तियों का परिणाम हैं।
2. डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है।
3. डार्क मैटर में सामान्य पदार्थ की तरह द्रव्यमान होता है।

सही कथन चुनें

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) 1, 2 और 3
d) 1 और 3

**Q.29)** निम्नलिखित में से कौन से निकाय संवैधानिक निकाय हैं?

1. नीति आयोग
2. राष्ट्रीय महिला आयोग
3. क्षेत्रीय परिषद

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 3
c) 1, 2 और 3
d) कोई नहीं

**Q.30)** 'मध्यस्थता विधेयक, 2021' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. बिल प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता में भागीदारी को अनिवार्य बनाता है।
2. तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले विवाद मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
3. एक पक्ष दो सत्रों के बाद मध्यस्थता से हट सकता है।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 1, 2 और 3
c) 1 और 3
d) 2 और 3

**Q.31)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को जमानती और गैर-जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. गैर-जमानती अपराध संज्ञेय हैं, जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने में सक्षम बनाता है।

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.32)** नीचे दिए गए युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

| **अनुच्छेद** | **प्रावधान** |
|---|---|
| अनुच्छेद 32 | सुप्रीम कोर्ट (SC) का रिट क्षेत्राधिकार |
| अनुच्छेद 131 | राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति |
| अनुच्छेद 142 | मूल क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार और राज्य / राज्यों के बीच |

| | |
|---|---|
| | तथा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद का निपटारा करेगा। |

सही कोड चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) 1, 2 और 3
d) 2 और 3

**Q.33)** 'ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
2. यह पांच प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता को बेंचमार्क करता है।
3. सभी उप-सूचकांकों में से भारत राजनीतिक अधिकारिता में सर्वोच्च स्थान पर है।

सही कथन चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 2 और 3
c) 1 और 3
d) 1 और 2

**Q.34)** 'दक्षिण चीन सागर' के निम्नलिखित द्वीपों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें

1. स्कारबोरो शोल
2. पैरासेल द्वीप समूह
3. स्प्रैटली आइलैंड्स

सही कोड चुनें:

a) 1-3-2
b) 1-2-3
c) 3-1-2
d) 3-2-1

**Q.35)** निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपने सभी जिलों में जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित किया है?

a) केरल
b) तमिलनाडु
c) उत्तराखंड
d) ओडिशा

**Q.36)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के लिए सरकार को परियोजना की कुल फंडिंग करने की आवश्यकता होती है।
2. हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एचएएम) में निजी क्षेत्र को टोल रिकवरी का कोई अधिकार नहीं है।
3. बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) में सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के भागीदार को उपयोगकर्ताओं से राजस्व एकत्र करने की अनुमति देगा।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) 1, 2 और 3
c) 1 और 3
d) 2 और 3

**Q.37)** गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इस अधिनियम के तहत भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है।
2. जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी और यदि नहीं, तो आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए पात्र है।
3. यह केंद्र सरकार को व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने का अधिकार देता है।

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) 1 और 2
c) केवल 2
d) कोई नहीं

**Q.38)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें : मिशन शक्ति

1. यह महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम योजना है।
2. यह नीति आयोग की एक पहल है।
3. मिशन शक्ति की दो उप-योजनाएं हैं जिन्हें संबल और समर्थ (Sambal and Samarthya) कहा जाता है।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 3
b) केवल 1
c) 1, 2 और 3
d) 2 और 3

**Q.39)** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
2. संस्थानों का मूल्यांकन पांच मानकों के आधार पर किया जाता है।
3. भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) द्वारा एनआईआरएफ 2022 में, बेंगलुरु ने समग्र श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया।

सही कथन चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 1 और 3
c) 1 और 2
d) केवल 1

**Q.40)** 'वीर सावरकर' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की।
2. वह वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे।
3. उन्होंने 'द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस' नामक पुस्तक लिखी।

गलत कथन चुनें:

a) 1 और 2
b) 2 और 3
c) केवल 2
d) कोई नहीं

**Q.41)** भारतीय रुपये के मूल्यह्रास को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए जाने चाहिए?

1. बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित शर्तों में ढील।
2. गैर-जरूरी आयात में कटौती और निर्यात बढ़ाने के लिए कदम।
3. भारतीय उधारकर्ताओं को रुपया मूल्यवर्ग के मसाला बांड (Masala Bonds) जारी करने के लिए प्रोत्साहित करना।

सही कथन चुनें:

a) 1 और 3
b) 1 और 2
c) 1, 2 और 3
d) केवल 2

**Q.42)** उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है।
2. उपाध्यक्ष बनने के लिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
3. राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत के साथ एक प्रस्ताव पारित करके उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।

सही कथन चुनें:

a) 1, 2 और 3
b) 1 और 2
c) 1 और 3
d) केवल 2

**Q.43)** 'अनामलाई टाइगर' रिजर्व कहाँ स्थित है?

a) केरल
b) कर्नाटक
c) तमिलनाडु
d) पुडुचेरी

**Q.44)** नमसाई घोषणा (Namsai Declaration), हाल ही में समाचारों में देखी गई, किससे संबंधित है?

a) ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच नदी जल विवाद समाधान।
b) घुसपैठ से लड़ने के लिए सीमावर्ती राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा।
c) नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और भारत सरकार के बीच समझौता।
d) सीमा विवाद को सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच समझौता।

**Q.45)** कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) किसी वस्तु के लिए MSP की सिफारिश करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करता है?

1. इनपुट-आउटपुट मूल्य समता
2. रहने की लागत पर प्रभाव
3. इनपुट कीमतों में बदलाव
4. मांग और आपूर्ति

सही कोड चुनें:

a) 3 और 4
b) केवल 4
c) 2 और 3
d) 1, 2, 3 और 4

**Q.46)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक उलटा यील्ड कर्व (An inverted yield curve) आसन्न मंदी के सबसे विश्वसनीय अग्रणी संकेतकों में से एक है।
2. सॉफ्ट लैंडिंग आर्थिक विकास में एक चक्रीय मंदी है जो मंदी से बचाती है।

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.47)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951 भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी के लिए प्रदान किया गया।
2. संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य है।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.48)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति का प्रावधान करता है।
2. जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.49)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दों को देखने के लिए संजय अग्रवाल समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
2. कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) अनिवार्य फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है।

गलत कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

**Q.50)** निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक उलटा यील्ड कर्व तब होता है जब अल्पकालिक ऋण साधन समान क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल के दीर्घकालिक उपकरणों की तुलना में अधिक प्रतिफल लेते हैं।
2. जब केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयाँ मंदी लाती हैं, तो इसे हार्ड-लैंडिंग कहा जाता है।

सही कथन चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

## QUESTIONS : उत्तर कुंजी

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | **C** | **26** | **A** |
| **2** | **D** | **27** | **D** |
| **3** | **D** | **28** | **C** |
| **4** | **A** | **29** | **D** |
| **5** | **B** | **30** | **B** |
| **6** | **A** | **31** | **D** |
| **7** | **D** | **32** | **A** |
| **8** | **A** | **33** | **C** |
| **9** | **C** | **34** | **C** |
| **10** | **C** | **35** | **B** |
| **11** | **D** | **36** | **B** |
| **12** | **D** | **37** | **D** |
| **13** | **B** | **38** | **A** |
| **14** | **A** | **39** | **A** |
| **15** | **A** | **40** | **D** |
| **16** | **B** | **41** | **C** |
| **17** | **B** | **42** | **B** |
| **18** | **A** | **43** | **C** |
| **19** | **C** | **44** | **D** |
| **20** | **D** | **45** | **D** |
| **21** | **B** | **46** | **D** |
| **22** | **D** | **47** | **B** |
| **23** | **C** | **48** | **C** |
| **24** | **B** | **49** | **D** |
| **25** | **C** | **50** | **C** |

# IAS BABA

## baba's gurukul

**The Guru-shishya Parampara Continues....**

**Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)**

**Mohan Sir**
**(Founder, IASbaba)**

## Gurukul Foundation

**(For Freshers)**

**Above & Beyond Regular Classroom Coaching**

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888